VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सुरक्षा

MAINS 365

Classroom Study Material 2022

(September 2021- to June 2022)

8468022022, 9019066066 www.visionias.in

दिल्ली | जयपुर | पुणे | हैदराबाद | अहमदाबाद | लखनऊ | चंडीगढ़ | गुवाहाटी

सुरक्षा (Security)

विषय सूची

1. रक्षा (Defence) 6

1.1. रक्षा आधुनिकीकरण (Defence Modernisation) 6

1.1.1. थिएटर कमान (Theatre Commands) 7

1.1.2. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff: CDS) 8

1.1.3. एकीकृत युद्धक समूह (Integrated Battle Groups: IBG) 9

1.1.4. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) 11

1.1.5. भारत में पनडुब्बियां (Submarine in India) 13

1.2. रक्षा निर्यात (Defence Exports) 15

1.2.1. ब्रह्मोस (BrahMos) 16

1.3. रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance in Defence Manufacturing) 17

1.3.1. प्रौद्योगिकी विकास कोष (Technology Development Fund: TDF) 18

1.4. सैन्य लॉजिस्टिक समझौते (Military Logistics Agreements) 19

2. डेटा संरक्षण (Data Protection) 21

2.1. डेटा गोपनीयता और नवाचार (Data Privacy and Innovation) 21

2.2. भारत में डेटा संरक्षण (Data Protection in India) 22

2.2.1. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 {The Personal Data Protection Bill (PDP Bill), 2019} 22

3. साइबर सुरक्षा (Cyber Security) 26

3.1. साइबर सुरक्षा (Cyber Security) 26

3.1.1. क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा (Regional Cyber Security) 27

3.2. भारत में साइबर निगरानी (Cyber Surveillance in India) 28

3.3. आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 {The Criminal Procedure (Identification) Act, 2022} 29

3.3.1. फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology: FRT) 30

3.4. महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure) 32

3.4.1. विद्युत क्षेत्रक में साइबर सुरक्षा (Cyber Security in Power Sector) 32

3.5. क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराध (Cryptocurrency Crimes) 33

VISION IAS

4. तटीय सुरक्षा (Coastal Security) 36

5. पुलिस सुधार (Policing Reforms) 37

5.1. पुलिस बल का आधुनिकीकरण (Modernisation of Police Force) 37

5.2. विधि प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Technology in Law Enforcement) 37

6. चरमपंथ और आतंकवाद (Extremism and Terrorism) 40

6.1. नक्सलवाद (Naxalism) 40

6.2. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम {Unlawful Activities (Prevention) ACT (UAPA)} 41

6.3. पूर्वोत्तर भारत में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) {Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) in North East} 43

6.4. ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (Overground Workers) 45

6.5. लोन वुल्फ अटैक (Lone Wolf Attack) 47

6.6. भारत में मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking in India) 49

6.7. जैव-आतंकवाद (Bio-Terrorism) 50

6.8. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF) 51

7. सीमा सुरक्षा और प्रबंधन (Border Security and Management) 54

7.1. सीमा प्रबंधन (Border Management) 54

7.2. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पुलिस की शक्ति {Policing Power to Central Armed Police Forces (CAPFs)} 55

7.3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सामरिक महत्व {Strategic Importance of Andaman and Nicobar Islands (ANI)} 57

8. पूर्वोत्तर में उग्रवाद (Insurgency in Northeast) 60

8.1. बोडो शांति समझौता (Bodo Peace Accord) 61

8.2. नागा शांति वार्ता (Naga Peace Talks) 62

9. सुरक्षा से संबंधित उभरते आयाम (Emerging Dimensions of Security) 64

9.1. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण (Space Weaponization) 64

9.2. उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा (Emerging Technologies and Threat to National Security) 64

9.3. जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा (Climate Change and Security) 66

VISION IAS

10. विविध (Miscellaneous).. 69

10.1. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown) 69

10.2. भारत में ड्रोन विनियम (Drone Regulations in India) 70

10.3. क्लस्टर बम और थर्मोबेरिक हथियार (Cluster Bombs and Thermobaric Weapon)................................ 71

10.4. हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म (Hypersonic Platforms) 72

10.5. एस. 400 (S-400) 74

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2014-2021 तक पूछे गए प्रश्नों (सुरक्षा खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने में मदद करेगा।	

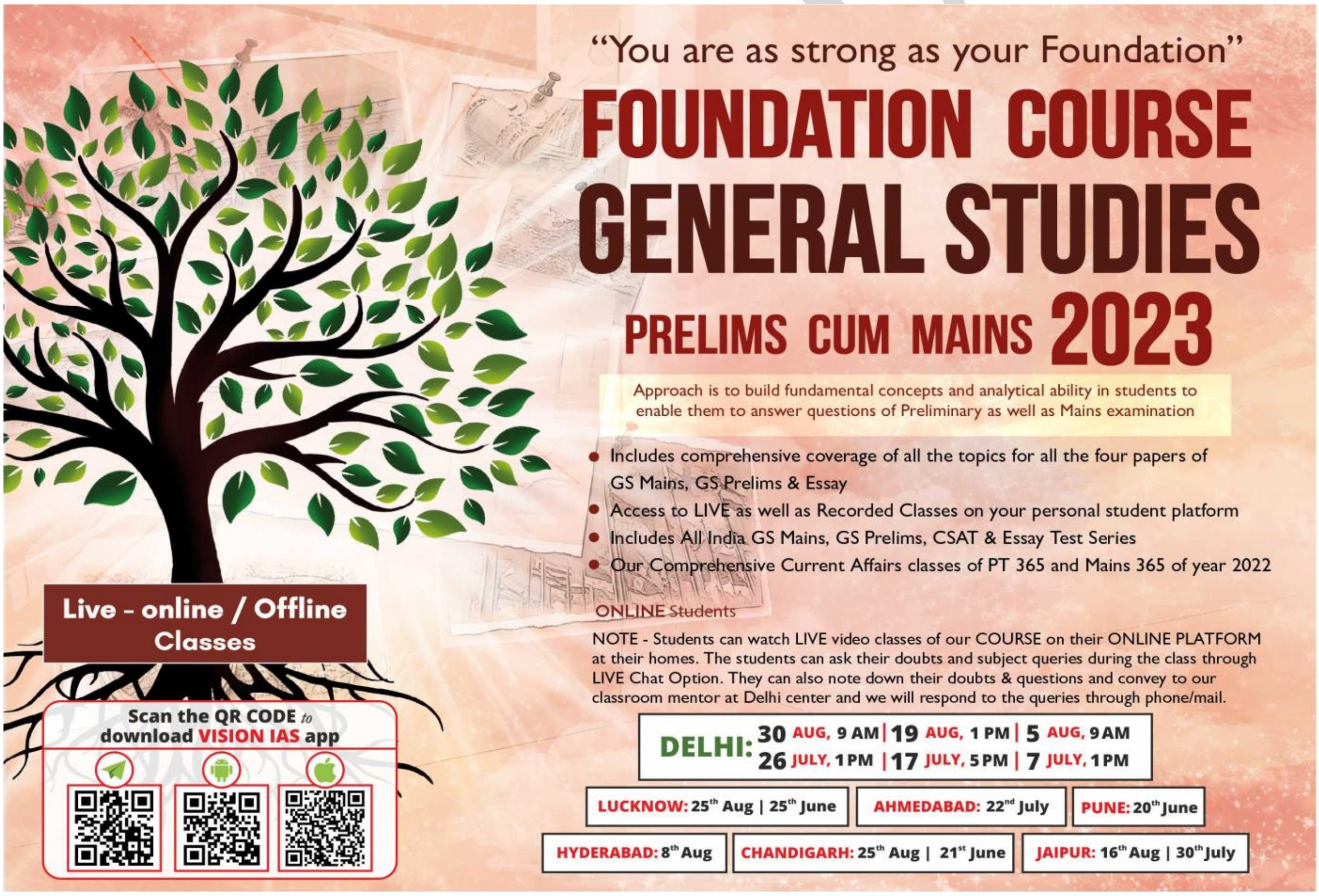

Copyright © by Vision IAS

All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

छात्रों के लिए संदेश

प्रिय छात्रों,

- अच्छे उत्तर में सटीक कंटेंट अब छोड़ देने लायक घटक नहीं है, बल्कि यह एक मूल आवश्यकता है। एक सटीक उत्तर लिखने की तैयारी पेन हाथ में लेकर उत्तर के बारे में सोचने से पहले ही शुरू हो जाती है। पूछे गए विषय की अच्छी समझ के साथ प्रासंगिक डेटा और उदाहरणों का इस्तेमाल उत्तर को सटीक बनाता है। इससे सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी मदद मिलती है।
- इसके अलावा एक बेहतरीन शैली में उत्तर की प्रस्तुति उसमें शामिल तथ्यों और जानकारी को आसानी से समझने में मदद करती है।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

टॉपिक – एक नज़र में:

इसमें आवश्यक डेटा और तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्टेटिक जानकारी और समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण को जोड़कर विषय का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

इन्फोग्राफिक्स:

इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें उत्तरों में आसानी से शामिल किया जा सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न:

छात्रों के संदर्भ के लिए सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

इनके साथ-साथ, इस वर्ष हमने विषयों को अच्छी तरह से याद करने तथा सटीक तरीके से उत्तर लिखने में आपकी मदद करने के लिए कुछ और विशेषताओं को शामिल किया है, इनमें शामिल हैं:

हम आशा करते हैं कि ये नई विशेषताएं न केवल आपको विषयों की व्यापक समझ विकसित करने में मदद करेंगी, बल्कि प्रभावी और अच्छी तरह से प्रस्तुत किये गए उत्तर लिखने के लिए आवश्यक इनपुट भी प्रदान करेंगी।

"ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, हमें वास्तविक प्रयास करना चाहिए।" – जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे

शुभकामनाएं!
टीम VisionIAS

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 2 AUGUST, 9 AM | 24 JUNE, 1 PM
LUCKNOW: 7 JULY | 9 AM
JAIPUR: 16 AUG | 4 PM

ABHYAAS
MAINS 2022
ALL INDIA GS MAINS
MOCK TEST (OFFLINE)
GS-1 & GS-2
27 AUGUST
GS-3 & GS-4
28 AUGUST
All India Percentile
Closely aligned to UPSC pattern
Concrete Feedback & Corrective Measures
Available in ENGLISH / हिन्दी
40 CITIES
Register at: www.visionias.in/abhyaas
Ahmedabad | Aizawl | Bengaluru | Bhopal | Bhubaneswar | Chandigarh | Chennai | Coimbatore | Dehradun | Delhi | Ghaziabad | Gorakhpur | Guwahati
Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jammu | Jodhpur | Kanpur | kochi | Kolkata | Lucknow | Ludhiana | Mumbai | Nagpur | Noida
Patna | Prayagraj | Pune | Raipur | Ranchi | Rohtak | Shimla | Thiruvananthapuram | Varanasi | Vijayawada | Visakhapatnam

1. रक्षा (Defence)

1.1. रक्षा आधुनिकीकरण (Defence Modernisation)

रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण – एक नज़र में

रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के बारे में

- **रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरणः उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई तकनीकों या प्लेटफॉर्म्स का उन्नयन करना और उन्हें अपनाना।** यह किसी देश की सैन्य क्षमता और शत्रु देशों से स्वयं की रक्षा करने की दक्षता को दर्शाता है।
- यह **खतरे की आशंका, परिचालन संबंधी चुनौतियों** और तकनीकी परिवर्तनों **पर आधारित** एक सतत प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य अलग–अलग प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों को तैयार रखना है।
- इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से **नवीनतम सैन्य हार्डवेयर (जैसे– सैन्य उपकरण, मशीनरी आदि)** प्राप्त करने के साथ–साथ इनके **स्वदेशी विनिर्माण** पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है।

आधुनिकीकरण की आवश्यकता

- पश्चिमी प्रशांत से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र तक **चुनौतीपूर्ण सामरिक परिवेश** बना हुआ है।
- विमान, पनडुब्बी, ड्रोन आदि जैसे **उपकरणों की अपर्याप्त संख्या** आधुनिकीकरण की आवश्यकता को बढ़ा देती हैं।
- **क्षेत्रीय शक्ति** और क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा प्रदाता **बनना विदेश नीति का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करना आधुनिकीकरण की आवश्यकता को प्रकट करता है।**
- **युद्ध के तेजी से बदलते प्रकार,** जैसे– साइबर युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध आदि।
- सैन्य प्रौद्योगिकियों के लिए **अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं के निर्माण** की आवश्यकता है।
- **सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरों की बदलती हुई प्रकृति,** जैसे– भारत और चीन सीमा पर चीन की ओर तेजी से हो रहा निर्माण कार्य।
- **अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए क्षमताओं को बढ़ाना,** जैसे– आपदा प्रतिक्रिया, निकासी मिशन आदि।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमः

- **रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिएः** मसौदा रक्षा उत्पादन और निर्यात नीति 2020, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020, सृजन (SRIJAN) पोर्टल, रक्षा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण आदि।
- **सैन्य संगठन में सुधार के लिएः** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन, बेहतर प्रबंधन के लिए सैन्य मामलों के नए विभाग का निर्माण, एकीकृत युद्धक समूहों, व थिएटर कमांड का गठन आदि।
- **अन्यः** रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना, एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) आदि।

रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में आने वाली चुनौतियां

- **निर्णय लेने की धीमी प्रक्रियाः** उत्पादन और अधिग्रहण अनुबंधों को अंतिम रूप देने में लगभग 7 से 9 वर्ष लगते हैं।
- **सार्वजनिक क्षेत्रक की सीमित विनिर्माण क्षमता** एवं सामर्थ्य और निजी क्षेत्रक की भागीदारी का अभाव।
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश का अभाव।**
- **ठोस रक्षा औद्योगिक आधार का अभाव।**
- **भविष्य के युद्ध की प्रकृति पर सीमित संवाद।**

आगे की राह

- रामा राव समिति द्वारा सुझाए गए **उन्नत रक्षा विज्ञान अनुसंधान बोर्ड** (Board of Research for Advanced Defence Sciences: BRADS) **के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**
- **निजी क्षेत्रक को सहयोग प्रदान करना चाहिए।**
- प्रगति में तेजी लाने के लिए **5 Is (आइडेंटिफाई, इनक्यूबेट, इनोवेट, इंटीग्रेट और इंडीजेनाइज)** की अवधारणा को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- **उद्योग–रक्षा–अकादमिक जुड़ाव का विकास** किया जाना चाहिए।
- **रक्षा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को** अवसंरचना संबंधी आधुनिकीकरण, देश की बढ़ती मानव संसाधन क्षमताओं आदि के साथ **एकीकृत किया जाना चाहिए।**

1.1.1. थिएटर कमान (Theatre Commands)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पहली बार भारत के **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** (CDS) ने भारतीय सेना को **एकीकृत थिएटर कमान** (ITC)[2] में **पुनर्गठित** करने पर जारी विचार-विमर्श का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा कि थिएटर कमांडर CDS को रिपोर्ट करेंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान में मौजूद **एकल-सेवा** कमान को केवल **चार भौगोलिक कमान** में रखा जाएगा।
    - **पश्चिमी थिएटर कमान:** पाकिस्तान से संलग्न सीमा के लिए।
    - **उत्तरी थिएटर कमान:** चीन से संलग्न सीमा के लिए।
    - **समुद्री कमान:** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)[3] के लिए।
    - **द्वीपीय कमान:** यह पहले से ही सक्रिय/क्रियाशील है। इसे **अंडमान और निकोबार कमान (ANC)** कहा जाता है। यह पूर्वी हिंद महासागर में भारत की क्षमता विकसित करेगा।
    - **हवाई क्षेत्र** तथा **साइबर युद्ध** पांचवें एवं छठे ITCs होंगे।

संबंधित तथ्य

- भारत में एक **राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक** (NMSC)[1] की नियुक्ति 26/11 के आतंकवादी हमलों (वर्ष 2008) के बाद से प्रस्तावित थी। NMSC, **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय** का हिस्सा होगा। वह **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)** को रिपोर्ट करेगा।
    - **कारगिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM)** ने भी इसकी सिफारिश की थी। इस प्रकार भारत को लंबे समय से NMSC की आवश्यकता रही है।
- **भूमिका**
    - यह समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर **भारत सरकार का प्रधान सलाहकार होगा।**
    - यह **भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा** में शामिल सुरक्षा एजेंसियों तथा 13 तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच **समन्वय** सुनिश्चित करेगा।
        - वर्तमान में, इन एजेंसियों द्वारा कभी-कभी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर दिया जाता है। इससे **इनके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है।**

[1] National Maritime Security Coordinator

[2] Integrated Theatre Commands

[3] Indian Ocean Region

थिएटर कमान क्या है?

- एकीकृत थिएटर कमान का आशय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों के लिए **एकल कमांडर के अधीन तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान** को रखने से है।
    - एकीकृत थिएटर कमान का कमांडर अपनी क्षमता के अधीन किसी भी विपरीत परिस्थिति में सरलता से तीनों सैन्य बलों (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) से सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।
- एकीकृत थिएटर कमान के विचार को **कारगिल समीक्षा समिति** और **डी. बी. शेकटकर समिति** दोनों द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

आगे की राह

थिएटर कमान के रूप में सेना का पुनर्गठन केवल एक संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। इस परिवर्तन को अन्य सैन्य सुधारों के साथ लागू किए जाने की आवश्यकता है, जैसे-

- थिएटर कमान को अपनाने से पहले रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए **सैन्य-औद्योगिक परिसर के विकास की आवश्यकता होगी।**
- कमान संरचना में परिवर्तन के लिए **सैन्य-असैन्य निर्णय लेने की संरचना** में एक साथ परिवर्तन की आवश्यकता होगी।
- सरकार को ANC सहित मौजूदा **एकीकृत रक्षा मुख्यालय की क्षमता का मूल्यांकन** करना चाहिए।
- **रक्षा-व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है,** क्योंकि भारत रक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% से भी कम व्यय करता है। रक्षा पर इतने कम व्यय से स्टाफ़, उपकरणों और गोला बारूद की कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

1.1.2. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff: CDS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की योग्यता के दायरे में विस्तार करती है।

CDS के बारे में

- CDS के पद को **सशस्त्र बलों के बीच दक्षता एवं समन्वय बढ़ाने** तथा दोहराव को कम करने के लिए गठित किया गया था।
- **इसका उद्देश्य**
    - सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं के बीच प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित कर **सभी स्तरों पर बेहतर परिणाम प्राप्त करना।**
    - राष्ट्र के उच्च रक्षा संगठन में **अंतर-सेवा एकीकरण** और बेहतर नागरिक-सैन्य समन्वय को **सुविधाजनक बनाने में मदद करना।**
    - **संयुक्त नियोजन, संचालन और खरीद की प्रक्रिया को मजबूत बनाना।** इससे सशस्त्र बलों को अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाया जा सकेगा।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित किसी सैन्य बल पर सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करेंगे, ताकि वे राजनीतिक नेतृत्व

CDS के कर्तव्यों और कार्यों में शामिल हैं:

- रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित **सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के प्रमुख** और इसके सचिव के रूप में कार्य करना।
- तीनों सेनाओं के मामलों में **रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में** कार्य करना।
- **चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना** और तीनों सेनाओं के संगठनों/एजेंसियों/कमानों का प्रशासन करना।
- रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले **रक्षा अधिग्रहण परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करना** और परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करना।
- बुनियादी ढांचे का **इष्टतम उपयोग** सुनिश्चित करना और सेवाओं के बीच संयुक्तता के माध्यम से इसे तर्कसंगत बनाना।
- एकीकृत क्षमता विकास योजना के बाद आगे के कदम के रूप में **पंचवर्षीय रक्षा पूंजीगत सामान अधिग्रहण योजना (DCAP)[4] और दो वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं (AAPs)[5] को कार्यान्वित करना।**

[4] Defence Capital Acquisition Plan

[5] Annual Acquisition Plans

को सैन्य मामलों में एक निष्पक्ष सुझाव दे सकें।

CDS की आवश्यकता

- **राजनीतिक कार्यपालिका को बेहतर सलाह देने के लिए:** CDS सैन्य सेवाओं की आंतरिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर कार्य करता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर समग्रता से सलाह देता है। इन मुद्दों में संयुक्त रणनीति एवं योजना, हथियारों की खरीद, जनशक्ति का परिनियोजन (Manpower allocation) और संयुक्त संचालन शामिल हैं।
    - जब चीफ ऑफ स्टाफ किसी मुद्दे पर अलग-अलग विचार व्यक्त करते हैं तो **CDS मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।** उदाहरण के लिए, युद्ध के मैदान में सैन्य संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में।

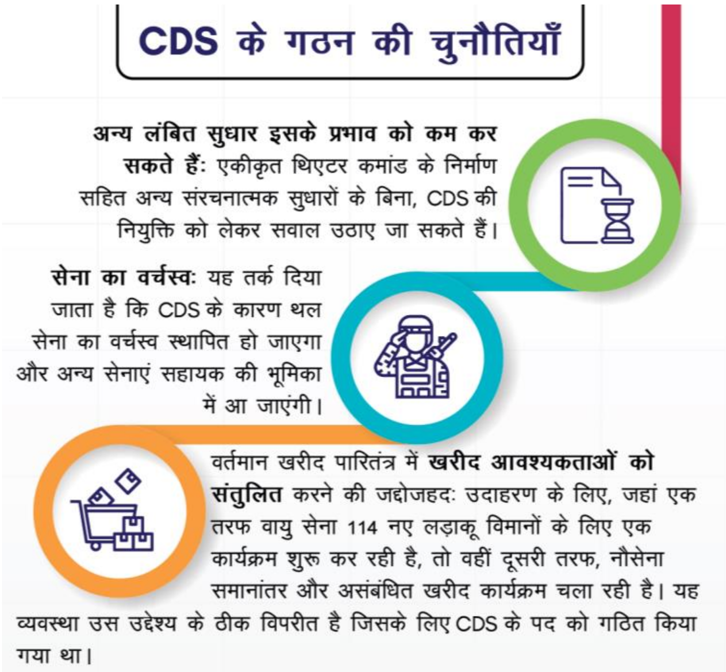

- **सशस्त्र बलों का एकीकरण:** CDS की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि सशस्त्र बल अलग-थलग काम करने के बजाय एकीकृत होकर काम करें।
- **लगातार परिवर्तनशील सुरक्षा समीकरण:** इसके लिए आवश्यक है कि भारत की सेना युद्ध में और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में कुशल हो। यह तभी संभव है जब सेना एकीकृत होगी।
- **खरीद को प्राथमिकता देना:** CDS, देश की सैन्य आवश्यकताओं को कुछ इस तरह पूरा कर सकता है कि इसमें सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं से समझौता न हो। साथ ही, उपलब्ध मौद्रिक संसाधनों से अन्य सैन्य आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके।
- **वैश्विक समानता:** विश्व के कई प्रमुख देशों ने अपने सशस्त्र बलों में एकीकरण और सामूहिकता लाने के लिए CDS पद का गठन किया है। इन देशों में इटली, फ्रांस, चीन, यू.के., यू.एस.ए., कनाडा और जापान शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारत में सशस्त्र बलों और रक्षा प्रतिष्ठान के एकीकरण की प्रक्रिया में काफी समय से देरी हो रही थी। CDS के निर्माण के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आएगी।

CDS सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की कुंजी है। इसलिए, इसे अन्य संरचनात्मक सुधारों द्वारा मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। इन सुधारों में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, उपकरणों का उत्पादन, नवाचार को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इससे सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा।

1.1.3. एकीकृत युद्धक समूह (Integrated Battle Groups: IBG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, थल सेना प्रमुख ने कहा है कि IBG पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब यह पूर्णतः गठित होने के अंतिम चरण में है।

सैन्य संगठनों में सुधार की आवश्यकता

- **दो मोर्चे पर युद्ध:** हमारे संभावित विरोधियों अर्थात् पाकिस्तान और चीन के बीच सैन्य व परमाणु मामलों पर बढ़ती सांठ-गांठ के कारण।
- **क्षमताओं में वृद्धि:** भारतीय सेना को युद्ध की स्थिति में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए **सभी प्रकार (परमाणु, परंपरागत व उप-परंपरागत) के युद्ध-लड़ने की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य** रखना चाहिए।
- **आधुनिकीकरण:** सेना को आधुनिक हथियारों और हथियार प्रणालियों से लैस होने की जरूरत है। यह आधुनिकीकरण भविष्य के युद्ध क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को पूरा करने के लिए **प्रौद्योगिकी-आधारित प्रक्रियाओं तथा स्वचालन** द्वारा समर्थित होना चाहिए, जैसे- पांचवीं

पीढ़ी के विमान।
- **समन्वय:** खुफिया जानकारी जुटाने, साझा करने और निगरानी व टोही क्षमताओं को बेहतर करना होगा। इसके लिए **सुरक्षा बलों एवं खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय** में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **बहु-आयामी भूमिका:** सेना को अपनी अनिवार्य भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए **बाहरी खतरों** से निपटने के लिए बहुआयामी क्षमता सुनिश्चित करनी होती है। साथ ही, सेना को आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों, जैसे- अलगाववादी विद्रोह, आपदा प्रबंधन आदि से निपटने में सहायता के लिए भी तैयार रहना होता है।

प्रस्तावित एकीकृत युद्धक समूह के बारे में

- IBG वस्तुतः **ब्रिगेड के आकार का फुर्तीला आत्मनिर्भर लड़ाकू सैन्य दल** होता है। यह युद्ध संबंधी स्थिति में विरोधियों के खिलाफ तेजी से हमले कर सकता है।
  - इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी की सहायता से सेना को **अधिक घातक और आधुनिक युद्ध लड़ने के लिए सक्षम** बनाना है।
  - वर्ष 2019 में मैदानी इलाकों और ऊंचाई वाले इलाकों में इसका परीक्षण भी किया गया था।

- **IBG की संरचना**
  - प्रत्येक IBG को **खतरे, भू-क्षेत्र और कार्य (Threat, Terrain and Task: T3)** के आधार पर तैयार किया जाएगा। साथ ही, संसाधनों को T3 के आधार पर आवंटित किया जाएगा। इन्हें इसी के अनुरूप संसाधन भी आवंटित किए जाएंगे। इनका आकार डिवीजन से छोटा होगा, ताकि लॉजिस्टिक्स पर कम भार पड़े।
  - ये संबंधित **अवस्थिति के आधार पर 12-48 घंटों के भीतर तैनात होने** में सक्षम होंगे।
  - प्रत्येक IBG का **नेतृत्व एक मेजर जनरल द्वारा किया जाएगा।**
  - IBG लड़ाकू इकाई में **पैदल सेना, बख्तरबंद टैंक रेजिमेंट,** तोपखाने, मानव रहित विमान (UAV), लड़ाकू इंजीनियरों और सिग्नलों को शामिल किया जाएगा।
  - **IBG वस्तुतः रक्षात्मक (defensive) और आक्रामक (offensive) प्रकृति के होंगे।**

निष्कर्ष

ऐसा माना जाता है कि, 21वीं सदी में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर युद्ध (full-scale wars) होने की संभावना बहुत कम है। भविष्य के संघर्षों/ युद्धों के सीमित समय और स्थान में होने की संभावना है। इनमें मुख्य रूप से उच्च सटीकता (high-end precision) वाली और घातक सैन्य तकनीकों का इस्तेमाल होगा।

ऐसे युद्धों में, पहले-शुरुआत का लाभ प्राप्त करने के लिए IBG प्रकार के फुर्तीले विकल्पों की आवश्यकता होती है।

1.1.4. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। यह सशस्त्र बलों में सेवा करने हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक भर्ती योजना है।

अग्निपथ योजना के बारे में

- यह तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में **एक नए युग की शुरुआत** करने के लिए **रक्षा संबंधी एक प्रमुख नीतिगत सुधार** है।
  - **अल्पकालिक भर्ती मॉडल या 'टूर ऑफ ड्यूटी' (ToD) का विचार पहली बार लगभग दो साल पहले प्रस्तुत किया गया था।** इसका उद्देश्य सीमित संख्या की रिक्तियों हेतु अधिकारियों और जवानों का चयन करना था।
- **इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। इनकी आयु सीमा 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक है।** इनका नामांकन **चार वर्ष** की अवधि के लिए किया जाएगा। **सशस्त्र बलों में इनकी एक अलग रैंक बनाई जाएगी,** जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी।
- **चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन** के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
  - **प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। यह नामांकन चार वर्ष की कार्य अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होगा।**

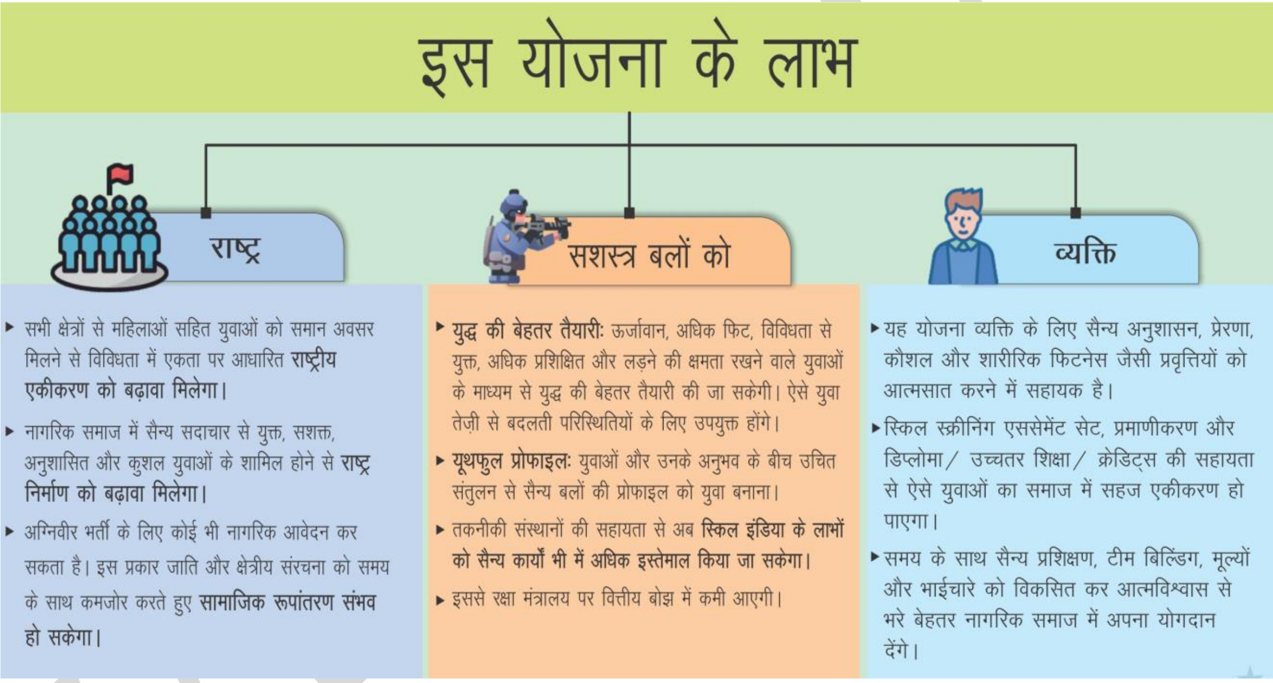

वैश्विक प्रथाएं

विभिन्न विकसित देशों में सशस्त्र बलों के कर्मियों को भर्ती करने, उन्हें बनाए रखने और सेवा मुक्त करने की कार्यप्रणाली का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इन देशों में भर्ती में इसी तरह के सुधारों को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए:

- **रूसी सेना का प्रारूप हाइब्रिड है। इसमें एक पारंपरिक कैडर-और-आरक्षित अनिवार्य भर्ती प्रणाली (जिसमें एक वर्ष का प्रशिक्षण और एक वर्ष की सेवा शामिल है) और एक अनुबंध-पेशेवर प्रणाली का संयोजन होता है।**
- **इजराइल में सैन्य बलों में सक्रिय रूप से अनिवार्य कर्तव्य निर्वहन की अवधि पुरुषों के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने है।** इसके बाद अनिवार्य आरक्षित कर्तव्य की अवधि कई दशक लंबी होती है।
- **फ्रांसीसी सैनिकों के लिए दो प्रकार की भर्ती होती है:** 1 साल का अनुबंध या 3-5 साल का अनुबंध (दोनों नवीकरणीय हैं)।

योजना से संबंधित चिंताएं

- **सैनिकों के बीच सामंजस्य निर्माण:** अग्निपथ की समय अवधि सैनिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैनिकों के बीच सामंजस्य उनके लंबे समय तक एक साथ रहने, एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने और एक साथ

कार्यक्षेत्र में, संचालन में, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में तैनाती के दौरान एवं विद्रोह-विरोधी कार्यकाल के दौरान कठोर अनुभव प्राप्त करने से विकसित होता है।

- **सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को आकर्षित करने में योजना विफल हो सकती है;** ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रेष्ठ उम्मीदवार पहले स्थायी नौकरियों, जैसे पुलिस या अर्धसैनिक बलों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **संभावित उम्मीदवारों के प्रति अन्यायपूर्ण:** इसमें चार वर्ष की समाप्ति के बाद स्थायी रोजगार की गारंटी नहीं है, जबकि चार वर्ष की सेवा से मुक्ति के बाद ऐसे उम्मीदवारों की आयु लगभग 23 वर्ष ही होगी। ऐसे में असैनिक/कॉर्पोरेट क्षेत्र में आगे बढ़ने या नौकरी पाने के लिए आवश्यक कौशल या प्रमाण-पत्र का न होना उनके मनोबल को गिराने वाला हो सकता है।
- **प्रशिक्षण के लिए कम समय:** एक सैनिक को प्रशिक्षित करने में कथित तौर पर दो से तीन साल लगते हैं, लेकिन अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों को केवल छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
    - रक्षा विश्लेषकों ने कथित तौर पर इस ओर ध्यान दिलाया है कि जिन रूसी सैनिकों को यूक्रेन में युद्ध में जाने से पहले सीमित समय के लिए प्रशिक्षण दिया गया था उन्होंने बहुत खराब प्रदर्शन किया है।

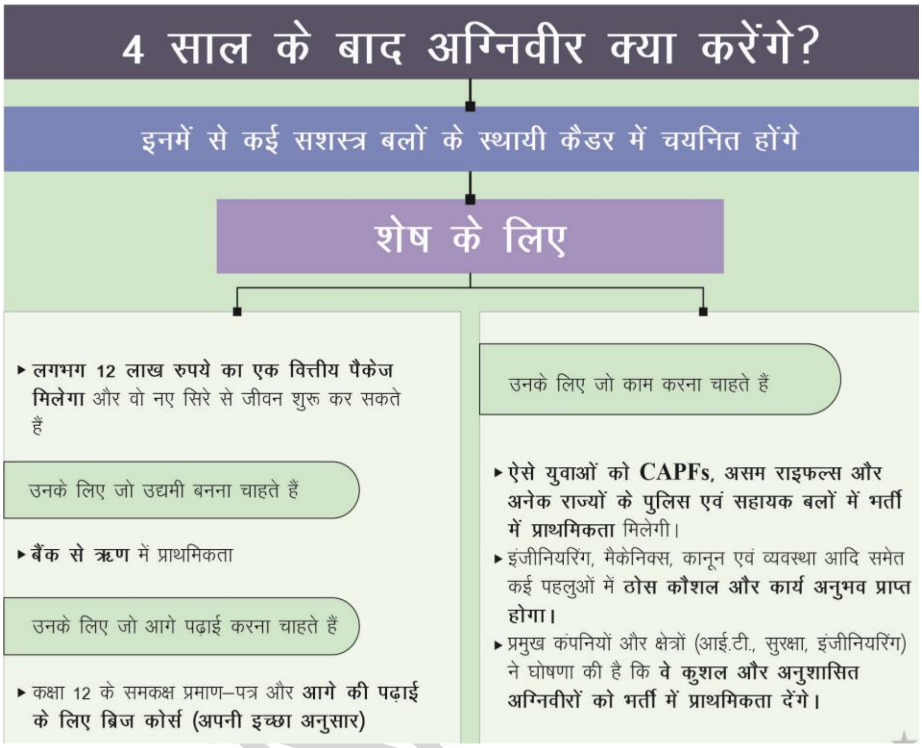

- **समाज का संभावित सैन्यीकरण:** पूरे 15 वर्षों तक सेना में सेवा करने की महत्वाकांक्षा वाले निराश और बेरोजगार, असंगठित अग्निवीर अपराध गठजोड़ एवं कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों के लालच का शिकार हो सकते हैं।
- **क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ना:** योजना के तहत राज्य आधारित भर्ती के बजाय अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में सेना के उच्च पदों पर उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक हो सकता है, जिससे सेना के भीतर क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है।

आगे की राह

- **योजना को जनबल के प्रबंधन से संबंधित अन्य सुधारों से जोड़ा जाना चाहिए।**
- सशस्त्र बलों को अधिक तकनीक-सक्षम बनाने के लिए **शैक्षिक योग्यता को 10+2 तक बढ़ाया जा सकता है।** साथ ही, योग्यता पर आधारित एक अधिक कठोर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा शुरू की जानी चाहिए। इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, ताकि अधिक तकनीक-सक्षम बनाने हेतु एक बदलाव हो सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि **अग्निपथ योजना भारतीय सेना की रेजिमेंट संबंधी संरचना को विरूपित न करे।**
- **गहन प्रशिक्षण और अन्य नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करके घटी हुई प्रशिक्षण अवधि की भरपाई करनी होगी।** साथ ही, सैन्य नेतृत्व को सैनिकों के बीच कम समय में वफादारी और सौहार्द विकसित करने के लिए अभिनव विधियों का उपयोग करना होगा।
- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि **अग्निवीर लाभकारी रूप से समाज का हिस्सा बनें,** ऐसा न हो कि वे समाज के लिए संभावित खतरा बन जाएं।
- **इस नई योजना के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।** उदाहरण के लिए, अमेरिका में अल्पकालिक ड्यूटी सैनिक सरकारी खर्च पर शिक्षा प्राप्त करते हैं।

1.1.5. भारत में पनडुब्बियां (Submarine in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फ्रांस के नेवल ग्रुप ने भारतीय नौसेना की **P-75 इंडिया (P-75I) परियोजना के लिए बोली में भाग लेने से मना कर दिया** है। नेवल ग्रुप ने कहा कि यह परियोजना **वायु-स्वतंत्र प्रणोदन (AIP)**[6] **प्रणाली** का उपयोग नहीं करती है, इसलिए वे इस बोली में भाग नहीं ले सकते हैं।

P-75I और P-75 के बारे में

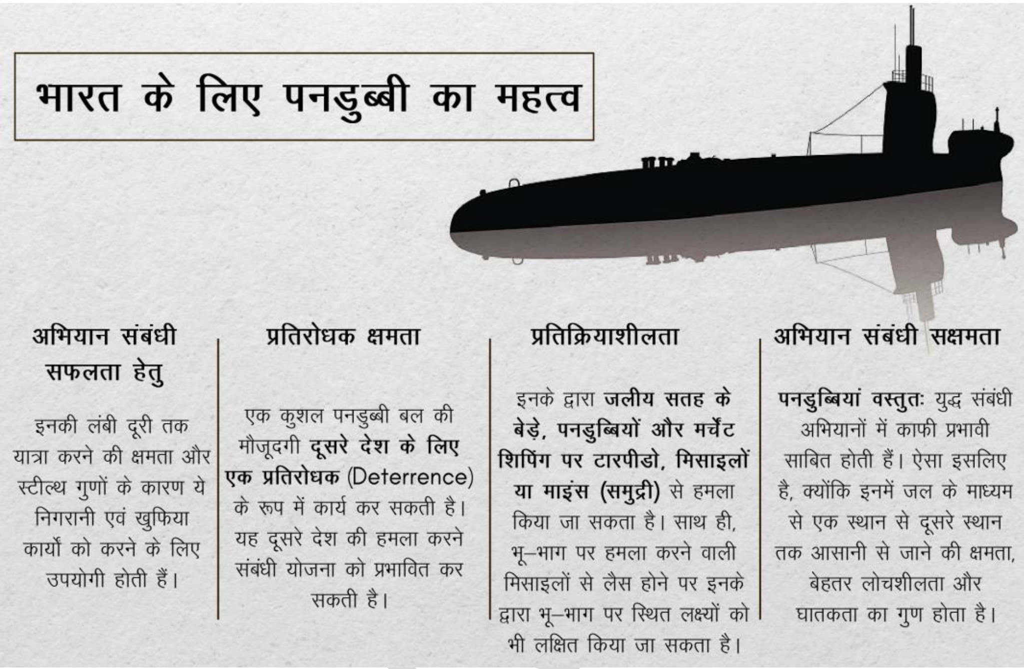

P-75I (यह P75 का उत्तरवर्ती है) **30-वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना का हिस्सा है।** यह योजना वर्ष 2030 में पूर्ण होगी। यह **रणनीतिक साझेदारी**[7] **मॉडल के तहत पहली परियोजना** है। इसे वर्ष 2017 में रक्षा अधिग्रहण परिषद[8] द्वारा घोषित किया गया था।

- यह हथियारों के **आयात पर निर्भरता को कम करने** में मदद करेगा। साथ ही, इससे धीरे-धीरे स्वदेशी स्रोत से **आपूर्ति पर अधिक निर्भरता और अंततः व्यापक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित** होगी।

- **P-75 के संबंध में वर्ष 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे।** इस परियोजना के तहत **पहली कलवरी श्रेणी (स्कॉर्पीन क्लास) की पनडुब्बी** वर्ष 2017 में नौसेना में शामिल की गई थी।
  - इसके तहत **स्कॉर्पीन (डीजल-इलेक्ट्रिक) श्रेणी** की छः पनडुब्बियों का निर्माण करना शामिल है।

पनडुब्बियों का वर्गीकरण

सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर (SSBNs)	न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन (SSNs)	डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन (SSKs)
• नौसेना की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को प्रायः **बूमर्स (boomers)** भी कहा जाता है। यह **अंतर-महाद्वीपीय मिसाइलों के लिए एक अनडिटेकटेबल प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करती हैं। • इन्हें विशेष रूप से **स्टील्थ क्षमता से युक्त और परमाणु आयुधों के सटीक प्रक्षेपण** के लिए डिज़ाइन किया गया है।	• यह **गैर-परमाणु हथियारों से लैस,** हमला करने वाली परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है। • ये पनडुब्बियां नौसेना को महत्वपूर्ण **स्टील्थ क्षमता प्रदान करती हैं। विशेष रूप से खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और विशेष अभियान बलों की गुप्त तैनाती करने के मामले में।** • वर्तमान में केवल **6 देशों** के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं: **यूनाइटेड**	• इनमें **दो या दो से अधिक डीजल इंजन** होते हैं। • ये इंजन **संयोजन (combination)** में काम कर सकते हैं, एक इंजन प्रोपेलर को चलाता है, जबकि दूसरा जनरेटर को चलाता है। • **बैटरी की क्षमता किसी डीजल आधारित पनडुब्बी की जल के भीतर रहने की अवधि को सीमित कर सकती है।** इसके कारण इसे बार-बार सतह पर आना पड़ता है और इस प्रकार इसका **आसानी से पता लगाया जा**

6 Air-Independent Propulsion

7 strategic partnership)

8 Defence Acquisition Council: DAC

• भारत के पास **एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक पनडुब्बी INS अरिहंत** (S2) है।	**किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और फ्रांस।**	**सकता है।** • भारत के पास 15 पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं।

भारत के नौ-सैन्य गठन से संबंधित मुद्दे

- **विलंब और पुराना बेड़ा:** भारत का वर्तमान पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा अत्यधिक पुराना है। हाल ही में शामिल की गई **INS कलवरी** के बाद, नौसेना की अगली सबसे कम आयु की पारंपरिक पनडुब्बी 17 साल पुरानी है।
- **संविदात्मक दायित्व: INS चक्र** नामक अकुला श्रेणी की पनडुब्बी रूस से पट्टे पर केवल भारतीय नौसेनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ली गई है। इसे परमाणु मिसाइलों से लैस करने या किसी अभियान के लिए तैनात करने की अनुमति नहीं है।
- **सीमित क्षमता:** उदाहरण के लिए, **INS अरिहंत** के परमाणु रिएक्टर का ईंधन पुनर्भरण चक्र छोटा है और इसलिए इसकी क्षमता सीमित है।
- **शिथिल विकास:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा AIP प्रणाली के धीमे विकास के कारण **भारतीय नौसेना की पनडुब्बी संबंधी योजनाओं में काफी विलंब हुआ** है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** भारत के पास दुश्मन की **पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए एडवांस्ड टोड ऐरे सोनार (ATAS);** दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए भारी वजन वाले टॉरपीडो और अलग-अलग प्रकार की वायु रक्षा प्रणालियों जैसी आवश्यक क्षमताओं का अभाव है।
- **वित्त पोषण:** वित्त वर्ष 2017-2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी **नौसेना पर अपने कुल सैन्य खर्च का केवल 15 प्रतिशत व्यय करता है,** जो क्वाड (QUAD) में उसके साथी देशों की तुलना में बहुत कम है।

निष्कर्ष

चूंकि भारत की अधिकांश पनडुब्बियां 25 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, इसलिए हमारी अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए भारत में पनडुब्बी निर्माण की योजना को तेज करने की आवश्यकता है। यह आने वाले वर्षों में हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए जरूरी है।

1.2. रक्षा निर्यात (Defence Exports)

रक्षा निर्यात – एक नज़र में

- **रक्षा निर्यात** रक्षा उत्पादन में **आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार के अभियान** का एक प्रमुख स्तंभ है।
- यह **सामरिक और आर्थिक दोनों कारणों से महत्वपूर्ण है**। साथ ही, यह सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है।

भारत से रक्षा निर्यात

- भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2016–17 में 1521 करोड़ रुपये था, जो **वित्त वर्ष 2021–22 में बढ़कर 13,000 करोड़ रुपये हो गया।**
- वित्त वर्ष 2021–22 में, रक्षा निर्यात में **निजी क्षेत्रक का योगदान 70 प्रतिशत है,** शेष हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रक का है।
- वर्तमान में, भारत विश्व भर के **75 से अधिक देशों को विभिन्न उपकरणों का निर्यात** कर रहा है।
- **तीन भारतीय कंपनियां वर्ष 2020 की रैंकिंग में शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों में शामिल थीं।** ये शीर्ष कंपनियां हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) हैं।
- **निर्यात किए गए प्रमुख रक्षा उपकरण:** बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, हल्के वजन वाले टारपीडो, हथियार का पता लगाने वाले रडार, अग्नि नियंत्रण प्रणाली, अपतटीय गश्ती जलयान आदि हैं।

रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की योजना:** यह निर्यातकों को सरकार द्वारा उनके उत्पाद प्रमाणित कराने का अवसर प्रदान करती है।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को स्वदेशीकरण सहायता:** इसके तहत सरकार उन वस्तुओं की "सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची" जारी करती है, जिनका आयात नहीं किया जा सकता है। ये चयनित उत्पाद केवल घरेलू उद्योग से ही खरीदे जा सकते हैं।
- **रक्षा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण:** रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) को विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- **निवेश संवर्धन और इज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB):** एक पूरी तरह से एंड–टू–एंड ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य निर्यात प्रमाणीकरण अनुमति प्राप्त करना और उसे संसाधित करना है।
- **विदेश मंत्रालय की विशेष भूमिका:** मंत्रालय रक्षा उत्पादों को आयात करने हेतु देशों के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, इसे भारतीय मिशनों में रक्षा क्षेत्र से संबंद्ध प्रतिनिधियों (Defence Attaches) को बढ़ावा देने का अधिकार भी प्राप्त है।

चुनौतियां

- **लालफीताशाही:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) लालफीताशाही से ग्रस्त हैं। साथ ही, ऐसी वैश्विक धारणा है कि ये निर्धारित समय एवं लागत पर उत्पाद डिलीवर नहीं कर पाते हैं।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी मुद्दे:** भारतीय रक्षा उद्योग कुछ ऐसे हथियार प्लेटफॉर्म (टैंक T–90, Su–30 लड़ाकू विमान आदि) का विनिर्माण कर रहा है, जिनका IPR मूल विदेशी उपकरण विनिर्माताओं (OEMs) के पास है।
- **निम्न उत्पादकता:** इससे प्रति यूनिट लागत अधिक हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप, अंतिम उत्पाद महंगे हो जाते हैं। इस प्रकार, ये उत्पाद खरीदार को लुभा नहीं पाते हैं।
- **लक्षित देशों की पहचान:** भारतीय निर्यात मुख्य रूप से सैन्य उपकरणों के असेंबली/ सब–असेंबली/ घटकों पर केंद्रित है। इस प्रकार लक्षित देशों के बारे में एक पैटर्न स्थापित करना मुश्किल हो जाता है।
- **अन्य मुद्दे:** डिजाइनिंग और विकास क्षमताओं का अभाव (विशेषकर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में), उद्योग–शिक्षा–रक्षा जुड़ाव का अभाव आदि।

आगे की राह

- रक्षा क्षेत्र से संबंद्ध प्रतिनिधियों (Defence Attaches) की भूमिका बढ़ाकर **नए बाजारों,** विशेष रूप से विकासशील देशों **पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।**
- रक्षा उत्पादों को मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए **शुल्क और करों से छूट दी जानी चाहिए।**
- कई राष्ट्रों के साथ **नियमित सैन्य अभ्यास किए जाने चाहिए।** इसका उद्देश्य उन राष्ट्रों की आवश्यकताओं को समझने और हमारे रक्षा निर्यात में व्याप्त अंतरालों को भरना है।
- नियोजित लक्ष्यों की तुलना में निर्यात की वास्तविक प्रगति की निगरानी के लिए रक्षा **निर्यात प्रोत्साहन/ सुविधा एजेंसी की स्थापना** की जानी चाहिए।
- **एक 'पूर्ण पैकेज निर्यात'** की आवश्यकता है, क्योंकि संभावित खरीदार न केवल एक हथियार बल्कि उससे संबंधित विभिन्न सेवाओं के 'पूर्ण पैकेज' में रुचि लेगा।

1.2.1. ब्रह्मोस (BrahMos)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **फिलीपींस** ने **ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद** के लिए 375 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं।

ब्रह्मोस के बारे में

- **ब्रह्मोस, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली** है। इसे भूमि स्थित और समुद्र-आधारित लक्ष्यों के विरुद्ध भूमि, समुद्र और हवा से दागा जा सकता है।
    - ब्रह्मोस को **एक संयुक्त सहयोग के आधार पर भारत {रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO)} और रूस (NPO मशीनो-स्टोनिया) द्वारा विकसित** किया गया है ।
    - इसका नामकरण **भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी** के नाम पर किया गया है।
- यह **दो चरणों वाली मिसाइल** है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट इंजन है।
- यह **दागो और भूल जाओ के सिद्धांत** पर कार्य करती है।
- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)[9] के तहत निर्धारित बाध्यताओं के कारण, मिसाइल की रेंज **मूल रूप से 290 कि.मी. तय** की गई थी।
    - भारत वर्ष 2016 में MTCR में शामिल हुआ था। इसके बाद से इस सीमा को 450 कि.मी. और बाद के चरण में 600 कि.मी. तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

अन्य समकक्ष मिसाइल प्रणालियां

- **चीनी HD-1 सुपरसोनिक मिसाइल** एक व्यापक हथियार प्रणाली है। इसमें मिसाइल, लॉन्च, कमान और नियंत्रण, लक्ष्य संकेतन व व्यापक समर्थन प्रणाली इत्यादि विशेषताओं को शामिल किया गया है।
    - इस मिसाइल को विमान और पोतों के साथ-साथ सामान्य भूमि आधारित सैन्य वाहनों से भी लॉन्च किया जा सकता है।
    - HD-1 को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम ईंधन की आवश्यकता होती है। इसके कारण मिसाइल का वजन हल्का हो जाता है। इससे यह तीव्र गति से और दूर तक उड़ान भरने में सक्षम हो जाती है।
- **टॉमहॉक का यू.एस.ए. और उसके सहयोगियों द्वारा उपयोग किया जाता है।** यह एक **सबसोनिक क्रूज मिसाइल** है। यह लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली तथा सभी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम मिसाइल है। इसे पोतों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। यह 1,000 मील दूर तक के लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है।
- **इज़राइल की सी-ब्रेकर (Sea Breaker),** 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली स्वायत्त व सटीक-निर्देशित मिसाइल प्रणाली है। इसे महत्वपूर्ण समुद्री और भूमि आधारित लक्ष्यों को भेदने हेतु विकसित किया गया है।
- **P-800 ओनिक्स/याखोंत (Oniks/Yakhont)** एक रूसी सुपरसोनिक पोत-रोधी क्रूज मिसाइल है। इसे एक प्रभावी मार्गदर्शन प्रणाली के आधार पर विकसित किया गया है। यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित है।

[9] Missile Technology Control Regime

1.3. रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance in Defence Manufacturing)

रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता – एक नज़र में

आत्मनिर्भरता की आवश्यकता

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, जम्मू–कश्मीर एवं उत्तर–पूर्वी राज्यों में विद्रोह तथा वामपंथी उग्रवाद।
- **क्षेत्रीय शक्ति:** क्षेत्र में एक पूर्ण सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए अपरिहार्य।
- **आर्थिक लाभ:** हथियारों के आयात पर निर्भरता कम करना। साथ ही, चालू खाता घाटा कम करना।
- **प्रौद्योगिकी में उन्नति:** सशस्त्र बलों की युद्ध लड़ने की क्षमताओं में सुधार, नए हथियारों का विकास आदि।

भारत के रक्षा औद्योगीकरण को पांच विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

- **स्वतंत्रता से 1960 के दशक के मध्य तक:** ब्रिटिश भारत के आयुध कारखानों ने राज्य के स्वामित्व वाले रक्षा उद्योग को आधार प्रदान किया।
- **1960 के दशक से वर्ष 1980 तक:** आत्मनिर्भरता (Self–Reliance) की जगह स्वावलंबन (Self–Sufficiency), लाइसेंसीकृत उत्पादन और प्रत्यक्ष खरीद की प्रभावी कार्यप्रणाली को अपनाया गया।
- **1980 के दशक के मध्य से 2000 के दशक के प्रारंभ तक:** विदेशी कंपनियों के साथ सह–विकास और सह–उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **2000 के दशक के मध्य से वर्ष 2014 के अंत तक:** निजी क्षेत्रक की 100 प्रतिशत भागीदारी की अनुमति दी गई।
- **वर्ष 2014 से वर्तमान तक:** मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से आत्मनिर्भरता, अधिक–से–अधिक राजनीतिक और नौकरशाही इच्छाशक्ति, निजी क्षेत्रक की अधिक भागीदारी आदि पर बल दिया गया।

रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं

- **आयात पर अत्यधिक निर्भरता।**
- आत्मनिर्भरता की निगरानी के लिए **एक व्यापक नीतिगत ढांचे और तंत्र की अनुपस्थिति।**
- हितधारकों के बीच **समन्वय का अभाव।**
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश की कमी।**
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी का अभाव।**
- अन्य क्षेत्रकों की तुलना में **रक्षा विनिर्माण क्षेत्रक पर कम ध्यान केंद्रित करना।**

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई पहलें

- **मसौदा रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 तैयार की गई है।**
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 लागू की गई है।**
- सरकार द्वारा **सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (Positive Indigenisation List)** जारी की गई है। इस सूची में शामिल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध होगा।
- रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए **प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) का निर्माण किया गया है।**
- **रक्षा औद्योगिक गलियारों (DICs) का निर्माण** किया जा रहा है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का लाभ उठाने के लिए वैश्विक फर्मों के साथ रणनीतिक साझेदारी मॉडल अपनाया जा रहा है।**

आगे की राह

- प्रगति में तेजी लाने के लिए **5 Is (आइडेंटिफाई, इनक्यूबेट, इनोवेट, इंटीग्रेट और इंडीजेनाइज़) की अवधारणा को अपनाए जाने की** आवश्यकता है।
- हासिल की गई प्रगति की निगरानी को सक्षम बनाने हेतु **आत्मनिर्भरता का अनुमान लगाने के लिए एक डेटा बैंक बनाया जाना चाहिए।**
- रक्षा उत्पादन क्षेत्रक के वित्तपोषण और विकास हेतु **सहायक वित्तीय ढांचे (Conducive Financial Framework) का निर्माण किया जाना चाहिए।**
- प्रमुख रक्षा परिसंपत्तियों की खरीद के लिए **रक्षा आधुनिकीकरण कोष का गठन किया जाना चाहिए।**
- कुशल मानव संसाधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए **समर्पित रक्षा–विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।**
- उन्नत रक्षा विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (Board of Research for Advanced Defence Sciences: BRADS) की सहायता से **नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**

1.3.1. प्रौद्योगिकी विकास कोष (Technology Development Fund: TDF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) के तहत इनोवेटिव रक्षा परियोजनाओं के वित्तपोषण की सीमा को बढ़ाया गया है। इसे वर्तमान के 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना कर दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इनोवेटिव TDF उत्पादों हेतु वित्तपोषण बढ़ाने के लिए **वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% भाग निजी उद्योगों, स्टार्ट-अप्स और अकादमिक जगत के लिए निर्धारित** किया गया है।
- इस प्रकार वित्तपोषण में वृद्धि से रक्षा क्षेत्र में "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को और बढ़ावा मिलेगा।

TDF योजना के बारे में

- TDF का कार्यान्वयन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रक्षा अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक प्रणालियों का निर्माण करके **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु एक माहौल तैयार करना है।**

इस योजना की प्रमुख विशेषताएं

रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्म–निर्भरता को बढ़ावा

यह योजना मेक इन इंडिया के एक भाग के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्म–निर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गयी है।

MSMEs और स्टार्ट–अप्स को प्रोत्साहन

यह योजना सार्वजनिक/ निजी उद्योगों विशेष रूप से MSMEs और स्टार्ट–अप्स की भागीदारी को बढ़ावा देगी। इससे रक्षा उपयोग के लिए अग्रणी तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु एक पारितंत्र सृजित किया जा सकेगा।

बेहतर वित्त प्रणाली

यह योजना कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक के लिए वित्त प्रदान करती है। साथ ही, यह इस उद्योग को अन्य उद्योगों/ शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने की अनुमति देती है।

आसान शर्तें

यह सेनाओं में प्रयोग किए जाने योग्य तकनीकी या प्रोटोटाइप उत्पाद के विकास तक सीमित है। ऐसे उत्पाद या तकनीक की विकास अवधि दो वर्ष है।

रक्षा क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियां

ब्लॉकचेन

गोपनीय सैन्य डेटा की रक्षा करने, साइबर खतरों का मुकाबला करने, रक्षा खरीद प्रक्रिया को सहज बनाने और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुरक्षा आदि के लिए।

इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स

यह स्थिति के बारे में जानकारी और करवाई करने में लगने वाले समय को बेहतर बनाने हेतु जलयान, वायुयान, टैंक, ड्रोन, सैनिकों आदि को कनेक्ट करता है।

साइबर युद्ध क्षमता

इसमें मैलवेयर एवं रैंसमवेयर से लेकर फिशिंग अटैक से मुख्य संस्थाओं की साइबर सुरक्षा शामिल है।

रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस सिस्टम

यह स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करता है, सैनिकों के कार्य संबंधी बोझ में कमी लाता है, चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में मूवमेंट को सुगम बनाता है।

आर्टिफिशियल एंटेलिजेंस (AI)

यह खुफिया, निगरानी और सैन्य परीक्षण (ISR) मिशन की क्षमता को बढ़ाकर तथा स्वचालित शस्त्र प्रणाली को मजबूत करके सैनिकों की जान बचाने में सक्षम है।

इमर्सिव टेक्नोलॉजी

AR/VR का उपयोग फ्लाइट या कॉम्बैट ट्रेनिंग, मैपिंग इंफॉर्मेशन, मूवमेंट मार्कर इत्यादि के लिए लचीले अनुभव का निर्माण करने के लिए किया जाता है।

एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3D प्रिंटिंग)

इसका उपयोग स्थानीय, मांग आधारित उत्पादन, कवच के लिए नए पदार्थों का मिश्रण, स्वतः गर्म होने वाले सैन्य वस्त्र, और गोला–बारूद में किया जाता है।

क्वॉन्टम टेक्नोलॉजी

यह संचार प्रणाली को सुरक्षित बनाता है।

5G

यह तेज स्पीड, कम लेटेंसी, अधिक थ्रोपुट आदि के कारण प्रशिक्षण और युद्ध क्षेत्र संबंधी क्षमताओं में वृद्धि करता है।

1.4. सैन्य लॉजिस्टिक समझौते (Military Logistics Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और वियतनाम ने एक रसद सहायता समझौते[10] पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य रक्षा सामग्री की मरम्मत और रसद की पुनः आपूर्ति के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं को एक दूसरे के ठिकानों के उपयोग की अनुमति देना है।

भारत के सैन्य लॉजिस्टिक समझौते

- भारत ने **क्वाड देशों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका)** के साथ-साथ **फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया** के साथ भी ऐसे समझौते किए हैं।
- भारत वर्तमान में **यूनाइटेड किंगडम** के साथ भी इस तरह के एक समझौते को अंतिम रूप देने हेतु प्रयासरत है। साथ ही, भारत द्वारा अन्य भागीदार देशों जैसे **वियतनाम** के साथ भी इस संबंध में वार्ताएं की जा रही हैं।

सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौते क्या हैं?

- ये सामान्यतः प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं जो ईंधन, राशन और स्पेयर पार्ट्स की पुनः पूर्ति की सुविधा प्रदान करती हैं। साथ ही, इसके तहत बंदरगाहों पर आगमन और संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान एक-दूसरे के युद्धपोतों, सैन्य विमानों और सैनिकों के लिए ठहरने के स्थान (बर्थिंग) तथा रखरखाव की सुविधा प्रदान की जाती है। ये सुविधाएं एक-दूसरे को पारस्परिक आधार पर प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार यह मुख्य रूप से एक-दूसरे को लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाती है।

सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौतों के लाभ

- **भारत की सैन्य पहुंच का विस्तार:** इससे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विभिन्न समुद्री क्षेत्रों तक पहुंच और विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए:
  - रूस के साथ रिसीप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS) से भारत को आर्कटिक क्षेत्र में रूसी सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी।
  - लॉजिस्टिक्स आदान-प्रदान पर समझौता ज्ञापन (LEMOA)[11] भारत को जिबूती, डिएगो गार्सिया, गुआम और सुबिक बे में अमेरिकी सैन्य सुविधाओं तक पहुंच और ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करता है।
- **समय और लागत की बचत:** ऐसे समझौतों के कारण सेनाओं द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)[12] अभियान या द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, जैसे कि प्रत्येक सैन्य परिचालन में शामिल होने लिए अनावश्यक रूप से लॉजिस्टिक हेतु अतिरिक्त व्यय नहीं करने पड़ते हैं। इस प्रकार सेनाओं को ऐसे समझौतों से अनावश्यक रूप से लॉजिस्टिक पर अतिरिक्त व्यय से छुटकारा मिलता है।
- **राष्ट्रों के बीच सहयोग और एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बेहतर क्षमता:** शांति अभियानों, HADR जैसी गतिविधियों में शामिल होने तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिदेश (UN) के तहत सुरक्षा बलों की संयुक्त तैनाती के दौरान एक-दूसरे के सुरक्षा बलों को पारस्परिक आधार पर सुविधा प्रदान करने से राष्ट्रों के सहयोगात्मक संबंध बेहतर होते हैं।

---

[10] logistics support pact

[11] Logistics Exchange Memorandum of Agreement

[12] Humanitarian Assistance and Disaster Relief

- **सामरिक महत्व:** इससे किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों में अपनी सीमाओं से दूर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना सरल हो जाता है। इसके अलावा, सुदूर स्थित जलक्षेत्रों तक देश की रणनीतिक पहुंच और उपस्थिति का विस्तार होता है।
- **भारतीय नौसेना को बढ़त:** इन समझौतों के कारण सैन्य परिचालन की उत्पादकता में सुधार हुआ है तथा बीच समुद्र (high seas) में भारतीय और साझेदार नौसेनाओं की एक साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता को भी मजबूती मिली है।

निष्कर्ष

भारत एक दशक से भी अधिक समय से सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौतों को संपन्न करने से कतराता रहा है। लेकिन बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और मुखर होते चीन ने भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें लॉजिस्टिक्स समझौते भी शामिल हैं।

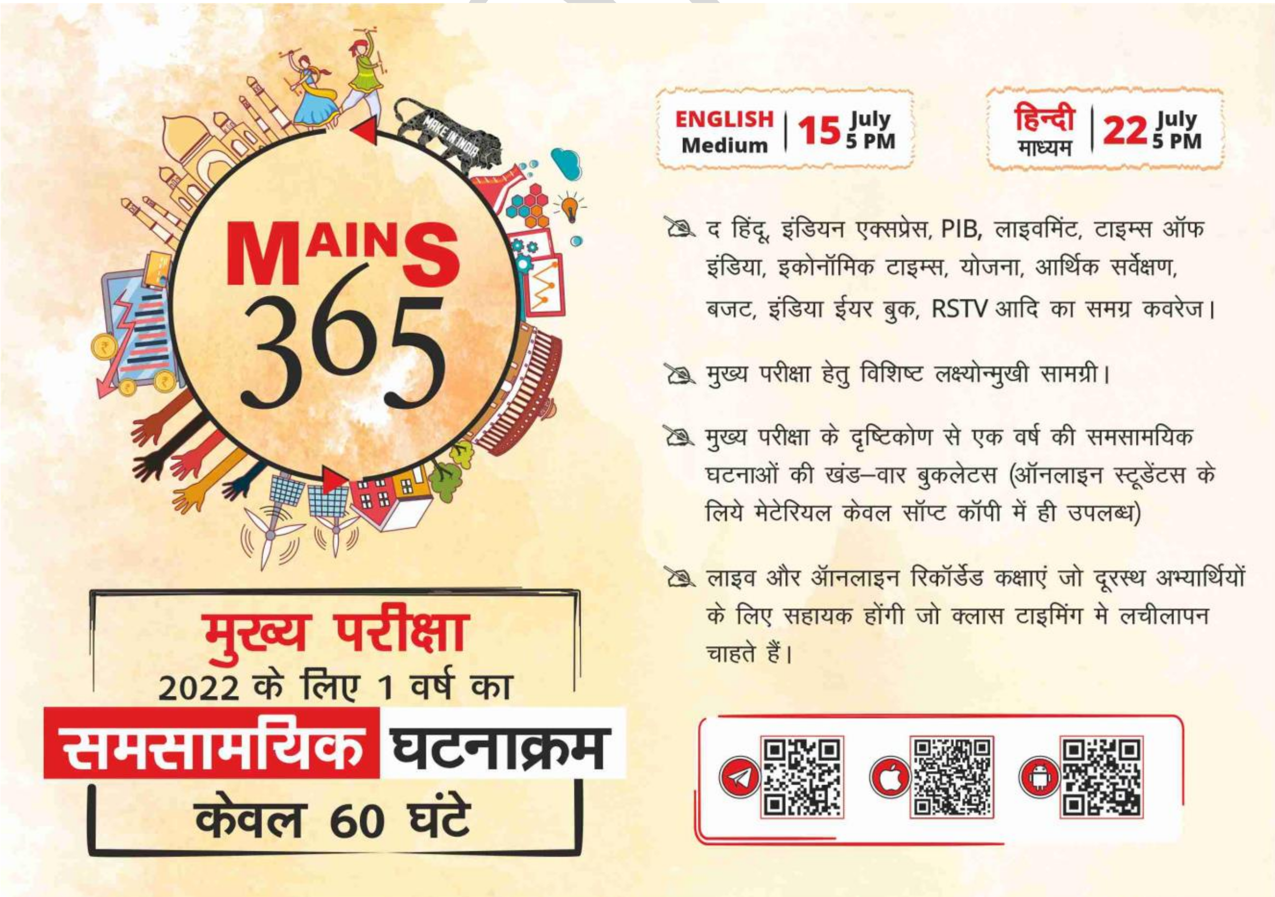

2. डेटा संरक्षण (Data Protection)

2.1. डेटा गोपनीयता और नवाचार (Data Privacy and Innovation)

डेटा गोपनीयता और नवाचार – एक नज़र में

डेटा सूचना, तथ्यों, अवधारणाओं, मतों या निर्देशों का एक ऐसा सेट होता है, जो संचार, व्याख्या या मानव द्वारा या स्वचालित माध्यम से प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त होता है।

व्यक्तिगत डेटा: किसी सामान्य व्यक्ति से संबंधित डेटा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति की पहचान करता है।

गैर-व्यक्तिगत डेटा: वह डेटा जो एक पहचाने जाने योग्य सामान्य व्यक्ति से संबंधित नहीं है।

डेटा गोपनीयता में 3 प्रमुख तत्व हैं:
- व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण।
- व्यक्तिगत डेटा के उचित संचालन, प्रसंस्करण, संग्रहण और साझा करने की प्रक्रिया।
- डेटा सुरक्षा कानूनों का अनुपालन।

उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता पर डेटा संचालित नवाचार के प्रभाव

- **डेटा उल्लंघन:** इसका उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसे- अपमान, पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, उत्पीड़न, डेटा पर चुपके से नज़र रखना आदि।
- **व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग:** इसे असमान व्यवहार या भेदभाव के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- **व्यक्तिगत स्वायत्तता का ह्रास:** किसी व्यक्ति के अपनी बात रखने या आवागमन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही, स्वायत्त विचार को खतरे में डालकर विचारों को प्रभावित कर सकता है।
- **वास्तविक विकल्पों का अभाव:** उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता सुरक्षित रखने के विकल्पों को प्रतिबंधित करता है।
- **डेटा के दुरुपयोग की संभावना:** उपयोगकर्ताओं का डेटा के उपयोग और संबंधित प्रथाओं पर बहुत कम नियंत्रण होता है।

नवाचार में गोपनीयता संबंधी मुद्दों के लाभ

- डेटा के स्वैच्छिक साझाकरण को प्रोत्साहित करके **प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा संग्रह को सक्षम बनाता है।**
- गोपनीयता बढ़ाने वाली तकनीकों के क्षेत्र में **एक विशेष बाजार निर्मित होता है।**
- **विश्वास के माध्यम से उपभोक्ता मांग उत्पन्न करता है।**
- **रचनात्मकता को सुगम बनाना:** निगरानी और प्रोफाइलिंग जैसे मुद्दों के खिलाफ सुरक्षा की भावना पैदा करता है।
- डेटा तक पहुंच के साथ-साथ एक समान अवसर स्थापित करके **प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है।**

नवाचार में गोपनीयता को महत्त्व देने से संबंधित चुनौतियां

- प्रतिबंधात्मक गोपनीयता का पूर्ण अनुपालन बनाए रखने से **लागत में वृद्धि होती है।**
- प्रौद्योगिकी और गोपनीयता कानूनों के संबंध में अनिश्चित विनियामक परिवेश के कारण **व्यापार अनिश्चितता व्याप्त है।**
- **पूर्वोपाय सिद्धांत (Precautionary Principle)** नवाचारों को अपनाने से पहले सावधानी, रोक और समीक्षा पर जोर देता है। यह सिद्धांत उद्यमशीलता के विचारों और स्टार्टअप संस्कृति को हतोत्साहित कर सकता है।
- **बड़ी कंपनियों का बाजार पर नियंत्रण:** नियमों के अनुपालन में **तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों, इंटरनेट पर सुरक्षा कवच (walled gardens) के निर्माण और डेटा एकाधिकार** जैसे कारणों से छोटी कंपनियों, स्टार्ट-अप आदि को अत्यधिक क्षति।
- **बाधित सूचना प्रवाह।**

आगे की राह: नवाचार की रक्षा करते हुए डेटा गोपनीयता को बढ़ावा देना

- **व्यक्तिगत डेटा सेटों का गुमनामीकरण:** छद्मनामीकरण/ पहचान मिटाने (Pseudonymization/ De-identification), अनामीकरण (Anonymization) और सूचना को सांख्यिकीय डेटा में बदलने जैसी तकनीकों द्वारा।
- **केवल प्रासंगिक डेटा** एकत्र करना और उसका इष्टतम उपयोग करना।
- **विनियामक व्यवस्थाओं में सुधार करना।**
- गोपनीयता का सम्मान करने वाले तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना।
- गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करके या समाप्त करके कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने वाली डेटा प्रबंधन प्रथाओं के डिजाइन के माध्यम से गोपनीयता को प्रोत्साहित करना।
- स्टार्टअप्स के लिए डेटा तक पहुंच बढ़ाने हेतु सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध डेटासेट बनाना।
- **डेटा सशक्तीकरण:** यह एक ऐसी प्रक्रिया, जहां लोग स्वयं या बिचौलियों की सहायता से अपने डेटा को नियंत्रित करते हैं या नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करते हैं।

2.2. भारत में डेटा संरक्षण (Data Protection in India)

डेटा सुरक्षा – एक नज़र में

डेटा संरक्षण से तात्पर्य उन **नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा** के संग्रह एवं उपयोग के कारण उनकी **गोपनीयता में घुसपैठ को कम** करती हैं।

यह आश्वासन देता है कि **डेटा दोषयुक्त नहीं है, यह केवल अधिकृत उद्देश्यों** के लिए ही सुलभ है।

यह संगठनों के लिए जवाबदेही तय करता है और अनधिकृत प्रसंस्करण से रोकता है।

भारत में डेटा संरक्षण

- भारत में डेटा सुरक्षा के लिए **कोई समर्पित कानूनी तंत्र नहीं** है।
- वर्तमान में **कुछ अधिनियम/निर्णय सामान्य रूप से डेटा संरक्षण को कवर** करते हैं।
  - **निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है** {जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामला}।
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43A उपयोगकर्ता के डेटा को दुरुपयोग से बचाती है।
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम** आदि जैसे अन्य अधिनियम भी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने का प्रयास करते हैं।

भारत के लिए डेटा संरक्षण में चुनौतियां

- **व्यापक कानून का अभाव।**
- **भारत में डेटा स्थानीयकरण की क्षमता का अभाव है।**
- **निजी क्षेत्र की कई कंपनियां डेटा सक्रियता में शामिल** होती हैं। इससे एकसमान डेटा सुरक्षा ढांचे को लागू करना मुश्किल हो जाता है।
- **डेटा की सत्यता और मात्रा** के कारण डेटा रिकॉर्ड को हैंडल करना कठिन हो जाता है।

डेटा सुरक्षा की आवश्यकता

- डेटा का अपर्याप्त संरक्षण उपभोक्ता विश्वास को कम करके नकारात्मक बाजार प्रभाव पैदा कर सकता है।
- डेटा के औद्योगिक मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे यह **एक नई मुद्रा** बन गई है।
- **डिजिटल संप्रभुता की रक्षा** के लिए।
- डेटा सुरक्षा **हमारे गोपनीयता संबंधी अधिकारों के दायरे को स्पष्ट** करने में सहायता करेगी।
- महामारी के दौरान **डेटा संग्रह में वृद्धि।**
- **साइबर अपराधों में बढ़ती चालाकी।**

डेटा सुरक्षा ढांचे के लिए ध्यान दिए जाने वाले सिद्धांत

- यह बदलती प्रौद्योगिकियों/अनुपालन के मानकों को ध्यान में रखते हुए **लचीला होना चाहिए।**
- कानून **निजी क्षेत्र और सरकारी संस्थाओं दोनों पर लागू होने चाहिए।**
- डेटा के किसी भी प्रकार के प्रसंस्करण के लिए **उपयोगकर्ता की तथ्यपरक सहमति** और नियंत्रक की जवाबदेही होनी चाहिए।
- **संसाधित किया जाने वाला डेटा कम-से-कम मात्रा में होना चाहिए।** इसके अतिरिक्त, यह उन उद्देश्यों के लिए आवश्यक होना चाहिए, जिनके लिए संसाधित करने की मांग की गई है।
- पर्याप्त क्षमता से युक्त **उच्चाधिकार वाले वैधानिक प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन।**

2.2.1. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 {The Personal Data Protection Bill (PDP Bill), 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर मसौदा रिपोर्ट को एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने बहुमत से अपनाया। JPC ने इसे अंतिम रूप देकर अंगीकृत कर लिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **PDP विधेयक को पहली बार वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया गया था** और उस समय इसे जांच के लिए **संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को अग्रेषित कर दिया गया था।**
  - PDP विधेयक, 2019 के प्रावधान, विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण) रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित हैं।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

प्रावधान	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक (PDP Bill), 2019 की मुख्य विशेषताएं	संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा की गई सिफारिशें
वैयक्तिक डाटा (ऐसा डाटा जो किसी व्यक्ति की पहचान कर सकता है)	• यह **विभिन्न प्रकार के वैयक्तिक डाटा** के संबंध में चर्चा करता है, जैसे कि ○ **संवेदनशील वैयक्तिक डाटा** (वित्त, स्वास्थ्य, आधिकारिक पहचान-पत्र, यौन जीवन संबंधी, यौन अभिविन्यास, बायोमेट्रिक, आनुवंशिकी, ट्रांसजेंडर स्थिति, मध्यलैंगिक स्थिति, जाति या जनजाति, धार्मिक या राजनीतिक विश्वास या संबद्धता से संबंधित)। ○ **महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा** (सैन्य या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित डाटा तथा सरकार इसे समय-समय पर परिभाषित कर सकती है)। ○ **सामान्य वैयक्तिक डाटा-** वे डाटा जो संवेदनशील और महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा के श्रेणी में नहीं आते हैं।	• **अवैयक्तिक डाटा को भी कानून के दायरे में शामिल** किया जाना चाहिए।
प्रयोज्यता (Applicability)	• यह विधेयक **निम्न माध्यमों से वैयक्तिक डाटा के संसाधन को नियंत्रित करता है-** ○ सरकार ○ भारत में निगमित कंपनियां ○ भारत में व्यक्तियों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित विदेशी कंपनियां।	
डाटा संग्रहण करने वाली संस्थाओं के दायित्व (एक इकाई या व्यक्ति जो वैयक्तिक डाटा को एकत्र करता है तथा संसाधित करने के साधन और उद्देश्य को निर्धारित करता है)	• वैयक्तिक डाटा को **केवल विशिष्ट, स्पष्ट और वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है।** • सभी **डाटा संग्रह करने वाली संस्थाओं को कुछ पारदर्शिता और जवाबदेही के उपाय करने चाहिए** जैसे: ○ संरक्षण हेतु सुरक्षोपायों को लागू करना (जैसे डाटा एन्क्रिप्शन तथा डाटा के दुरुपयोग को रोकना)। ○ व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।	• कंपनियों को **डाटा अतिक्रमण की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर देनी होगी।** • यदि डाटा प्रिंसिपल (व्यक्ति या संस्था जो डाटा का स्वामी होता है) से संबंधित जानकारी किसी और को दी जाती है तो इसका अनिवार्य रूप से प्रकटीकरण करना होगा। • **वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को डाटा सुरक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करना,** जिन्हें अंततः चूक या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। • **विशेष रूप से बच्चों के डाटा से संबंधित** कंपनियों को **अतिरिक्त अनुपालन** करने की आवश्यकता होगी।
डाटा प्रिंसिपल (जिस व्यक्ति का डाटा एकत्र और संसाधित किया जा रहा है) के अधिकार	• इनमें निम्न अधिकार शामिल है- ○ **डाटा संग्रह करने वाली संस्थाओं** से यह पुष्टि करने का अधिकार कि क्या उनके वैयक्तिक डाटा को संसाधित किया गया है। ○ डाटा संग्रह करने वाली संस्थाओं द्वारा अपने वैयक्तिक डाटा के **निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने का अधिकार है,** यदि यह अब आवश्यक नहीं है या सहमति वापस ले ली गई है। ○ इसमें **भूलाए जाने का अधिकार भी शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन**	• **उस धारा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा जो किसी व्यक्ति की सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण की अनुमति देता है।** यदि अन्य बातों के अलावा यह आवश्यक है, जैसे कि **सरकार से सेवाओं या लाभों के प्रावधान के लिए** या किसी भी कार्रवाई या गतिविधि के लिए सरकार से लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/परमिट जारी करने हेतु।

	प्रकाशित अपने वैयक्तिक डाटा को मिटाने की अनुमति देता है। साथ ही उन्हें फेसबुक और ट्विटर जैसी संस्थाओं से किसी भी डाटा को सार्वजनिक डोमेन से हटाने के लिए आग्रह करने की स्वतंत्रता देता है।	
सोशल मीडिया मध्यस्थ (Social media intermediaries)	• यह विधेयक ऐसे सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों को अपनी परिभाषा में शामिल करता है जो उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन पारस्परिक क्रिया को सक्षम बनाते हैं तथा जानकारी साझा करने की अनुमति देते हैं। ○ ऐसे सभी मध्यस्थ जिनके पास एक अधिसूचित सीमा से अधिक उपयोगकर्ता हैं तथा जिनकी कार्रवाइयां चुनावी लोकतंत्र या लोक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं, उनके कुछ दायित्व होते हैं। इन दायित्वों में भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र प्रदान करना शामिल है।	• किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तब तक संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि **प्रौद्योगिकी को संभालने वाली मूल कंपनी भारत में एक कार्यालय स्थापित नहीं करती है।** • वे **सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म,** जो मध्यस्थों के रूप में कार्य नहीं करते हैं, **उन्हें प्रकाशक माना जाना चाहिए।** उनके द्वारा पोषित की जाने वाली विषयवस्तु के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही उनके प्लेटफॉर्म पर असत्यापित खातों की विषयवस्तु के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। • ऐसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर विषयवस्तु के विनियमन हेतु भारतीय प्रेस परिषद की तर्ज पर एक **सांविधिक मीडिया विनियामक प्राधिकरण** स्थापित किया जा सकता है।
डाटा संरक्षण प्राधिकरण (Data Protection Authority)	• यह विधेयक एक डाटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है। यह प्राधिकरण **व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने, वैयक्तिक डाटा के दुरुपयोग को रोकने** और विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने **के लिए कदम उठा सकता है।**	• इस कानून के तहत डाटा को प्रबंधित और संसाधित तथा विनियमित करने के लिए एक **डाटा संरक्षण प्राधिकरण (DPA)** स्थापित किया जाना है। यह **सभी मामलों** (न कि केवल नीतिगत मामलों में) **में केंद्र सरकार के निर्देशों से बाध्य** होगा।
भारत के बाहर डाटा का स्थानांतरण	• संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा को प्रसंस्करण के लिए भारत के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, यदि व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति दी गई हो और जो कुछ अतिरिक्त शर्तों के अधीन हो। हालांकि, ऐसे संवेदनशील वैयक्तिक डाटा को भारत में ही संगृहीत रखा जाना चाहिए। • **महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा को केवल भारत में संसाधित किया जा सकता है।** • संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा के अतिरिक्त अन्य वैयक्तिक डाटा के लिए ऐसे विशेष अधिदेश नहीं होते हैं।	• केंद्र सरकार को **डाटा प्रोत्साहन पर एक व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए तथा उसकी घोषणा** करनी चाहिए। • विदेशी संस्थाओं के पास पहले से मौजूद **संवेदनशील और महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा प्रतियों की समयबद्ध तरीके से देश में वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए।** • Ripple (संयुक्त राज्य अमेरिका) और INSTEX (यूरोपीय यूनियन) की तर्ज पर **सीमा पार भुगतान के लिए एक वैकल्पिक स्वदेशी वित्तीय प्रणाली का विकास** किया जाना चाहिए। • सरकार को **सभी डिजीटल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों के औपचारिक प्रमाणन प्रक्रिया** हेतु एक तंत्र स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जिससे डाटा सुरक्षा के संबंध में ऐसे सभी उपकरणों की अखंडता/सत्यनिष्ठा सुनिश्चित होगी।
छूट	• **केंद्र सरकार अपनी किसी भी एजेंसी को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे सकती है:** ○ राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में।	• छूट के लिए **आधार के रूप में लोक व्यवस्था को हटाया जाना चाहिए।** • ऐसी छूट प्रदान करने के लिए **न्यायिक या संसदीय निरीक्षण** की व्यवस्था होनी चाहिए। • विशेष एजेंसी को विधेयक के दायरे से छूट

	○ उपर्युक्त मामलों से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध (अर्थात्, वारंट के बिना गिरफ्तारी) को घटित होने से रोकने के लिए। • **वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण को भी कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए विधेयक के प्रावधानों से छूट दी गई है जैसे:** ○ किसी भी अपराध के निवारण, जांच या अभियोजन; ○ वैयक्तिक, घरेलू; ○ पत्रकारिता के उद्देश्य से।	प्रदान करने के कारणों सहित एक लिखित आदेश जारी किया जाना चाहिए।

3. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

3.1. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

साइबर सुरक्षा – एक नज़र में

साइबर सुरक्षा के बारे मे

- साइबर स्पेस में एकत्रित जानकारी या संपत्ति को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, बाधा, संशोधन या विनाश से **सुरक्षित करने की प्रक्रिया** साइबर सुरक्षा कहलाती है।
- साइबर स्पेस में **लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंतर्संबंध** होता है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा नेटवर्क के विश्वव्यापी वितरण द्वारा समर्थित होता है।
- **भारत,** वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (Global Cybersecurity Index: GCI) 2020 में चीन और पाकिस्तान से आगे **10वें** (194 देशों में) स्थान पर है।

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता

- **राष्ट्रीय सुरक्षाः** कई देश (चीन सहित) साइबर हमलों में क्षमता विकसित कर रहे हैं, जो युद्ध के समय निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
- यह बांधों, आपातकालीन सेवाओं, बिजली और ऊर्जा, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं आदि जैसे **महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा** करने के लिए आवश्यक है।
- **सरकार का डिजिटल प्रयास** बड़ी संख्या में नागरिकों, कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को ऑनलाइन लेनदेन हेतु प्रेरित कर रहा है।
- **डिजिटल रूप से असुरक्षित लक्ष्य** (1.15 बिलियन से अधिक फोन और 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता)।
- **आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए** (अगले 10 वर्षों में साइबर हमलों के कारण नुकसान 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है)।
- **स्टार्टअप डिजिटल प्रयास** (भारत डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है)।

साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ

- व्यापक **डिजिटल निरक्षरता।**
- अपर्याप्त सुरक्षा अवसंरचना वाले **निम्न कोटि के उपकरणों का उपयोग।**
- सुभेद्यता के बारे में जानकारी साझा करने में **निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का संकोच।**
- अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए **आयात पर निर्भरता।**
- **एजेंसियों के बीच समन्वय की स्पष्ट कमी।**
- **पर्याप्त बुनियादी ढांचे** और प्रशिक्षित कर्मचारियों **की कमी।**
- **अन्य चुनौतियाँ:** राज्य स्तर पर क्षमता की कमी, भौगोलिक बाधाओं का अभाव, भारत के बाहर स्थित अधिकांश सर्वर, साइबर स्पेस में तेजी से विकसित हो रही तकनीक आदि।

साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा तंत्र

- **विधायी उपाय**
  - **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020:** राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित, विश्वसनीय, लचीला और जीवंत साइबर स्पेस सुनिश्चित करना।
  - **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013:** इसका उद्देश्य साइबर स्पेस में सूचना के बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और साइबर घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** साइबर सुरक्षा के लिए डेटा एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के माध्यम से किए गए लेनदेन आदि के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **संस्थागत उपाय**
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)।
  - भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT–In)
  - राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC)।
  - रक्षा मंत्रालय ने रक्षा साइबर एजेंसी का गठन किया।
  - राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)।
  - साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर)
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ोतरी:** साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन को अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए।
- **विभिन्न संस्थानों/एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना** और साइबर सुरक्षा के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण तैयार करना चाहिए।
- बदलते साइबर परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए आई. टी. अधिनियम में संशोधन करना व साइबर सुरक्षा नीति को अपडेट करना आवश्यक है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए **साइबर बीमा ढांचे** और साइबर ऑडिट की **स्थापना की जानी चाहिए।**
- **क्षमता निर्माण** और कौशल विकास जरूरी है।
- साइबर संचालन के लिए **तेलिन मैनुअल (Tallinn manual) जैसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना चाहिए।**

3.1.1. क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा (Regional Cyber Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय** ने पहला **कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC)** वर्चुअल वर्कशॉप आयोजित किया। इसका विषय **"रक्षात्मक संचालन, डीप/डार्क वेब हैंडलिंग और डिजिटल फोरेंसिक पर क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं का विकास[13]"** है।

कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC)

- CSC, को पहले **समुद्री सुरक्षा पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर की त्रिपक्षीय बैठक (वर्ष 2011)** कहा जाता था। **भारत, श्रीलंका और मालदीव इसके सदस्य** हैं। **बांग्लादेश, मॉरीशस एवं सेशेल्स इसके पर्यवेक्षक** हैं। इसका सचिवालय **कोलंबो** में स्थित है।
- यह सदस्य देशों को सहयोग के अपने **निम्नलिखित चार स्तंभों** के माध्यम से साझे सुरक्षा खतरों पर प्रभावी ढंग से **क्षमता निर्माण करने में मदद करता है:**
  - समुद्री सुरक्षा और संरक्षा,
  - आतंकवाद एवं कट्टरता,
  - तस्करी व संगठित अपराध तथा
  - साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा।

क्षेत्रीय स्तर पर संचालित कुछ पहलें

- सदस्य देशों के मध्य साइबर सुरक्षा खतरों से जुड़ी सूचनाओं और उपकरणों के साझाकरण हेतु **प्रशांत साइबर सुरक्षा परिचालन नेटवर्क** (PaCSON)[14] का गठन किया गया है।
- दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान/ASEAN) के सदस्यों ने 11 स्वैच्छिक व गैर-बाध्यकारी मानदंडों के सैद्धांतिक अंगीकरण पर अपनी सहमति व्यक्त की है। ये मानदंड **यू.एन. ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स (UNGGE)[15] की वर्ष 2015 की रिपोर्ट** द्वारा अनुशंसित हैं।
- **सिंगापुर-आसियान साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (ASCCE)[16]** की भी स्थापना की गई है। यह तकनीकी क्षमता निर्माण के माध्यम से साइबर सुरक्षा की सामान्य समझ को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- **यक्ष (YAKSHA) नामक एक यूरोपीय संघ-आसियान साझेदारी** की भी शुरुआत की गई है। यह विशेष राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने में मदद करता है। इसके लिए यह यूरोपीय संघ की तकनीकी समझ और स्थानीय ज्ञान का लाभ उठाता है।

दक्षिण एशिया द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दे

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था:** इस क्षेत्र की डिजिटल अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे दक्षिण एशियाई देश साइबर हमलों के लिए अधिक लक्षित हो जाएंगे।
- **ज्ञान अंतराल:** इस अंतराल हेतु साइबर सुरक्षा से संबंधित मौजूदा बेहतर प्रथाओं, नीतियों, सुरक्षा संबंधी बेसलाइन और ढांचे पर सहायक एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन की कमी उत्तरदायी है।
- **क्षमताओं और बुनियादी ढांचे की कमी:** कई दक्षिण एशियाई देश, साइबर सुरक्षा पर रणनीतिक मानसिकता, नीतिगत तैयारी और संस्थागत निरीक्षण के अभाव से ग्रसित हैं। इस क्षेत्र में प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी है।
- **क्षेत्रीय समन्वय का अभाव:** इसका मुख्य कारण अविश्वास और पारदर्शिता की कमी है। एक एकीकृत ढांचे की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र बहुत कम निवेश प्राप्त करता है।
- **तीव्र तकनीकी प्रगति:** इससे खतरे की निगरानी एवं उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया और अधिक कठिन बन गई है।
- **देशों द्वारा संभावित उपयोग:** कई देशों द्वारा सैन्य उद्देश्यों के लिए ICT क्षमताओं को विकसित किया जा रहा है।
- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं से खतरा:** आपराधिक समूहों और आतंकवादियों सहित दुर्भावनापूर्ण गैर-राज्य अभिकर्ताओं की विविधता तथा उनके अलग-अलग उद्देश्य, क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

[13] Developing Regional Cyber Security Capabilities on Defensive operations, Deep/Dark web handling and Digital Forensics

[14] Pacific Cyber Security Operational Network:

[15] U.N. Group of Governmental Experts

[16] ASEAN Cybersecurity Centre of Excellence

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

आगे की राह

- **बहु-हितधारक दृष्टिकोण** के माध्यम से क्षेत्रीय संगठनों में **साइबर मानदंडों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता** दी जानी चाहिए।
- क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास कर क्षमता-निर्माण वाले संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, जैसे- साइबर विशेषज्ञता पर वैश्विक मंच (GFCE)[17]। इससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जा सकेगी और सूचना साझाकरण हो सकेगा।
- बुनियादी साइबर सुरक्षा स्वच्छता के बारे में मुख्यधारा के उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए **जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए।**
- साइबर सुरक्षा (सुभेद्यता प्रबंधन, सुभेद्यता प्रबंधन प्रक्रिया, बग बाउंटी कार्यक्रम आदि) के गतिशील प्रबंधन को अपनाने और/या लागू करने की दिशा में **प्रासंगिक अभिकर्ताओं को अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रदान** की जानी चाहिए।
- उभरते हुए राष्ट्रीय विनियामक और औद्योगिक उपागमों में **सामंजस्य सुनिश्चित** करना चाहिए। साथ ही, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए सुरक्षा-केंद्रित व्यवहार हेतु प्रोत्साहन प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

3.2. भारत में साइबर निगरानी (Cyber Surveillance in India)

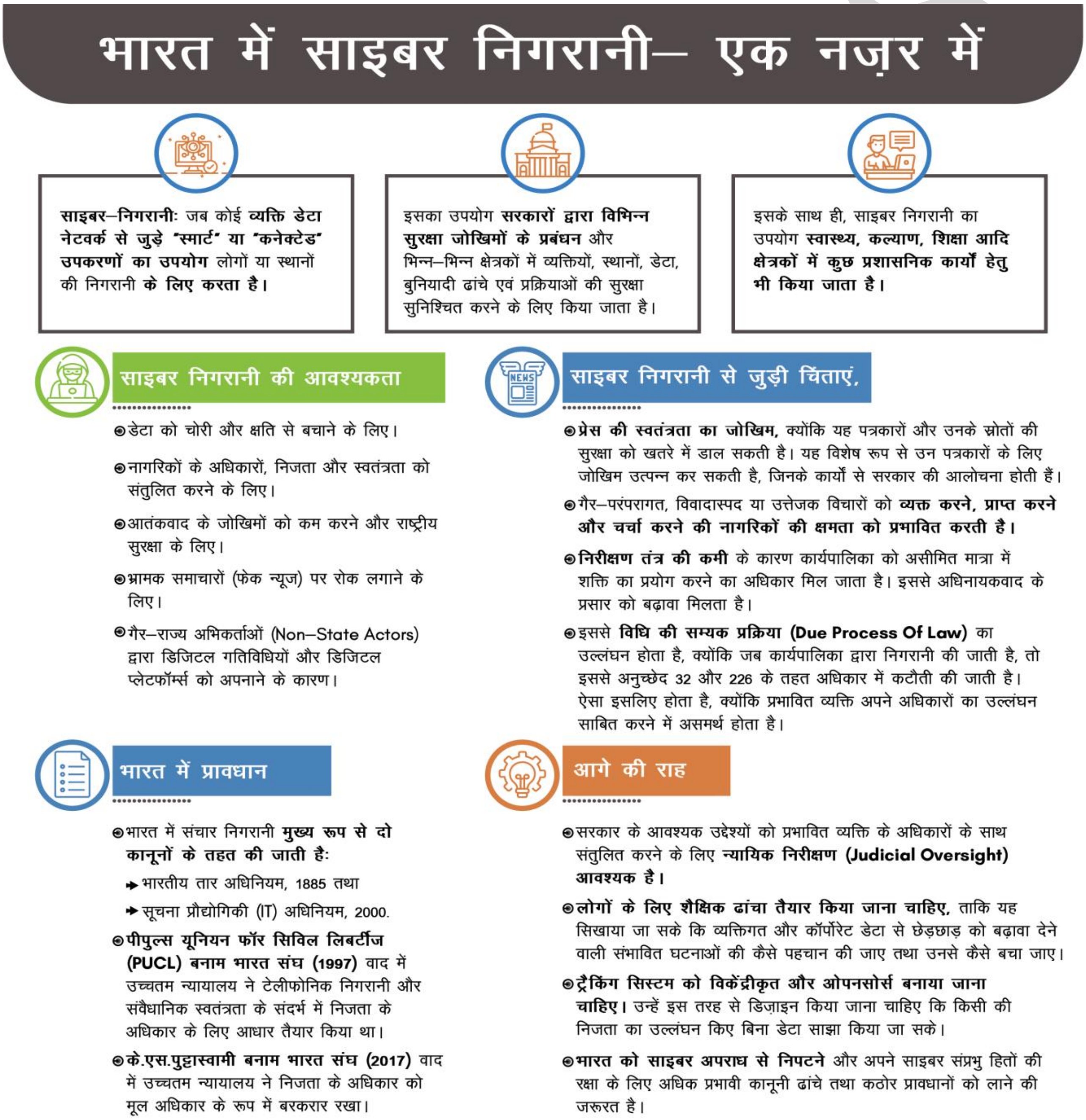

[17] Global Forum on Cyber Expertise

3.3. आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 {The Criminal Procedure (Identification) Act, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022** को राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस अधिनियम के बारे में

- इस अधिनियम को **'अपराधियों की पहचान अधिनियम, 1920'** के स्थान पर लाया गया है।
  - वर्ष 1980 में, **भारत के विधि आयोग** ने अधिनियम को आपराधिक जांच में **आधुनिक प्रवृत्ति के अनुरूप ढालने** की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया था।
  - वर्ष 2003 में, **मलिमथ समिति** ने अपराधियों का डेटा, जैसे DNA के लिए खून के नमूने, बाल, लार, शुक्राणु आदि **संग्रहीत करने के लिए मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत करने** हेतु अधिनियम को संशोधित करने की सिफ़ारिश की थी।
- **उद्देश्य:** इस अधिनियम का उद्देश्य इसके प्रावधानों के तहत किए जाने वाले "मापन" के दायरे और कार्यक्षेत्र को बढ़ाना है। यह अपराध करने वाले व्यक्ति की पहचान स्थापित करने और आपराधिक मामलों को सुलझाने में जांच एजेंसियों की मदद करेगा।

इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी (टेबल देखें):** यह अधिनियम **संग्रहीत किए जाने वाले डेटा के प्रकार, वे व्यक्ति जिनसे ऐसा डेटा प्राप्त किया जा सकता है** और इस **संग्रहण को अधिकृत करने वाले प्राधिकारी** के क्षेत्रों को विस्तृत करता है।
- **विवरण का प्रतिधारण:** इस अधिनियम के तहत संग्रहित किए गए विवरण को संग्रहण की तारीख से लेकर 75 वर्षों तक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा।
- **मजिस्ट्रेट की शक्ति:** इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत जांच या कार्यवाही करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को विवरण देने के लिए निर्देशित कर सकता है।
- **नियम बनाने की शक्ति को केंद्र सरकार तक विस्तृत करना:** पहले अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास थी। अब अधिनियम द्वारा इस अधिकार को केंद्र सरकार तक विस्तृत कर दिया गया है।

1920 और 2022 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बीच तुलना

	1920 का अधिनियम	2022 के अधिनियम में बदलाव
किस डेटा के संग्रहण की अनुमति है	• अंगुली का निशान, पदचिह्न छाप, तस्वीरें।	• आंख की पुतली और रेटिना का स्कैन; भौतिक, जैविक नमूने और उनका विश्लेषण; व्यवहार संबंधी विशेषताएं जिनमें हस्ताक्षर, लिखावट या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 या 53A में संदर्भित कोई अन्य परीक्षण शामिल है।
किन व्यक्तियों का डेटा संग्रहीत किया जाएगा।	• एक वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति • ऐसे व्यक्ति जिन्हें अच्छा व्यवहार और शांति बनाए रखने हेतु सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया हो। • मजिस्ट्रेट अन्य मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति के डेटा संग्रहण का आदेश दे सकता है, ताकि आपराधिक जांच में सहायता मिल सके।	• किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्धि या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति। लेकिन, जैविक नमूने बलपूर्वक तरीके से केवल ऐसे व्यक्ति से लिए जा सकते हैं जिसे किसी महिला या बालक के विरुद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया हो या जब अपराध के लिए न्यूनतम 7 वर्षों के कारावास का दंड हो। • किसी निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया व्यक्ति। • मजिस्ट्रेट के आदेश पर, जांच में सहायता के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से विवरण लिये जा सकते हैं, न कि केवल गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से।
किन व्यक्तियों को डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है/ कौन से व्यक्ति डेटा संग्रहण का निर्देश दे सकते हैं?	• अन्वेषण अधिकारी, पुलिस चौकी का प्रभारी अधिकारी, या उप निरीक्षक या उससे उच्च पद का अधिकारी। • मजिस्ट्रेट	• किसी पुलिस चौकी का प्रभारी अधिकारी या मुख्य कांस्टेबल या उससे उच्च पद का अधिकारी। इसके साथ ही जेल के मुख्य वार्डन। • प्रथम दर्जे का मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। जिस मामले में व्यक्तियों को सुव्यवहार और शांति बनाए रखने के लिए कहा जाए, वहां कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

अधिनियम को लेकर चिंताएं:

- **यह अधिनियम निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।** (इंफोग्राफिक्स देखें)

- **विधि आयोग के अवलोकन से भिन्न:** यह अधिनियम किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को शामिल करते हुए उन व्यक्तियों के समूह का विस्तार करता है जिनका डेटा संगृहीत किया जा सकता है। **यह अधिनियम मजिस्ट्रेट की शक्तियों का भी विस्तार करता है,** जिसके तहत जांच में सहायता के लिए मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति से डेटा संग्रहीत करने का आदेश दे सकता है।

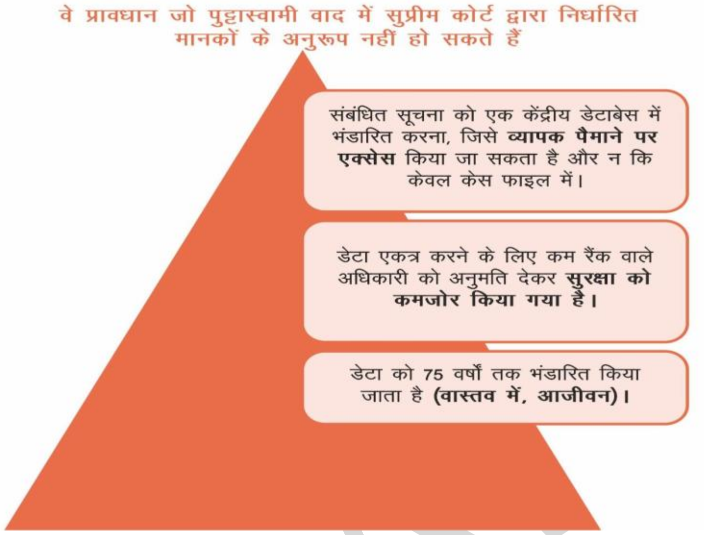

- **अन्य समस्याएं:**
  - विवरण एकत्र करने वाले व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता के बारे में चिंताएं हैं क्योंकि विवरण के संग्रहण के लिए कोई भी मानकीकृत मानदंड निर्धारित नहीं हैं।
  - प्रस्तावित विवरणों, विशेष रूप से जैविक नमूनों और उनके विश्लेषण के रिकॉर्ड वाले डेटाबेस के गुणवत्ता प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए NCRB के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।
  - संगृहीत किए गए डेटा के उपयोग पर कोई सीमा नहीं है और 'विश्लेषण' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संग्रहण और 'मापन' के प्रयोग को लेकर स्पष्टता के अभाव के कारण इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।

निष्कर्ष

मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला कानून अपनी सीमा, विस्तार और अनुमति दी गई हस्तक्षेप की प्रकृति के संदर्भ में **पर्याप्त रूप से स्पष्ट और सटीक** होना चाहिए। साथ ही, अधिकारियों द्वारा शक्तियों के **दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय** भी किए जाने चाहिए।

3.3.1. फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology: FRT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने कहा कि **फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT)** को जल्द ही 4 हवाई अड्डों पर शुरू किया जाएगा।

फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में

- फेशियल रिकॉग्निशन का आशय चेहरा पहचाने की तकनीक से है। यह किसी **व्यक्ति के चेहरे के माध्यम से उसकी पहचान को सुनिश्चित करने या उसकी व्यक्तिगत पहचान की पुष्टि करने** हेतु उपयोग की जाने वाली एक विधि है।
- यह **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** से जुड़ी कई प्रक्रियाओं और तकनीकों पर **निर्भर करता है।**
  - इसमें व्यक्ति के चेहरे के विवरण के आधार पर पैटर्न को ग्रहण किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और तुलना की जाती है। इसमें **फेस डिटेक्शन, फेस कैप्चर और फेस मैच** शामिल हो सकते हैं।
  - इसमें **भीड़ पर जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करने** की भी क्षमता है।

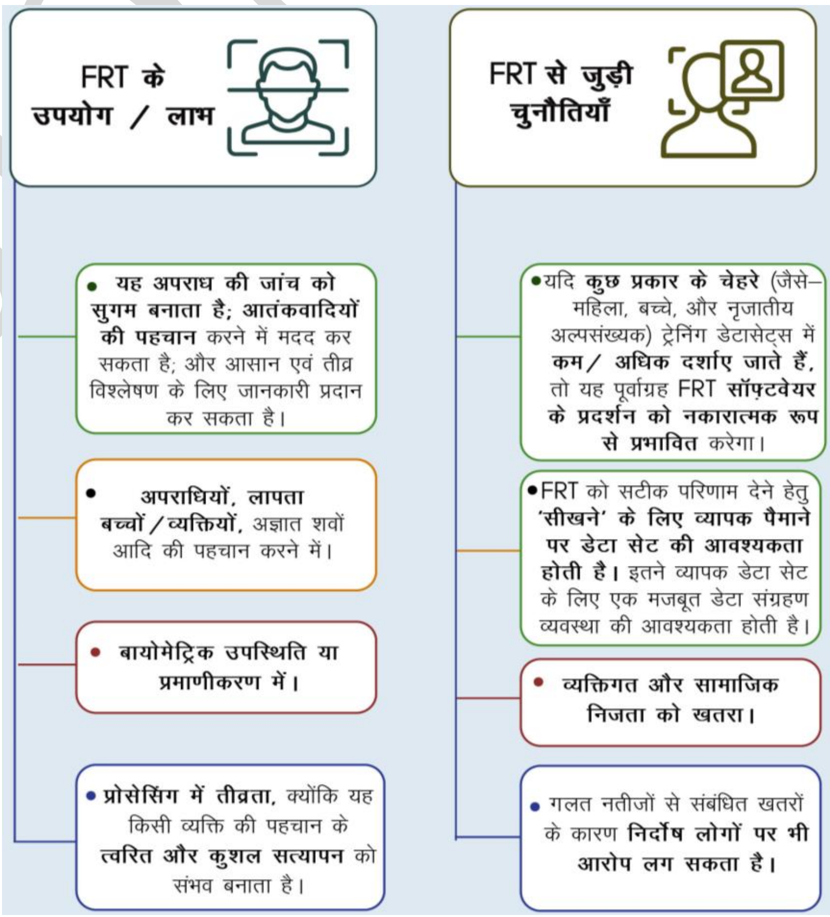

संबंधित सुर्ख़ियां

सरकार ने नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (NAFRS) लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

- NAFRS का उपयोग संपूर्ण भारत में पुलिस द्वारा किया जाएगा और इसे **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)[18]** द्वारा जारी किया जाएगा।
- यह **दिल्ली** से संचालित किए जाने वाला एक मोबाइल एवं वेब-आधारित एप्लिकेशन है। यह अपराध की रोकथाम करने और पता लगाने तथा तीव्र दस्तावेज़ सत्यापन में मदद करेगा।
- इसे अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (CCTNS)[19], एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS)[20], राज्य-विशिष्ट डेटाबेस सिस्टम और खोया-पाया पोर्टल जैसे **अन्य वर्तमान डेटाबेस के साथ जोड़ा** जाएगा।
- यह अपराध की जांच या एक अपराधी की पहचान (फेस मास्क, मेकअप, प्लास्टिक सर्जरी, दाढ़ी, या लम्बे बालों से प्रभावित हुए बिना) करने के लिए **फेशियल रिकॉग्निशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा।**

आगे की राह

- **स्पष्ट कानून की आवश्यकता:** नागरिक स्वतंत्रता के हित में और लोकतंत्र को सत्तावादी के रूप में परिवर्तित होने से रोकने हेतु एक सुदृढ़ तथा सार्थक डेटा संरक्षण कानून को अधिनियमित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, NAFRS के वैधानिक प्राधिकार और उसे लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों को भी अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।
- **क्षेत्र में विशेषज्ञता की आवश्यकता:** सोशल मीडिया प्रोफाइल से एकत्र किए गए डेटा में प्रामाणिकता से संबंधित जोखिम बने रहते हैं। इसलिए, विशेषज्ञों द्वारा ऐसे विवरणों को संग्रहीत करने से पूर्व सत्यापित किया जाना चाहिए। एकत्रित डेटा और डेटाबेस के दुरुपयोग एवं हेराफेरी को रोकने हेतु उन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा संभावित जांच योग्य साक्ष्यों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** इंग्लैंड में भी गंभीर हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग किया जाता है।
- **चीन:** यह उइगर मुस्लिमों को ट्रैक करने के क्रम में नस्लीय प्रोफाइलिंग और सामूहिक निगरानी के लिए फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग करता है।

- **पर्याप्त सुरक्षा उपाय:** फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के दुरुपयोग एवं दुरुपयोग होने की संभावना को कम करने के लिए कानून लागू करने वाले निकायों की जवाबदेही को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त निगरानी के साथ दंड जैसे सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

---

[18] National Crime Records Bureau

[19] Crime & Criminals Tracking Network and Systems

[20] Integrated Criminal Justice System

3.4. महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure)

महत्वपूर्ण अवसंरचना – एक नज़र में

इसमें ऐसी **आवश्यक भौतिक और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं शामिल हैं,** जिनके बाधित या नष्ट हो जाने की स्थिति में राष्ट्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक या सामाजिक कल्याण प्रभावित हो सकता है।

बांध, विद्युत एवं ऊर्जा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, सरकारी सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), परिवहन, न्यूक्लियर रिएक्टर आदि **किसी देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना के भाग माने जाते हैं।**

महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए खतरे

- **प्राकृतिकः** भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, मौसम की चरम दशाएं (तूफ़ान, बाढ़ आदि) अग्नि इत्यादि।
- **मानवीय–कारणः** आतंकवाद, साइबर हमले, प्रोडक्ट टेंपरिंग (उत्पाद को विकृत करना), आर्थिक जासूसी आदि।
- **दुर्घटना या तकनीक जनित खतरेः** खतरनाक पदार्थों से होने वाली दुर्घटनाएं, परिवहन से संबंधित दुर्घटनाएं, विद्युत ग्रिड की विफलता, सुरक्षा प्रणाली की विफलता आदि।

महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा में चुनौतियां

- कई संगठनों के पास अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए **पर्याप्त प्रशिक्षित सुरक्षा पेशेवर नहीं हैं।**
- अपनी प्रणाली की सुभेद्यताओं (Vulnerabilities) के बारे में **सूचना साझा करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का संकोच।**
- **एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी,** क्योंकि इनमें से कुछ एजेंसियां प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को रिपोर्ट करती हैं, जबकि अन्य एजेंसियां रक्षा मंत्रालय आदि को रिपोर्ट करती हैं।
- **भारत में हार्डवेयर के साथ–साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों में स्वदेशीकरण की कमी है।**

भारत में महत्वपूर्ण अवसंरचना के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

- **विधायी उपाय**
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, 2020
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- **संस्थागत उपाय**
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
  - भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT–In)।
  - राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC)।
  - रक्षा साइबर एजेंसी।
  - राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)।

आगे की राह

- सुरक्षा के भौतिक, कानूनी, साइबर और मानवीय आयामों के समाधान हेतु एक व्यापक सुरक्षा नीति विकसित करने की आवश्यकता है।
- महत्वपूर्ण अवसंरचना के मध्य परस्पर निर्भरताओं के साथ–साथ **प्रणाली की कमजोरियों की बेहतर समझ की आवश्यकता है।**
- **राज्य और कॉर्पोरेट क्षेत्र के मध्य** व्यापक सहयोग और एक कार्यात्मक **साझेदारी।**
- **साइबर कार्यबल का निर्माण और विकास करना, ताकि** पर्याप्त कौशल तथा प्रतिभा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- बिजनेस प्लान, अनुबंधों और संचालनों में **एकीकृत एवं संधारणीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा उद्देश्य** शामिल किए जाने चाहिए।

3.4.1. विद्युत क्षेत्रक में साइबर सुरक्षा (Cyber Security in Power Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **विद्युत क्षेत्रक में साइबर सुरक्षा** के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा **"केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) (संशोधन) विनियमन, 2019"** की **साइबर सुरक्षा** से संबंधित **धारा 3(10)** के प्रावधानों का उपयोग करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-

निर्देशों का अनुपालन विद्युत क्षेत्रक की सभी संस्थाओं द्वारा किया जाना अनिवार्य है, ताकि साइबर सुरक्षा पारितंत्र का निर्माण किया जा सके।

  - यह पहली बार है कि विद्युत क्षेत्रक में साइबर सुरक्षा पर एक व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

- ये दिशा-निर्देश विद्युत क्षेत्रक से संबंधित सभी संस्थानों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों के लिए आवश्यक उपायों और कार्रवाइयों को निर्धारित करते हैं, **ताकि विद्युत क्षेत्रक में साइबर सुरक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके।**
- इन दिशा-निर्देशों में मौजूद सभी नियमों का सभी हितधारकों द्वारा पूरी तरह से पालन किया जाना अनिवार्य है और निम्नलिखित पर बल देते हैं:
  - **साइबर सुचिता स्थापित करना,**
  - **साइबर सुरक्षा पर सभी IT और OT कार्मिकों का प्रशिक्षण,**
  - **साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को नामित करना,**
  - **देश में साइबर परीक्षण प्रयोगशालाएं नामित करना।**
- ये दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए 'विश्वसनीय स्रोतों' से और निर्धारित 'विश्वसनीय उत्पादों' की ICT[21] आधारित खरीद को अनिवार्य करते हैं; या अन्यथा जब विश्वसनीय उत्पाद और सेवा के लिए प्रणाली मौजूद हो तो विद्युत आपूर्ति प्रणाली नेटवर्क में उपयोग करने से पहले मैलवेयर/हार्डवेयर ट्रोजन हेतु उत्पाद के परीक्षण को अनिवार्य करते हैं।

संबंधित सुर्ख़ियां

दूरसंचार क्षेत्रक पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (National Security Directive on the Telecom Sector)

- भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा **चीन की उपकरण विनिर्माता कंपनी हुवावे (Huawei)** से उत्पन्न वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को भारत ने **दिसंबर 2020 में NSDTS** को स्वीकृति प्रदान की।
  - **साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, संदिग्ध दूरसंचार उपकरण के आपूर्तिकर्ताओं, आत्मनिर्भरता हासिल करने आदि,** जैसी चिंताओं के कारण NSDTS की आवश्यकता महसूस की गई थी।
- NSDTS साइबर हमलों, डेटा की चोरी और खतरा उत्पन्न करने वाली अन्य आभासी कमजोरियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **भारत का प्रथम और सबसे व्यापक ढाँचा** है।
  - NSDTS के तहत, सरकार देश के दूरसंचार नेटवर्क में स्थापना के लिए **विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की एक सूची घोषित** करती है।
  - यह सूची उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में **दूरसंचार पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मंजूरी** के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- इन निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू प्रतिभागियों को विश्वसनीय श्रेणी में योग्यता/पात्रता प्राप्त करना होगा। इसके लिए उन्हें दूरसंचार विभाग की **अधिमान्य बाजार पहुंच (PMA)[22] योजना** के मानदंडों को पूर्ण करना होगा।
  - **PMA योजना** के अंतर्गत घरेलू स्तर पर विनिर्मित उन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद को वरीयता प्रदान की जाएगी, जो सुरक्षा निहितार्थ की दृष्टि से देश के लिए आवश्यक हैं।
- **विश्वसनीय स्रोतों से ही नए उपकरणों की खरीद की जाएगी।**
- जून 2021 में सरकार ने **ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल (TTP) लॉन्च किया था।** इसका लक्ष्य **विश्वसनीय उत्पादों को स्वीकृति प्रदान करना है।** इसे दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSP) अपने नेटवर्क में स्थापित कर सकते हैं।

3.5. क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराध (Cryptocurrency Crimes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD)**[23] ने पहली बार भारत में **कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** जारी की है। यह प्रक्रिया स्पष्ट करती है कि क्रिप्टो अपराधों की जांच कैसे की जाए। साथ ही, जांच के दौरान क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कैसे किया जाए तथा उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए। BPRD, **गृह मंत्रालय** के तहत एक थिंक टैंक है।

---

[21] सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

[22] Preferential Market Access

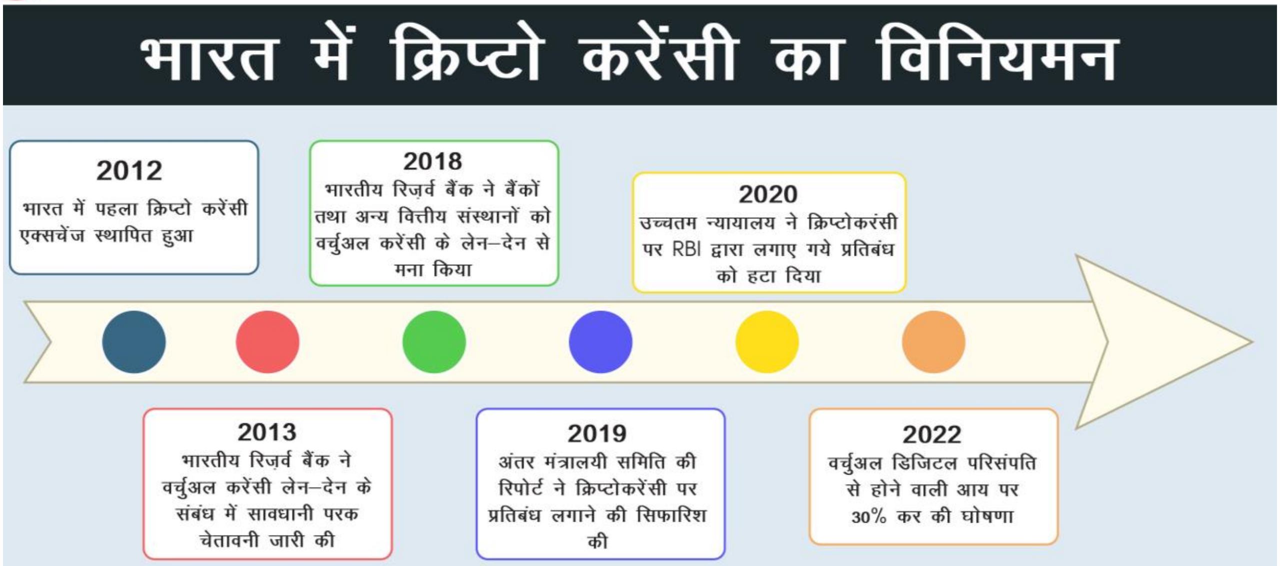

अन्य संबंधित तथ्य

* वर्ष 2021 में, **क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने वाले अवैध लेनदेन में शामिल अनुमानित राशि 14 बिलियन डॉलर थी।** यह वर्ष 2020 के 7.8 बिलियन डॉलर से 79% अधिक राशि है।
* वर्तमान में, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मामलों पर **कोई राष्ट्रीय दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं।** इस कारण जांच के दौरान प्रवर्तन एजेंसियों को अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
* क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल मुद्रा का गुमनाम रूप से कारोबार करने वाले **एक्सचेंज, साइबर एक्सटॉरशन (जबरन वसूली) करने वालों के लिए प्रमुख साधन के रूप में उभरे हैं।**

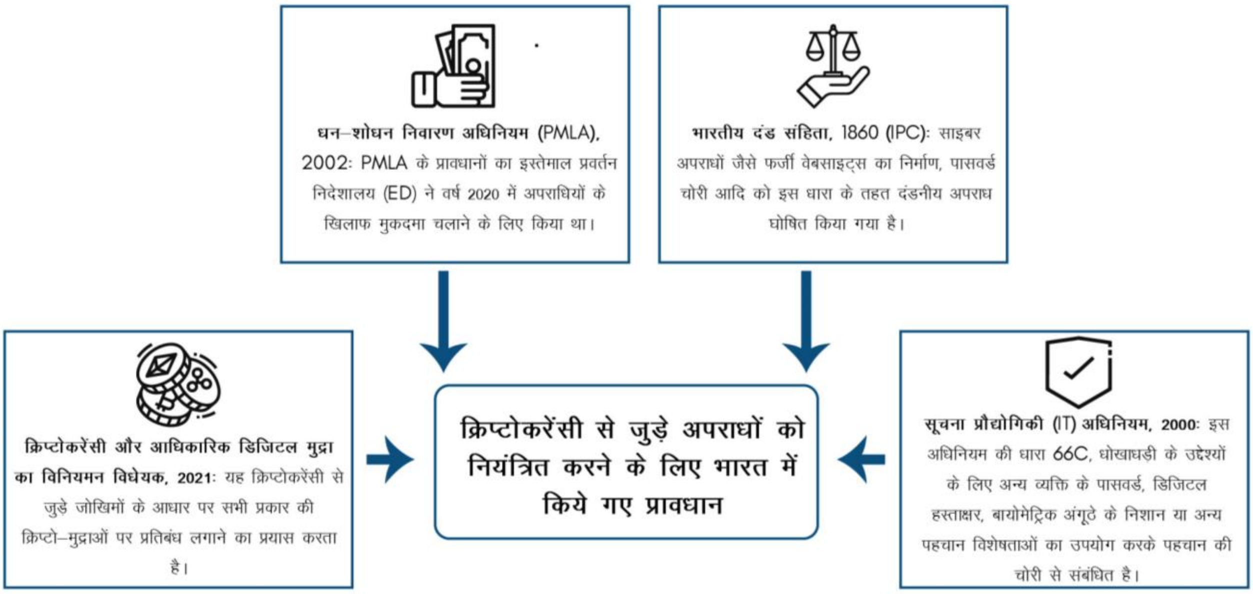

कैसे क्रिप्टोकरेंसी देश के लिए खतरा है?

* **आंतरिक सुरक्षा:**
    * **आतंकवाद:** आतंकवादी संगठन आतंकी कृत्यों और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए **डार्क नेट पर क्रिप्टोकरेंसी का व्यापक उपयोग** करते हैं।
    * **धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग):** क्रिप्टोकरेंसी बाजार, बैंकों की तरह सार्वभौमिक रूप से संरक्षित या विनियमित नहीं है। इस प्रकार इसका उपयोग **तेजी से धन शोधन** के लिए किया जाता है।
    * **जबरन वसूली और रैनसमवेयर:** क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कभी-कभी **जबरन वसूली** के भुगतान के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें मनी ट्रेल (धन-अंतरण की श्रृंखला) का पता लगाना मुश्किल होता है।

[23] Bureau of Police Research and Development

 - **बेनामी या अनामता (Anonymity):** क्रिप्टोकरेंसी प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली अनामता, **कर अधिकारियों** के लिए व्यक्तियों को किये गए लेनदेन का पता लगाना और उनकी कर देनदारियों को सत्यापित करना कठिन बना देती है।
- **व्यक्तिगत खतरा:** अपराधी क्रिप्टो एक्सचेंजों में सेंध लगा सकते हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स को खाली कर सकते हैं और व्यक्तिगत कंप्यूटर्स को मैलवेयर से संक्रमित कर सकते हैं। इससे अपराधी क्रिप्टोकरेंसी सहित व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की चोरी कर लेते हैं।
- **पर्यावरण के प्रतिकूल:** क्रिप्टो माइनर्स, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में जटिल एल्गोरिदम को हल करने के लिए परिष्कृत व ऊर्जा गहन मशीनों का उपयोग करते हैं। इन क्रिप्टो परिचालनों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों से प्राप्त होता है।
- **निवेश जोखिम: क्रिप्टोकरेंसी का कोई मौलिक मूल्य नहीं है**, और इसलिए **किसी भी समय इसका मूल्य शून्य तक गिर सकता है।**

आगे की राह

- **व्यक्तिगत क्रिप्टो वॉलेट:** BPRD दिशा-निर्देशों के अनुसार, जब्त की गई वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को संग्रहित करने के लिए **कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास अपना स्वयं का क्रिप्टो वॉलेट** होना चाहिए। साथ ही, उन्हें जारी जांच में किसी **संदिग्ध के वॉलेट को ब्लॉक करने** या लेनदेन को डिफ्यूज करने के लिए कुंजी (key) को रीसेट करने हेतु क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ संपर्क करने की आवश्यकता होती है।
- **उचित विनियमन:** विनियामक और वित्तीय निकायों को लगातार और तेजी से बढ़ते क्रिप्टो परिसंपत्ति उद्योग में जोखिम को कम करने तथा अनुपालन बेहतर करने के लिए कारगर विनियमों का विकास करना चाहिए।
- **धोखाधड़ी का पता लगाना:** धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकियों को स्वचालित धन शोधन रोधी उपायों को लागू करना चाहिए। ये उपाय वास्तविक लेनदेन से पूर्व संदिग्ध लेनदेन को रोकने या चेतावनी जारी करने में मदद करेंगे।
- **कानूनी ढांचा:** क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराधों को विनियमित करने और उनसे निपटने के लिए भारत में एक **क्रिप्टोकरेंसी विनियमन विधेयक की तत्काल आवश्यकता** है।
- **जागरूकता:** क्रिप्टोकरेंसी चोरी से जुड़े जोखिम को कम करने तथा क्रिप्टो-वॉलेट को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को अपनी पर्सनल-कीज़ रखने के बारे में शिक्षित और सूचित करने की आवश्यकता है।

4. तटीय सुरक्षा (Coastal Security)

तटीय सुरक्षा – एक नज़र में

तटीय सुरक्षा के बारे में

- यह **समुद्री सुरक्षा का एक उपसमूह** है और इसमें समुद्र के माध्यम से उत्पन्न होने वाले खतरों से तटवर्ती जलीय क्षेत्र की **सुरक्षा शामिल** है।
- इसे केंद्र और राज्य स्तर पर **कई हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।**

भारत के लिए तटीय सुरक्षा का महत्व

- तटीय सुरक्षा **समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।**
- यह व्यापार, मत्स्य उत्पादन और सामरिक खनिज अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के साथ **भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका** निभाती है।
- **हिन्द महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत के भू–सामरिक हितों को पूरा करना:** जैसे– चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना, एक पूर्ण सुरक्षा प्रदाता बनना तथा मानवीय सहायता आपदा राहत (HADR) संचालन को कार्यान्वित करना।
- समुद्र जलस्तर में वृद्धि और विकासात्मक गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय निम्नीकरण जैसे **जलवायु जनित संकटों से निपटना।**

तटीय सुरक्षा संरचना का विकास

वर्ष	विकास
1974	तस्करी विरोधी अभियान चलाने के लिए **कस्टम्स मरीन ऑर्गनाइजेशन** (CMO) की स्थापना की गई थी।
1977	तस्करी संबंधी गतिविधियों को रोकने, संपत्तियों की रक्षा करने, मछुआरों की सहायता करने और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए **भारतीय तटरक्षक बल** (ICG) की स्थापना की गई थी।
2005	गश्त और निगरानी को मजबूत करने के लिए तीन स्तरीय संरचना के साथ **तटीय सुरक्षा योजना** तैयार की गई थी।
26/11 हमले के बाद	गश्ती और निगरानी को मजबूत करने के लिए **तीन स्तरीय संरचना के साथ तटीय सुरक्षा योजना** तैयार की गयी। समुद्री प्रक्षेत्र (डोमेन) जागरूकता को मजबूत करने के लिए NC31 **नेटवर्क और सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र** (IMAC) की स्थापना की गई थी। सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण आदि के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ाया गया।
2017	भारतीय नौसेना, थल सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल की परिसंपत्ति को एकीकृत करने हेतु **मैरीटाइम थिएटर कमांड** का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य **नेट–सेंट्रिक वारफेयर मॉडल** (Net–Centric Warfare Model) तैयार करना है।
2020	प्रथम **राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक** नियुक्त किया गया।

मौजूदा संरचना में व्याप्त कमियां

- **राज्य सरकारों के निराशाजनक दृष्टिकोण** के परिणामस्वरूप तटीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की मंद गति।
- **एजेंसियों की बहुलता** के परिणामस्वरूप खराब समन्वय।
- आतंकवाद पर अधिक ध्यान देने के परिणामस्वरूप गैर–पारंपरिक खतरों पर कम बल दिया जाता है।
- **समुद्री पुलिस बलों में पेशेवर व्यवहारों का अभाव और क्षमता की कमी है।**
- **तकनीकी रूप से पिछड़ापन मौजूद है।**

मौजूदा संरचना में विद्यमान कमियों को दूर करने के उपाय

- प्रस्तावित **तटीय सुरक्षा विधेयक** को अधिनियमित करना, जो **राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण** (National Maritime Authority: NMA) का गठन करेगा।
- **केंद्रीय समुद्री पुलिस बल** (CMPF) का गठन करना।
- कुशल, समन्वित और प्रभावी कार्रवाईयों के लिए **राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा दस्तावेज** की घोषणा करना।
- **तटीय समुदाय,** जैसे– मछुआरों **की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना।**
- **तटीय विनियमन क्षेत्र** (CRZ) विनियमों को मजबूत करना।

5. पुलिस सुधार (Policing Reforms)

5.1. पुलिस बल का आधुनिकीकरण (Modernisation of Police Force)

पुलिस बल का आधुनिकीकरण – एक नजर में

भारत में पुलिस एवं कानून व्यवस्था **राज्य सरकारों के दायरे में आती हैं।**

हालांकि, **वित्तीय बाध्यताओं के कारण राज्य सरकारें अपने पुलिस बलों का पूरी तरह से आधुनिकीकरण नहीं** कर पाई हैं।

इसलिए, **गृह मंत्रालय (MHA)** राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजनाओं को लागू करके **राज्यों के प्रयासों और संसाधनों को संपूरित** करता रहा है।

पुलिस आधुनिकीकरण की आवश्यकता

- **नए प्रकार के** प्रौद्योगिकी आधारित **अपराध** (रैनसमवेयर, डार्क वेब आदि) हो रहे हैं।
- **जांच** और प्रवर्तन **में आधुनिक तकनीकों को शामिल करना जरूरी है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों का मुकाबला करने हेतु,** जो प्रायः जटिल और बहु-क्षेत्राधिकारी प्रकृति के होते हैं।

आधुनिकीकरण के समक्ष समस्याएं

- वर्तमान में भी, पुलिस व्यवस्था **भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861** जैसे औपनिवेशिक कानूनों पर आधारित है।
- **पुलिस व्यवस्था का राजनीतिकरण।**
- **पुलिस बलों पर अत्यधिक भार।**
- **अवसंरचनात्मक समस्याएं:** संसाधनों का अभाव (हथियार, कनेक्टिविटी आदि) प्रौद्योगिकी के उपयोग का अभाव इत्यादि।

उठाए गए कदम

- **पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना निम्नलिखित प्रावधान करती है–**
  - पुलिस बलों द्वारा **आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाने** का प्रावधान।
  - राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्वतंत्र **उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक साइंस सुविधाएं।**
  - **जम्मू और कश्मीर,** उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों तथा वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित क्षेत्रों **के लिए सुरक्षा संबंधी परिव्यय।**
- **स्मार्ट पुलिसिंग।**
- **क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क (CCTNS)।**
- **मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006.**

आगे की राह

- राज्य पुलिस बलों को **अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाने चाहिए** और उनके इस्तेमाल के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- बायोमेट्रिक पहचान, चेहरे की पहचान, CCTV कैमरे, GPS, फोरेंसिक साइंस आदि जैसी **उन्नत तकनीकों का उपयोग** किया जाना चाहिए।
- डार्क वेब मॉनिटरिंग सेल तथा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित करके **मौजूदा साइबर सेलों को अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है।**
- अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की कमी को दूर करने के लिए **वार्षिक कार्य योजनाएँ** तैयार की जानी चाहिए।
- बाधाओं को मिशन मोड में दूर करना चाहिए तथा **पुलिस भर्ती अभियान चलाए जाने चाहिए।**
- **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सात निर्देशों को लागू** किया जाना चाहिए।

5.2. विधि प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Technology in Law Enforcement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने जमीनी स्तर पर पुलिस की आवश्यकताओं के लिए भविष्य की तकनीकों को अपनाने और अंतर-संचालित प्रौद्योगिकियों के विकास का आह्वान किया, जिससे देश भर के पुलिस बलों को लाभ होगा।

कानून को लागू करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग

अपराध की निगरानी और मॉनिटरिंग में उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य प्रौद्योगिकियों में CCTV कैमरा, ड्रोन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) शामिल हैं। कई और उभर रही नई प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित हैं:

बॉडी–वॉर्न कैमरा और इन–कार वीडियो
- बेहतर साक्ष्य दस्तावेजीकरण, अधिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के लिए।

ऑटोमैटिक टैग और लाइसेंस प्लेट रीडर
- इसे पेट्रोलिंग गाड़ी के बाह्य हिस्से में लगाया जाता है जो अपने दृश्य दायरे में आने वाले प्रत्येक वाहन के लाइसेंस प्लेट का तुरंत विवरण दे देता है।

बॉयोमेट्रिक्स और हैंड–हेल्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर
- व्यक्ति की पहचान के लिए फिंगर प्रिंट, रेटीना स्कैन और DNA जैसे अद्वितीय जैविक लक्षणों का उपयोग करते हुए बॉयोमेट्रिक्स का उपयोग।

ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग
- पुलिस के सवालों के दौरान संदिग्ध व्यक्ति के मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को समझने के लिए ब्रेन स्कैन का उपयोग किया जाता है।

गूगल ग्लास
- ये मोबाइल इंटरसेप्टर्स हैं जो ट्रैफिक उल्लंघन की फोटो लेकर उन्हें तुरंत पुलिस विभाग के अपने सिस्टम में अपलोड कर देते हैं।
- **वर्तमान में इसका उपयोग भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर किया जा रहा है।**

प्रिडिक्टिव–एनालिसिस सॉफ्टवेयर
- यह अपराध पैटर्न का पता लगाकर उसी के अनुरूप पुलिस की तैनाती में सहायता करता है।
- दिल्ली सरकार ने एक नई तकनीक क्राइम मैपिंग एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव सिस्टम (CMAPS) को शुरू करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है।

पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का महत्व

भारत में, भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 150 से भी कम पुलिस बल नियुक्त हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिस बल की सिफारिश की गई थी। इसलिए प्रौद्योगिकी **एक बल गुणक के रूप में कार्य** कर सकती है जिससे विभिन्न तरीकों से पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है:

- **जनता पुलिस इंटरफेस में सुधार:** भारत में अधिकांश नागरिक पुलिस स्टेशन जाने के विचार से डरते हैं। पुलिस व्यवस्था का डिजटलीकरण करने से नागरिक अपने घर पर आसानी से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए- **पंजाब पुलिस** द्वारा **नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने वाला पोर्टल, सांझ** शुरू किया गया है।

भारत से कुछ श्रेष्ठ उदाहरण

उत्तर प्रदेश पुलिस: एक AI सक्षम ऐप को स्टैक्यू (Staqu) नामक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। यह अपराधियों और उनके सहयोगियों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप देता है और उन्हें खोजता है, तथा जांच के दौरान वास्तविक-समय में जानकारी को पुनः प्रस्तुत कर पुलिस बल की सहायता करता है।

ओडिशा पुलिस: 'मो साथी' (MO SAATHI) नाम का ऐप खतरनाक स्थितियों में फंसी महिलाओं की मदद करता है। यह पुलिस को सचेत करता है, ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग करता है तथा उन्हें आधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम में भेज देता है।

महाराष्ट्र पुलिस: ऑटोमेटेड मल्टीमॉडल बॉयोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AMBIS): यह अपराधियों के फिंगरप्रिंट और तस्वीरों का डिजिटल डेटाबेस है। इसके उपयोग से बॉयोमेट्रिक डेटाबेस पर मानवीय तरीके से की जाने वाली खोज की सीमाओं को समाप्त किया गया है।

- **अपराध निवारण और अपराध का पता लगाना:** अपराध निवारण में **बिग डाटा** एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसका उपयोग अपराध के तरीके और महत्वपूर्ण गतिविधि या अपराध के स्थान की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** का उपयोग अपराध के प्रकार, समय, स्थान के बीच सहसंबंध का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसके पश्चात निष्कर्षों का उपयोग बीट कांस्टेबलों को अधिक प्रभावी ढंग से तैनात करने हेतु किया जा सकता है जिससे अपराध को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है।
  - हाल ही में, सरकार ने **राष्ट्रीय स्वचालित चेहरा पहचान**

प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग में चुनौतियां

निजता का उल्लंघन: यह देखा गया है कि आपराधिक जांच में प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां पुलिस वैयक्तिक जानकारियों की जांच करने लगती है, जो कि जांच के लिए प्रासंगिक नहीं होती हैं।

विनियमन का अभाव: प्रौद्योगिकी के उपयोग को विनियमित करने और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए कानूनों के अभाव में, यह पुलिस पर ही छोड़ दिया जाता है कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है।

खर्चीला कार्य: प्रौद्योगिकी को प्रतिदिन अपडेट किया जा रहा है और परिवर्तित हो रही प्रौद्योगिकी के साथ पुलिस विभाग को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है।

पुलिस अधिकारियों के लिए तनाव में वृद्धि: कई उन्नत प्रौद्योगिकियों को सीखने और लागू करने में अंतर्निहित तनाव शामिल होता है।

प्रणाली (NAFRS) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। यह प्रणाली अपराध की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए या फेस मास्क, मेकअप आदि के बावजूद अपराधी की पहचान करने हेतु चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का उपयोग करेगी।

- **जागरूकता उत्पन्न करना:** सोशल मीडिया का उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों तक पहुंच स्थापित करने हेतु किया जा सकता है। जिससे इन एजेंसियों द्वारा ट्रैफिक जाम, साइबर अपराध से कैसे बचें, अफवाहों को कैसे दूर करें, फेक न्यूज का मुकाबला कैसे करें आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है।
- **आंतरिक दक्षता में सुधार:** मुख्य प्रदर्शन संकेतक जैसे कि आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने में लगने वाला समय, हल किए गए अपराधों के प्रकार, शिकायतों के निवारण में लगने वाला समय, नागरिक प्रतिपुष्टि (फीडबैक) स्कोर का उपयोग किसी अधिकारी के प्रदर्शन को अधिक निष्पक्ष तरीके से निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
- **वास्तविक-समय एकीकरण:** आपराधिक न्याय प्रणाली के पांच स्तंभ अर्थात् पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल और फोरेंसिक हैं। इन स्तंभों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के बीच वास्तविक-समय एकीकरण डुप्लीकेट डाटा प्रविष्टि और त्रुटियों को कम करने में मदद करता है तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता है:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) द्वारा सामना किए जा रहे अन्य मुद्दों जैसे कि जवाबदेही की कमी, महिलाओं का निम्न स्तरीय प्रतिनिधित्व और हथियारों की कमी के समाधान के लिए लंबे समय से लंबित पुलिस सुधारों के साथ-साथ नवीन तकनीक को अपनाया जाना चाहिए।
- **विनियमन प्रौद्योगिकियां:** वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 और डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 के अधिनियमन में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग और निजता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक नियमों का निर्माण किया जा सके।
- **क्षमता निर्माण:** नई प्रौद्योगिकियों के संबंध में अधिकारियों को पर्याप्त समय तक प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि उपकरणों के उपयोग की दक्षता में सुधार कर उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सके और तनाव को कम किया जा सके।
- **डिजिटल विश्वास का निर्माण:** डिजिटल नैतिकता को आत्मसात करने की आवश्यकता है। यह एक व्यापक ढांचा है जिसमें समाज में डिजिटल विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रौद्योगिकी, पारदर्शी डाटा और डिजिटल नैतिकता शामिल हैं।

6. चरमपंथ और आतंकवाद (Extremism and Terrorism)

6.1. नक्सलवाद (Naxalism)

नक्सलवाद – एक नजर में

नक्सलवाद राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का एक रूप है। यह वामपंथी/ माओवादी विचारधाराओं से प्रेरित होता है। इसलिए इसे **वामपंथी उग्रवाद या माओवाद** के रूप में भी जाना जाता है।

भारत में नक्सल विद्रोह की **उत्पत्ति वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा किए गए विद्रोह** से हुई थी।

यह संघर्ष **देश के पूर्वी भाग, विशेष रूप से छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश** में केंद्रित है। इन राज्यों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र को लाल गलियारे के रूप में जाना जाता है।

नक्सलवाद के कारण

- **भूमि संबंधी कारक:** लैंड सीलिंग कानूनों की अस्पष्टता, सरकारी और सामुदायिक भूमियों पर अतिक्रमण, पारंपरिक भूमि अधिकारों का विनियमन न किया जाना आदि।
- **प्रशासन से संबंधित कारक:** भ्रष्टाचार तथा आवश्यक लोक सेवाओं का खराब प्रावधान/ प्रावधान न किया जाना, पुलिस बलों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग, स्थानीय सरकारी संस्थानों की असंतोषजनक कार्य विधि आदि।
- खनन, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के कारण **विस्थापन तथा जबरन बेदखली।**
- **आजीविका संबंधी कारण:** पारंपरिक व्यवसायों का नष्ट होना, वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का अभाव, पारंपरिक अधिकारों से वंचित किया जाना आदि।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने में समस्याएं

- स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं की **उपेक्षा/अनदेखी।**
- पुलिस बलों का **धीमा क्षमता निर्माण** तथा नेतृत्व से संबंधित समस्याएं।
- उग्रवादी **गुरिल्ला युद्ध पद्धति में भलीभांति प्रशिक्षित** होते हैं।
- गहरी माइंस का पता लगाने में **अक्षम तकनीक।**
- नक्सलियों द्वारा **धन–शोधन।**

वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित राज्यों के लिए महत्वपूर्ण पहलें

- गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा **राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना (2015)।**
- **पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत विभिन्न उप–योजनाएं।**
- गृह मंत्रालय की **समाधान (SAMADHAN) रणनीति।**
- **अवसंरचना विकास पहलें,** जैसे– रोड रिक्वायरमेंट प्लान, मोबाइल टावर परियोजना आदि।
- **कौशल विकास योजनाएं,** जैसे– रोशनी, आजीविका महाविद्यालय आदि।
- **संस्थागत उपाय,** जैसे– ब्लैक पैंथर कॉम्बैट फोर्स और बस्तरिया बटालियन।

आगे की राह

- **सर्वोत्तम पद्धतियों** और सफलता की कहानियों से **सीख लेना,** जैसे– आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड्स।
- **मूल कारकों को समाप्त करना,** जैसे– वित्तीय सशक्तीकरण का अभाव, बुनियादी ढांचों और वन अधिकारों से संबंधित समस्याएं आदि।
- माइक्रो या मिनी–UAVs (मानव रहित विमान) या छोटे ड्रोनों, GPS ट्रैकिंग, हैंड–हेल्ड थर्मल इमेजिंग, रडार और सैटेलाइट इमेजिंग आदि जैसी **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।**
- अवैध खनन/ वनों के ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों व उग्रवादियों के बीच के गठजोड़ को तोड़कर **वित्तपोषण को रोका जाना चाहिए।**

6.2. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम {Unlawful Activities (Prevention) ACT (UAPA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह राज्य मंत्री ने देश को UAPA अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

UAPA के बारे में

- विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को **व्यक्तियों और संगठनों के कतिपय** गैर-कानूनी क्रिया-कलापों **का अधिक प्रभावी निवारण** तथा **आतंकवादी गतिविधियों और तत्संगत विषयों** से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था।

इस अधिनियम के प्रावधान

- यह अधिनियम "गैर-कानूनी गतिविधियों" को परिभाषित करता है और **सरकार को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करता है:**
    - इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी/ आतंकी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है, यदि वह:
        - **आतंकवादी कार्य करता है या उसमे भाग लेता है,**
        - **आतंकवाद के लिए स्वयं को तैयार करता है,**
        - **आतंकवाद में अभिवृद्धि करता है या उसे बढ़ावा देता है, या**
        - **अन्यथा आतंकवाद में संलिप्त है।**
    - यह केंद्र सरकार को **'गैर-कानूनी'** घोषित किए गए संगठनों को **अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता** है।
    - इसके तहत **भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर मुकदमा चलाया** जा सकता है। इसके अलावा, यदि भारत के बाहर **विदेशी भूमि पर अपराध** किया गया है, तो इस अधिनियम के तहत उसी रीति से अपराधियों पर क़ानूनी कार्यवाही की जाती है।

UAPA में संशोधन

- **वर्ष 2004 में संशोधन:** इस संसोधन के तहत किसी आतंकवादी गतिविधियों या किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता आदि के लिए निधि जुटाकर आतंकवादी संगठन का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना भी UAPA अंतर्गत शामिल किया गया।
- **वर्ष 2008 में संशोधन:** इसके तहत आतंकी अपराधों के वित्तपोषण की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए "निधि" संबंधी प्रावधान के दायरे को बढ़ाया गया था।
- **वर्ष 2012 में संशोधन:** इसके तहत देश की आर्थिक सुरक्षा के समक्ष जोखिम उत्पन्न करने वाले अपराधों को शामिल करने के लिए **"आतंकवादी कृत्य (terrorist act)"** की परिभाषा को विस्तारित कर दिया गया था।
- **वर्ष 2019 में संशोधन:**
    - इस संशोधन के तहत **एकल व्यक्ति या व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में नामित** करने की शक्ति सरकार को सौंप दी गई। इससे पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया जा सकता था।
    - इसके अतिरिक्त यदि जांच, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)[24] के अधिकारी द्वारा की जाती है, **तो आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने के लिए NIA के महानिदेशक की स्वीकृति अनिवार्य होगी।** (इससे पहले, पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति अनिवार्य होती थी)।
    - इसके तहत मामलों की जांच के लिए इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के **NIA** के अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
    - इस अधिनियम के तहत अनुसूची में परमाणु आतंकवाद संबंधी कृत्यों का दमन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय[25] के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

अन्य आतंकवाद विरोधी कानून

- आतंकवादी और विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (TADA), 1987 — जिसे वर्ष 2004 में समाप्त कर दिया गया।
- आतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA), 2002 — जिसे वर्ष 2004 में समाप्त कर दिया गया।
- महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), 1999 — वर्तमान में लागू है।
- गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण (GCTOC) विधेयक 2019, वर्तमान में लागू है।

[24] National Investigation Agency

[25] International Convention for Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 2005

- **जांच की शक्तियां:** इस अधिनियम के तहत ऐसे मामलों की जांच **राज्य पुलिस और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency: NIA)** दोनों के द्वारा की जा सकती है।
- **अपील प्रणाली:** यह प्रतिबंधित व्यक्ति/संगठनों को **अधिकरण की सहायता से अपील की सुनवाई के लिए भी अधिकार** प्रदान करता है।

वर्तमान समय में भारत के संदर्भ में UAPA कानून का महत्व

- **भारत से आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करना:** आतंकवाद अब भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है।
- **व्यक्ति पर भी केंद्रित:** एकल व्यक्ति या व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित न करना, उन्हें कानून के प्रावधानों में व्याप्त कमियों का फायदा उठाकर बच निकलने का अवसर प्रदान करता था तथा वे ऐसी स्थिति में भिन्न-भिन्न नाम के संगठनों के तहत एकत्रित होकर आतंकी गतिविधियों को संपादित करते रहते थे।
  - यह विशेषकर लोन वुल्फ अटैक (इसमें एकल व्यक्ति पूरी घटना को अंजाम देता है) के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो किसी भी संगठन से संबंधित नहीं होता है।
- **न्याय वितरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के संदर्भ में:** इस अधिनियम के तहत मामलों की जांच करने के लिए इंस्पेक्टर रैंक और उससे ऊपर के रैंक (UAPA में वर्ष 2019 में किए संशोधन से पहले DSP और उससे ऊपर के रैंक इसके लिए अधिकृत थे) के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। साथ ही, 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होती है।

संबंधित तथ्य

- **उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि UAPA के तहत न्यायाधीश जांच अवधि नहीं बढ़ा सकते हैं:**
  - न्यायालय ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि **केवल UAPA की धारा 43D के तहत नामित एक विशेष न्यायालय ही, आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए समय विस्तार के मुद्दे का निवारण करने हेतु अधिकृत होगा। अन्य न्यायाधीश समय विस्तार के ऐसे मामलों के निवारण के लिए प्राधिकृत नहीं है।**
  - उच्चतम न्यायालय ने **बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद, 2020** में भी ऐसा ही निर्णय दिया था।
  - विशेष न्यायालयों को NIA अधिनियम के तहत और ऐसे विशेष न्यायालयों की अनुपस्थिति में **सत्र न्यायालयों के साथ** स्थापित किया जाता है।

- **संपत्ति जब्त करने संबंधी विलंब को कम कर सकता है:** इस अधिनियम में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)[26] के अधिकारी को मामले की जांच के दौरान पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति के बिना आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को जब्त (अभिग्रहण) करने की शक्ति प्रदान की गई है।

UAPA अधिनियम, 2019 से जुड़ी चुनौतियां

- **अस्पष्ट और संदिग्ध परिभाषाएं:** यह अधिनियम आतंकवाद को परिभाषित नहीं करता है। साथ ही, इस अधिनियम में **"गैरकानूनी गतिविधि"** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह लगभग प्रत्येक हिंसक कृत्य को समाहित करती है चाहे वह राजनीतिक हो या गैर-राजनीतिक प्रकृति के हों।
- **अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां:** किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मापदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।
- **अनुच्छेद 14, 19 (1) (a), 21 जैसे मूल अधिकारों को चुनौती:** यह अधिनियम आतंकवादी के रूप में संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी से पूर्व अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं करता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में

प्रमुख संशोधन

- **अपराधों के दायरे को बढ़ाया गया है:** अन्य अपराधों का भी उल्लेख इस कानून की अनुसूची में किया गया है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967
  - इस प्रकार यह संशोधन अन्य अपराधों को शामिल कर NIA के जांच के दायरे को बढ़ाता है। इन अपराधों में मानव तस्करी, जाली मुद्रा या बैंक नोट आदि से संबंधित अपराध शामिल हैं।
- **NIA के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है:** अब NIA के अधिकारियों के पास भारत के बाहर किए गए अपराधों (इस कानून में सूचीबद्ध) की जांच करने की भी शक्ति होगी।
- **विशेष न्यायालय:** यह अधिनियम केंद्र सरकार को इस कानून में सूचीबद्ध अपराधों के ट्रायल (मुकदमा चलाने) के लिए विशेष न्यायालयों के गठन की अनुमति देता है।

- **'दोषी साबित होने तक निर्दोष' जैसे सिद्धांत के विपरीत:** यह अधिनियम सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र[27] और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार वाचा[28] के अधिदेश का उल्लंघन करता है, जो **इस सिद्धांत को एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में मान्यता** प्रदान करता है।

---

26 National Investigation Agency

27 Universal Declaration of Human Rights

- **दोषसिद्धि की कम दर:** वर्ष 2018 और 2020 के बीच UAPA के तहत दर्ज किए गए मामलों में दोष सिद्धि की दर केवल 3.1% थी।
- **अपील प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां:** इस अधिनियम के अंतर्गत अपील हेतु प्रावधान किया गया है, हालांकि अपील संबंधी तीन सदस्यीय पुनर्विलोकन समिति का गठन स्वयं सरकार द्वारा किया जाएगा, जिनमें दो सेवारत नौकरशाह शामिल होंगे।

निष्कर्ष

आतंकवाद का सामना करने के लिए कठोर कानूनों की आवश्यकता है ताकि अधिकारी आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय विधिक रूप से शक्तिहीन महसूस न करें। लेकिन साथ ही, इसके साथ **मानवाधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को भी संतुलित करने की आवश्यकता** है।

आतंकी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए यह अधिनियम महत्वपूर्ण है। हालांकि, कानून की उचित प्रक्रिया का प्रत्येक स्तर पर अधिनियम के तहत शामिल एजेंसियों द्वारा पालन किया जाएगा। साथ ही , ऐसे कानूनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए न्यायपालिका की भूमिका सर्वोपरि है।

6.3. पूर्वोत्तर भारत में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) {Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) in North East}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **पूर्वोत्तर के तीन राज्यों- असम, नागालैंड और मणिपुर** के कुछ हिस्सों से **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958** को आंशिक रूप से हटा लिया है।

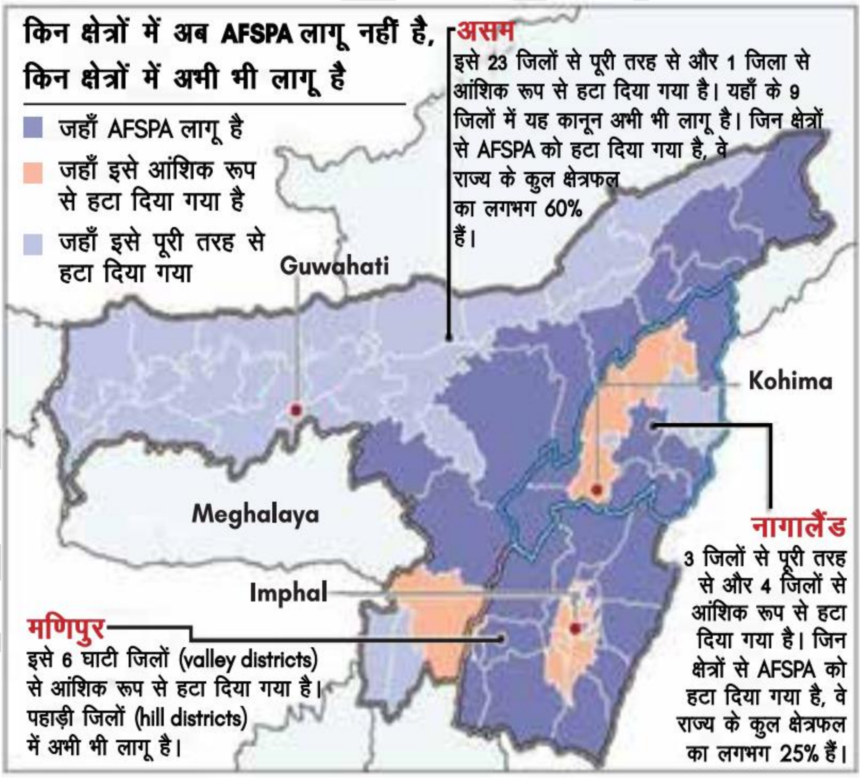

अफस्पा (AFSPA) के बारे में:

- AFSPA, सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में **कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए असाधारण शक्तियां और उन्मुक्तियां**[29] प्रदान करता है।
  - केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूरे या उसके किसी हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
- **अफस्पा की धारा** सशस्त्र बलों को उनके कार्यों के लिए कानूनन बचाव, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने, किसी वाहन को रोकने और तलाशी लेने आदि जैसे प्रावधानों के साथ सशक्त बनाती है।
- वर्तमान में, अफस्पा **असम, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर (इंफाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) तथा अरुणाचल प्रदेश** के कुछ हिस्सों में लागू है।
  - जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को **सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के माध्यम से** अफस्पा के तहत लाया गया था।

---

[28] Universal Declaration of Human Rights

[29] Extraordinary Powers and Immunity

अफस्पा का महत्व

आगे की राह

पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना

- सुरक्षा बलों और सरकार को मौजूदा मामलों को तेजी से ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा, सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से निपटने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

जनता के बीच विश्वास का निर्माण

- राज्य की नौकरशाही, सेना और जमीनी स्तर के नागरिक समाज संगठनों को राज्य की विकासात्मक गतिविधियों में एक साथ आगे आना चाहिए। इससे कानून वहां के समाज के लिए एक सकारात्मक पहलू बन सकेगा।

मामले के अनुसार कानून लागू करना

- सरकार को मामला–दर–मामला आधार पर अफस्पा को लागू करने और हटाने पर विचार करना चाहिए। इसे पूरे राज्य में लागू करने की बजाय केवल कुछ अशांत जिलों तक ही सीमित करना चाहिए।

दिशा–निर्देशों को लागू करना

- सरकार और सुरक्षा बलों को सुप्रीम कोर्ट, जीवन रेड्डी आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का भी पालन करना चाहिए।

सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण

- भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति को साकार करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही, पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक सेतु के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

- **कानून और व्यवस्था की असाधारण स्थिति से निपटने के लिए एक साधन:** किसी क्षेत्र में **अफस्पा** केवल उस स्थिति में लागू किया जाता है, जब देश के सामान्य कानून आतंक फैलाने वाले विद्रोहियों द्वारा उत्पन्न असाधारण स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त हों।
- **विप्लव से निपटने के लिए आवश्यक:** भारत में पहले हो चुके विद्रोही आंदोलनों में अधिकांशतः बाहरी तत्वों द्वारा भारत के खिलाफ छेड़े गए छद्म युद्ध थे। यह बेहतर कानूनी सुरक्षा के साथ एक विप्लव विरोधी भूमिका में सशस्त्र बलों की तैनाती को आवश्यक बनाता है।
- **सुरक्षा संबंधी कमियों को समाप्त करना:** सेना को देशी और विदेशी उग्रवादियों से निपटने के लिए विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है। अंतर्निहित बिंदु यह है कि सेना **अफस्पा** के बिना उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकती है और यदि **अफस्पा** को निरस्त किया जाता है, तो सेना को उस राज्य या क्षेत्र से हटाना होगा। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे में कई कमियां उत्पन्न हो जाएंगी।

अफस्पा के विरोध के कारण

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** सशस्त्र बलों को दी गई विशेष शक्तियों के कारण, उन पर 'अशांत' क्षेत्रों में "फर्जी मुठभेड़ों" तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई आरोप लगाए गए हैं।
    - हाल ही में, नागालैंड के मोन जिले में **एक उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान 14 ग्रामीणों की मौत** हो गई थी।
- **मूल अधिकारों का उल्लंघन:** सशस्त्र बलों को दी गई मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी की शक्ति संविधान के **अनुच्छेद 22** में निहित मूल अधिकार के खिलाफ है। यह अनुच्छेद निवारक और दंडात्मक नजरबंदी के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
- **सुरक्षा कर्मियों के लिए पूर्ण उन्मुक्ति।**

बीच के विकल्प पर पहुंचने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय के निर्णय	• **नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ (1998):** न्यायालय ने माना कि अधिनियम को संविधान का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। ○ हालांकि, न्यायालय ने माना कि निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के संदेह के खिलाफ सेना के जवानों को धारा 4 के तहत न्यूनतम बल का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। साथ ही, राज्य द्वारा हर छह महीने में अधिनियम

	की समीक्षा की जानी चाहिए। • **जुलाई 2016 का निर्णय:** न्यायालय ने सशस्त्र बलों और पुलिस को 'अशांत' घोषित क्षेत्रों (जहां अफस्पा लागू है) में भी "अत्यधिक या प्रतिक्रिया रूपी बल" का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया। • **जुलाई 2017 का निर्णय:** मणिपुर में कथित गैरकानूनी मुठभेड़ में हुई हत्याओं पर न्यायालय के निर्णय ने एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम को रेखांकित किया – ○ न्यायालय ने केंद्र और सेना की आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को मुठभेड़ में हुई मौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया।
विभिन्न समितियों का गठन	• **बी. पी. जीवन रेड्डी समिति (वर्ष 2005):** समिति ने कहा कि कानून की समीक्षा की जानी चाहिए और सुरक्षा बलों को सैन्य कानून की बजाय सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। • **संतोष हेगड़े समिति (वर्ष 2013):** इस समिति का विचार था कि यदि सुरक्षा बलों को अधिक शक्ति दी गई, तो नियंत्रण भी **अधिक से अधिक होगा** और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र भी अधिक कठोर होगा।
अन्य प्रमुख कदम	• **लोक व्यवस्था पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट** में भी अफस्पा को निरस्त करने की सिफारिश की गई थी। • वर्ष 2014 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उच्चतम न्यायालय दोनों ने मुठभेड़ में हुई मौतों के मामले में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे। • इरोम शर्मिला जैसी कार्यकर्ताओं ने अफस्पा जैसे कानूनों का विरोध किया है। उन्होंने कानून के खिलाफ 16 वर्षों की लंबी भूख हड़ताल की है।

निष्कर्ष

AFSPA का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि यह सुरक्षा बलों को निरंकुश शक्तियां प्रदान करता है। हालांकि, सेना इसे एक सक्षमकारी अधिनियम के रूप में देखती है, जो आतंकवाद रोधी अभियानों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर एक बीच का रास्ता खोजने की जरूरत है। इसके लिए नागरिकों के अधिकार और सशस्त्र बलों के अभियानों से जुड़ी जरूरतों दोनों पर विचार किया जाना चाहिए।

6.4. ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (Overground Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जम्मू और कश्मीर (J&K) पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक शिविर पर किए गए ग्रेनेड हमले के आरोप में तीन ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है।

ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) कौन होते हैं?

- **ओवर-ग्राउंड वर्कर** को प्रायः **'बिना हथियारों के आतंकवादी'** के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के आतंकवादी बनने की संभावना अत्यधिक होती है। जम्मू और कश्मीर पुलिस **"आतंकवादियों को समर्थन प्रदान करने वाले व्यक्ति" को ओवर-ग्राउंड वर्कर के रूप में संदर्भित करती है।**

OGWs से निपटने के लिए भारत में उठाए गए कदम

- भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उग्रवादी नेटवर्क एवं उनके **ओवर-ग्राउंड वर्करों** और शीर्ष आतंकवादी कमांडरों को समाप्त करने के लिए **ऑपरेशन ऑल आउट** शुरू किया गया था।
- **ऑपरेशन सद्भावना**, जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आरंभ की गई एक अनूठी मानवीय पहल है। इसका उद्देश्य आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है।
- **वर्ष 2021 में आरंभ किया गया "मिशन पहल":** इसके तहत, अधिकारियों द्वारा कश्मीरी युवाओं के साथ प्रत्यक्ष वार्ताएं की जाती हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को अपनी शिकायतों और भारत सरकार तथा सेना के अधिकारी के प्रति उनमें व्याप्त अविश्वास के कारणों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **उस्ताद, उड़ान और नई मंजिल** जैसी शिक्षा छात्रवृत्ति और आजीविका योजनाएं।
- **हिमायत** और **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** जैसी कई योजनाओं के तहत **जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर** भी प्रदान किए जाते रहे हैं।
- **कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा किये जाने अन्य प्रयासों में शामिल हैं:**
  - पुलिस और जनता के बीच विभिन्न स्तरों पर बेहतर संपर्क स्थापित करना।
  - जम्मू और कश्मीर में कार्य करने वाले सभी सुरक्षा बलों के बीच रियल टाइम आधारित खुफिया जानकारी साझा करना।
  - सुरक्षा बलों द्वारा अतिरिक्त नाके लगाकर और गश्त आदि उपायों के द्वारा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कदम उठाना।
  - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले धन के प्रवाह पर नजर रखना इत्यादि।

- इन्हें आम तौर पर **सुनियोजित रूप से फंसाने** की रणनीति बनाकर भर्ती किया जाता है। इसके तहत युवाओं का पहले कट्टरपंथीकरण किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें अधिक गंभीर अपराधों में शामिल किया जाता है और अंततः वें **ओवर-ग्राउंड वर्कर के रूप में** कार्य करने लगते हैं।
  - हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने हेतु सुस्थापित **ओवर-ग्राउंड वर्करों** के एक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।

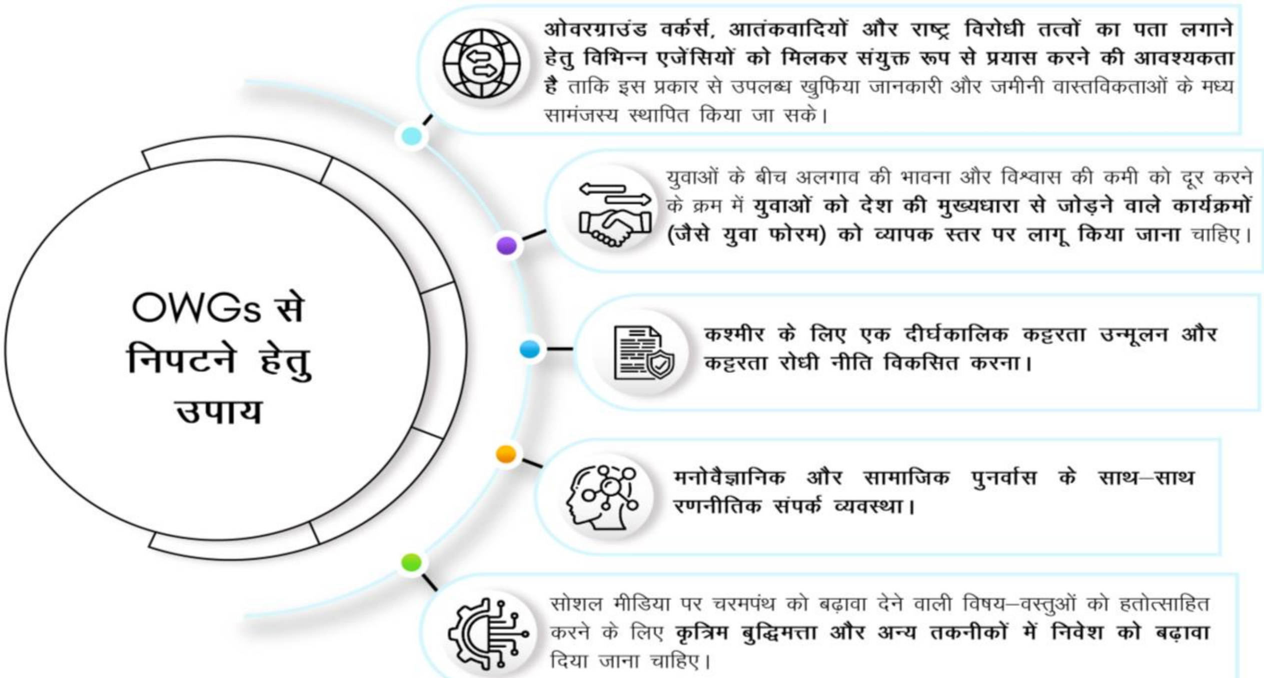

ओवर-ग्राउंड वर्करों से निपटने में आने वाली समस्याएं

- **इस हेतु अपनाए जाने वाले कठोर उपायों से उग्रवाद/चरमपंथ को बढ़ावा मिल सकता है:** OGW से संबंधित गतिविधियों के लिए युवाओं की आकस्मिक गिरफ़्तारी से उनके समाज में वापस मुख्यधारा में शामिल होने की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो सकती हैं। इस प्रकार यह स्थिति आतंकवादियों को ऐसे युवाओं को देशद्रोह के लिए उकसाने में सहयोग कर सकती है।
- **सरकार की नकारात्मक धारणा:** OGWs के प्रति सरकार की कार्रवाई सामान्य जनता के बीच एक मजबूत **"हम बनाम उन"** की अवधारणा को बढ़ावा दे सकती है और उन्हें भारतीय राजनीति से अलग कर सकती है।
- **पता लगान कठिन:** OGWs छोटे पैमाने पर हमले करने में भी समर्थ होते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद आबादी के साथ अतिशीघ्र घुल-मिल जाते हैं।

निष्कर्ष

ओवर ग्राउंड वर्कर्स, उग्र विचार रखने वाली आबादी या विद्रोह को मन में दबाए बैठे लोगों के बीच नकारात्मक भावना को लगातार भड़काने की दिशा में काम कर सकते हैं।

जमीनी हकीकत के अनुरूप रणनीति बनाने और योजना बनाने के लिए कई एजेंसियों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इसके जरिए OGWs, आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों को एक साथ चिन्हित किया जा सकेगा।

संबंधित तथ्य

कश्मीर घाटी में **आतंकी हमलों में वृद्धि** दर्ज की गई है। ये हमले 'पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकियों' द्वारा किए जा रहे हैं।

- **हाइब्रिड आतंकवादियों के बारे में**
  - वे **सुरक्षा बलों की आतंकी सूची में शामिल नहीं हैं,** लेकिन वे आतंकवादियों के संपर्क में हैं।
  - "हाइब्रिड आतंकवादी" आसपास का कोई ऐसा लड़का हो सकता है, जिसे आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए **कट्टरपंथियों ने तैयार किया है और उसे स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है।**
  - वह उसे सौंपे गए **कार्य को संपन्न करता है** और फिर अपने सरदार से **अगले आदेश के मिलने की प्रतीक्षा करता है।** इस बीच, वह सामान्य कामकाज करते हुए **आम लोगों की तरह जीवन** व्यतीत करता है।
  - ऐसे आतंकी 'आतंक और डर' का माहौल बनाने के लिए 'पिस्तौल व ग्रेनेड' जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं।

- **हाइब्रिड आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियां:**
    - सुरक्षा बल पूर्ण आतंकवादियों या ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को ट्रैक करते हैं। पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकवादियों की **पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने** में कठिनाई होती है। इसका कारण यह कि वे सामान्य लोगों की भांति कामकाजी व्यक्ति होते हैं।
    - उन्हें **गिरफ्तार करना, रोकना या मुठभेड़ों में उन्हें मारना कठिन होता है।**
- सुरक्षा बल ऐसे लोगों की पहचान के लिए **तकनीकी उपकरणों और साइबर निगरानी** का सहारा ले रहे हैं।

6.5. लोन वुल्फ अटैक (Lone Wolf Attack)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि, कई सफल उग्रवाद-रोधी अभियानों के कारण, आतंकवादी कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ लोन-वुल्फ़ हमलों का सहारा ले रहे हैं।

लोन वुल्फ हमले के बारे में

- इस प्रकार के हमलों में किसी **एकल अपराधी** (या किसी लघु समूह) द्वारा धमकी या हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है।
- "लोन वुल्फ" वह व्यक्ति होता है, जो किसी अन्य समूह या अन्य व्यक्ति के **प्रत्यक्ष सहयोग के बिना** हिंसक कार्यवाही की **योजनाओं को तैयार** करता है और उन्हें संपादित करता है।
- यद्यपि लोन वुल्फ आतंकी पूर्णतः अकेले ही **हिंसक गतिविधियों को निष्पादित करते हैं, परन्तु हिंसक मीडिया छवियां,** भड़काऊ पुस्तकें, घोषणा-पत्र और धार्मिक फतवे आदि उन्हें उनकी कट्टरपंथी कार्रवाइयों को अंजाम देने हेतु उत्तेजित कर सकते हैं।

वर्तमान में लोन वुल्फ हमलों में वृद्धि के कारण

प्रौद्योगिकी के माध्यम से अतिवाद
- ऐसे ऑनलाइन मंचों और सोशल मीडिया प्रोफाइलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो द्वेषपूर्ण–भाषण एवं आतंकवाद की भावना को विकसित एवं प्रोत्साहित करते हैं। वे समान विचारधारा वाले चरमपंथियों से संपर्क स्थापित करने हेतु **प्रेरणा और सहायता के स्रोत** के रूप में कार्य करते हैं।

मानसिक रोगी
- कुछ अनुमानों के अनुसार, 40 प्रतिशत से अधिक हमले मानसिक रूप से व्याधी ग्रस्त लोगों द्वारा किए गए थे।

सुगम संपादन
- आतंकवादी संगठनों द्वारा इस रणनीति का उपयोग, उन देशों में हिंसा के प्रसार के लिए किया गया है, जहां सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था के कारण समन्वित बड़े हमलों को अंजाम देने में कठिनाई आती है।

फेक न्यूज और गलत सूचना का प्रसार
- सोशल मीडिया साइट के माध्यम से प्रचारित फेक न्यूज पक्षपातपूर्ण विवरणों को निश्चित रूप देती हैं। ऐसे खबर सही प्रतीत होते हैं और "दूसरों" के खिलाफ हिंसा की इच्छा को बढ़ाते हैं।

राज्य प्रायोजित आतंकवाद
- भारत के खिलाफ अपने राज्य प्रायोजित आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान द्वारा इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की प्रबल संभावना है।

- लोगों को धमकाने और भयभीत करने से लेकर **अंधाधुंध गोलीबारी, वाहन से कुचलने, धारदार हथियार से प्रहार करने और आत्मघाती बम विस्फोट** जैसी घटनाओं के रूप में लोन वुल्फ आतंकी हमला, एक गंभीर चुनौती बन गया है।

आगे की राह

- सुरक्षा एजेंसियों एवं सरकार द्वारा **कट्टरपंथीकरण के विरुद्ध एक बहुआयामी दृष्टिकोण** अपनाया जाना चाहिए, जैसे- मानव आसूचना-तंत्र का बेहतर उपयोग, समुदायों और उनके नेतृत्व के साथ सशक्त संबंध और कट्टरपंथ को समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम।
- अधिकारियों द्वारा **सोशल मीडिया की निगरानी से** उन हमलावरों की पहचान की जा सकती है, जो पूर्व में किसी भी आतंकवादी समूह के संपर्क में नहीं थे।
- विस्फोटक पदार्थों, अर्द्ध-स्वचालक हथियारों आदि तक पहुंच को सीमित करके **लोन-वुल्फ हमलों के घातक प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए।**
- **एक मजबूत राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी सिद्धांत विकसित करना,** जैसे- स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करना एवं उन्हें हथियारों से लैस करना, खुफ़िया विभाग तथा आतंकवाद-रोधी संरचनाओं द्वारा आकस्मिक योजनाएं निर्मित करना व आतंकवाद की छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करना आदि।

- संभावित भर्तियों, उनके नेटवर्क और सूचना के स्रोतों, वित्त पोषण एवं नेतृत्व के **कट्टरपंथीकरण** के स्तर को समझने के लिए **बिग डेटा एनालिटिक्स** का उपयोग किया जा सकता है ताकि कट्टरपंथीकरण को समाप्त किया जा सके।

इसे रोकने हेतु उठाये गए कदम

- **भारत में कठोर विधियों के अधिनियमन द्वारा** विस्फोटक, हल्के हथियारों तथा अन्य गोला-बारूदों तक पहुंच को अत्यधिक कठिन बना दिया गया है।
- **भारत के सांस्कृतिक बहुलवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों** ने चरमपंथी विचारधाराओं को रोकने में सहयोग प्रदान किया है।
- वैश्विक स्तर पर भारत, मुस्लिम आबादी वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि, अब तक **नगण्य युवाओं ने ही IS के साथ जुड़ने या इसमें सहानुभूति रखने में अपनी रुचि व्यक्त** की है।
- वर्ष 2008 के मुंबई हमले के पश्चात् आतंकवाद-रोधी संरचना में किए गए सुधारों के साथ **सशक्त सुरक्षा उपकरण**, लोन वुल्फ के विरुद्ध व्यापक निवारक का कार्य करते हैं।

6.6. भारत में मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking in India)

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी – एक नजर में

मादक पदार्थों की तस्करी एक **वैश्विक अवैध व्यापार** है। इसके अंतर्गत 'मादक पदार्थ निषेध कानूनों' के अधीन **ऐसे पदार्थों की खेती, विनिर्माण, वितरण और बिक्री** पर प्रतिबंध है।

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि होने के कारण: अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन में वृद्धि होना, भारत में इसकी अधिक मांग, अनुकूल भौगोलिक स्थिति आदि।

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी पर एक नज़र

- **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)** की रिपोर्ट के अनुसार, **भारत उपयोगकर्ताओं की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े अफीम बाजारों में से एक है** (वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022)।
- **भारत** गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट में उत्पादित हेरोइन और हशीश के लिए एक **पारगमन हब के साथ–साथ गंतव्य स्थल भी बन गया है।**
- इससे सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत (विशेष रूप से मणिपुर) और पश्चिमोत्तर भारत (विशेष रूप से पंजाब) हैं। इनके बाद मुंबई तथा दिल्ली हैं, जबकि हरियाणा भी अब इसके प्रभाव में आ रहा है।

मादक पदार्थों का व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा है

- यह **अन्य संगठित आपराधिक उद्यमों को सुविधा** प्रदान करता है।
- यह **नार्को–आतंकवाद,** मादक पदार्थों के तस्करों, आपराधिक नेटवर्कों और आतंकवादियों के बीच गठजोड़ स्थापित कर **राष्ट्र को अस्थिर करता है।**
- स्वापक और मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग **आतंकवादी गतिविधियों** तथा वामपंथी उग्रवाद **के वित्तपोषण के लिए भी किया जाता है।**
- **यह मादक पदार्थों के सेवन को प्रोत्साहित करता है,** जिसके कारण समाज में कानून–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है।
- ड्रग कार्टेल अवैध रूप से मादक पदार्थों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए **सरकारी संस्थानों को विकृत करते हैं, उनमे सेंध लगाते हैं तथा उन्हें और भी भ्रष्ट बनाते हैं।**

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम जैसे **कानूनों को अधिनियमित किया गया** है।
- गश्ती और निगरानी को मजबूत करते हुए **सीमाओं तथा तटों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित** की जा रही है।
- **भारत ने** स्वापक औषधियों, मादक पदार्थों और मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु विभिन्न देशों के साथ **कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।**
- **नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना (2020–21) चलाई जा रही है।**
- बड़ी मात्रा में ज़ब्ती से जुड़े मामलों के लिए **'जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली' (Seizure Information Management System: SIMS) नामक एक ई–पोर्टल की शुरुआत की गई है।**
- **स्वैच्छिक संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिसमयों का पक्षकार बनना:** इनमें स्वापक औषधियों पर एकल अभिसमय, 1961, मनः प्रभावी पदार्थों पर अभिसमय, 1971 तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार पर अभिसमय, 1988 शामिल हैं।

आगे की राह

- प्रवर्तन एजेंसियों के बीच **प्रभावी समन्वय तथा सूचनाओं का साझाकरण होना चाहिए।**
- पोत परिवहन, रेलवे कंपनियों, डाक सेवाओं और एयर कार्गो के लिए **जवाबदेही तंत्रों तथा पद्धतियों का विकास किया जाना चाहिए।**
- क्रिप्टो मुद्रा बाजारों को विनियमित करके तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की निगरानी करके **इंटरनेट पर मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित किया जाना चाहिए।**
- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (NDPS) तथा मादक पदार्थों से संबंधित अन्य कानूनों के तहत **दंड में वृद्धि की जानी चाहिए।**
- **नागरिकों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए** तथा नशा मुक्ति केंद्रों और शिविरों की स्थापना की जानी चाहिए।

6.7. जैव-आतंकवाद (Bio-Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने घोषणा की कि वह यूक्रेन में किसी भी जैविक हथियार कार्यक्रम से अवगत नहीं है। UN की यह घोषणा, रूस के उस दावे की प्रतिक्रिया मानी जा रही है, जिसमें रूस ने कहा था कि यू.एस.ए. यूक्रेन में जैविक हथियारों से जुड़ी "सैन्य गतिविधियों" को वित्त पोषित कर रहा है।

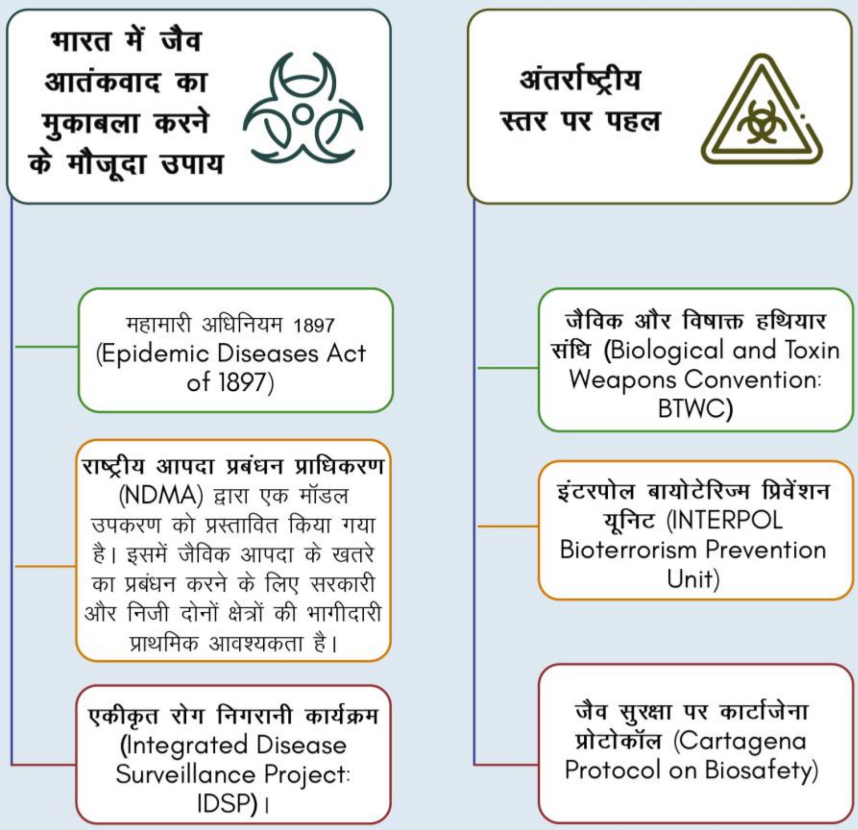

जैव आतंकवाद के बारे में

- जैव आतंकवाद के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने वाले रोगों को फैलाने हेतु बैक्टीरिया, वायरस या उनके विषाक्त पदार्थों जैसे सूक्ष्मजीवों के रोगजनक उपभेदों का एक नियोजित एवं सुविचारित उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, किसी क्षेत्र की आबादी के विनाश हेतु किए गए कार्यों के लिए जैव आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है।
- ये कारक **स्कड मिसाइल, स्प्रे करने वाले मोटर वाहन, हैंड पंप स्प्रेयर, पुस्तक या पत्र, बंदूकें, रिमोट कंट्रोल, रोबोट आदि द्वारा** प्रसारित किए जाते हैं।
- ऐसे रोगों/हमलों की उत्पत्ति की निगरानी करना प्रायः कठिन होता है।

भारत में जैव आतंकवाद के विरुद्ध कानून की आवश्यकता

- **भारत की उच्च सुभेद्यता:** उच्च जनसंख्या घनत्व, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, उपोष्णकटिबंधीय जलवायुवीय परिस्थितियां, निम्नस्तरीय सफाई व्यवस्था और अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं भारत को ऐसे हमलों के प्रति अतिसंवेदनशील बनाती हैं।
- **समाज पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करना:** जैव आतंकवाद लोगों के मध्य क्षति, भय और चिंता का कारण बनता है तथा किसी देश के समाज एवं सरकार को प्रभावित करता है। ये जैविक हथियार विशाल आबादी में व्यापक पैमाने पर मृत्यु दर और रुग्णता का कारण बन सकते हैं तथा न्यूनतम समय में अधिकतम नागरिक व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी विकास के कारण हमलों में वृद्धि:** जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के इस युग ने पारंपरिक बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों के अतिरिक्त **अधिक परिष्कृत जैविक कारकों** के लिए एक सरल पहुंच का निर्माण किया है।

जैव आतंकवाद का मुकाबला करने का तंत्र

- **कानून द्वारा रोकथाम:** जैव आतंकवाद और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को दंडित करने के लिए **उपयुक्त कानून** आवश्यक हैं।
    - इसके लिए **लोक स्वास्थ्य (महामारी, जैव-आतंकवाद और आपदाओं की रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन) विधेयक, 2017**[30] की तर्ज पर लोक स्वास्थ्य विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लोक स्वास्थ्य विधेयक, 2017 में महामारी (epidemic), अलगाव (isolation), क्वारंटाइन और सामाजिक दूरी (social distancing) को परिभाषित किया गया था, लेकिन यह विधेयक व्यपगत हो गया।

[30] Public Health (Prevention, Control and Management of epidemics, bio-terrorism and disasters) Bill-2017

- **रोकथाम:** आसूचना में वृद्धि, जांच, केस स्टडी, हमलों की रोकथाम, कानून प्रवर्तन कर्मियों की तैयारी और प्रशिक्षण तथा संबंधित कानूनी एवं राजनीतिक ढांचे के माध्यम से जैव आतंकवादी हमलों की रोकथाम की जानी चाहिए।
- **निगरानी एवं मूल्यांकन:** उल्लेखनीय है कि निगरानी एवं मूल्यांकन जैविक हमले की शुरुआती अभिव्यक्तियों को इंगित कर सकते हैं।
- **लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन:** संक्रमण नियंत्रण और प्रशासनिक कर्मियों के संयोजन से **जैविक जीव के निदान एवं परीक्षण के लिए प्रयोगशाला तथा संस्थानव्यापी प्रतिक्रिया योजना, दोनों** विकसित की जानी चाहिए।
- **चिकित्सा प्रबंधन:** इसमें **निवारक, प्रेरक और उपचारात्मक सेवाओं** को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे- रोग के प्रसार को रोकने के लिए आबादी के उस वर्ग की पहचान करना जिसे कीमोप्रोफिलैक्सिस दी जानी है।

जैव आतंकवाद कारकों को ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है

श्रेणी ए

उच्च–प्राथमिकता वाले कारक, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं क्योंकि इन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सरलता से पहुँचाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर अत्यधिक उच्च होती है। उदाहरण के लिए, बेसिलस एन्थ्रेसिस द्वारा एंथ्रेक्स आदि।

श्रेणी बी

द्वितीय सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कारकों में ब्रुसेलोसिस (ब्रुसेला प्रजाति), ग्लैंडर्स (बर्कहोल्डरिया मलेली), आदि शामिल हैं।

श्रेणी सी

इसमें उभरते रोगजनक शामिल हैं। इन्हें भविष्य में वृहद पैमाने पर प्रसार के लिए विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उभरते संक्रामक रोग जैसे कि निपाह वायरस और हंता वायरस आदि।

- **सामान्य जनता को जागरुक करना:** इस संदर्भ में विधि प्रवर्तन एजेंसियों, अस्पतालों के चेतावनी नेटवर्क और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों आदि द्वारा प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से जागरुकता का प्रसार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

जैव-आतंकवाद लंबे समय से और लगातार बढ़ रहा एक खतरा बना हुआ है। विभिन्न प्रकार के जैविक खतरों को रोकने और कम करने के लिए भारत को मजबूत संस्थागत और कानूनी उपाय करने की आवश्यकता है।

6.8. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्री ने **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** की मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने वर्ष 2022-24 के लिए FATF की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन किया है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के बारे में

- यह **एक अंतर-सरकारी निकाय** है। इसे वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। इसे **धन शोधन, आतंकी वित्तपोषण तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के समक्ष अन्य संबंधित खतरों से निपटने** का कार्य सौंपा गया है।
- FATF की सिफारिशों को वैश्विक **धन-शोधन रोधी (AML)**[31] **और आतंकी**

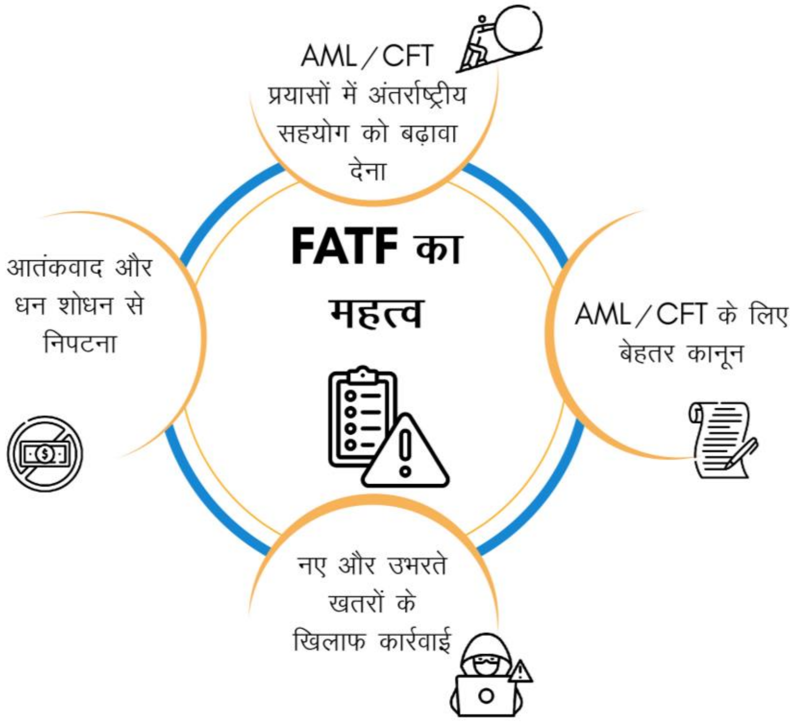

[31] Anti-Money Laundering

वित्तपोषण-रोधी (CTF)[32] मानकों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

- FATF **सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्तपोषण को** रोकने के लिए भी कार्य करता है।

FATF के समक्ष चुनौतियां

- **चयनित राष्ट्रों की परियोजना में हित:** आलोचकों का मानना है कि कुछ चुनिंदा देशों (यूरोपीय संघ के सदस्य देश व संयुक्त राज्य अमेरिका) के हितों की ओर से यह ऐसे विनियम लागू करता है जो अनुचित और महंगे हैं।
- **कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव:** समूह की बैठकें गुप्त रूप से आयोजित की जाती हैं और विचार-विमर्श का प्रकाशन भी नहीं किया जाता है। FATF ने उन देशों को दंडित भी किया है, जिन्होंने इसकी बैठकों की सूचनाओं का प्रकटीकरण किया है।
- **घरेलू समन्वय में कठिनाई:** FATF की सिफारिशों का क्या अर्थ है और एक देश को सिफारिशों के अनुसार अपने प्रदर्शन का परीक्षण कैसे करना चाहिए, इस बारे में आपसी समझ तक पहुंचने में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
- **देशों की क्षमता की कमी:** इसमें हाई-प्रोफाइल सीमा-पार मामलों की जांच और मुकदमा चलाने में कठिनाइयां शामिल हैं। साथ ही, गुमनाम शेल कंपनियों और ट्रस्टों को अवैध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने से रोकना भी शामिल है।

- **संचालन संबंधी चुनौतियां:** AML/CFT प्रावधानों का अपर्याप्त, कमजोर और चयनात्मक प्रवर्तन; अस्पष्ट जब्ती व्यवस्था; अप्रभावी दंड आदि कुछ ऐसे कारक हैं, जिनकी वजह से FATF की रणनीति अधिक सफल नहीं रही है।
- **वर्तमान समय की चुनौतियां:** बिटकॉइन एवं डिजिटल मुद्राओं सहित, धन के स्रोत के रूप में वन्यजीवों की अवैध तस्करी, आतंकी हमलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग और जैव युद्ध कोरोना वायरस महामारी द्वारा व्युत्पन्न व्यापक चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं।

भारत के धन शोधन-रोधी और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के उपाय

- **धन शोधन निवारण अधिनियम** के तहत बनाए गए दिशा-निर्देश और नियम,
- **अपने ग्राहक को जानें (KYC)[33] प्रक्रियाओं का सख्ती** से अनुपालन;
- वर्ष 2018 में **भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून का अधिनियमन;**
- **काला धन विरोधी अधिनियम, 2015;**
- **वित्तीय आसूचना एकक (FIU)[34]** द्वारा बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए नई अनुपालन व्यवस्था लाई गई है; आदि।

आगे की राह

- **बेहतर विनियामक ढांचा:** गैर-वित्तीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विनियामक ढांचे को व्यापक बनाना चाहिए। साथ ही, जरूरत पड़ने पर पर्याप्त पर्यवेक्षण और आनुपातिक एवं प्रतिकूल प्रतिबंधों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।
- **बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** देशों को विदेशों में समर्पित संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इससे कई अधिकार क्षेत्रों से जुड़े जटिल मामलों में विनिमय और संयुक्त जांच की सुविधा मिल सकेगी।

---

32 Counter-Terrorist Financing

33 Know Your Customer

34 Financial Intelligence Unit

- **बेहतर अनुपालन तंत्र:** AML/CFT कानून के अनुपालन के लिए वित्तीय संस्थानों और सरकार से बहुस्तरीय और समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।
- **निजी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाना:** यह धन शोधन व आतंकवाद वित्तपोषण की बेहतर पहचान, समझ और प्रबंधन की क्षमता प्रदान करेगा। साथ ही, अधिक से अधिक लेखा परीक्षा और जवाबदेही; AML/CFT के अधिक जटिल क्षेत्रों में लागत को कम करना और मानव संसाधनों को अधिकतम करना आदि सुविधाएं भी प्रदान करेगा।
- **नई तकनीकों को अपनाना:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स आदि धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के उपायों की गति, गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार कर सकते हैं। ये वित्तीय संस्थानों और पर्यवेक्षकों की इन जोखिमों का अधिक सटीक, समयबद्ध और व्यापक तरीके से आकलन करने में सहायता कर सकते हैं।

7. सीमा सुरक्षा और प्रबंधन (Border Security and Management)

7.1. सीमा प्रबंधन (Border Management)

सीमा सुरक्षा– एक नज़र में

सीमाओं पर प्रमुख मुद्दे और उनके समाधान के लिए उठाए गए कदम

भारत–चीन

सीमा पर चुनौतियां

- छिटपुट आक्रामकता के साथ अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम आदि में **सीमा विवाद।**
- चीनी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की **बड़े पैमाने पर तस्करी।**
- कठिन भूभाग के कारण अपर्याप्त आधारभूत संरचना।
- एक से अधिक सुरक्षा बलों की उपस्थिति से आपसी समन्वय का अभाव (उदाहरण के लिए– आई.टी.बी.पी., असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स)।
- जल बंटवारे संबंधी मुद्दे।

उठाए गए कदम

- सैनिकों की आवाजाही में लगने वाले समय को कम करने के लिए **बुनियादी ढांचे का निर्माण,** जैसे कि ढोला–सादिया पुल।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास।**
- वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर **सेना की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं** को वन मंजूरी से छूट दी गई है।
- सीमा सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देना।

भारत–पाकिस्तान

सीमा पर चुनौतियां

- सर क्रीक और कश्मीर में **सीमा विवाद।**
- **नदी जल बंटवारा मुद्दा (सिंधु नदी)।**
- रेगिस्तान, दलदल, बर्फ से ढके पहाड़ और मैदान सहित **विविध भूभाग।**
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में **समय और लागत में वृद्धि।**
- **अन्य मुद्दों** में नकली मुद्रा, नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी शामिल हैं।

उठाए गए कदम

- एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए व्यापक **एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System: CIBMS) का कार्यान्वयन।**
- जम्मू–कश्मीर पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों को प्रशिक्षण देकर आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करना। जम्मू–कश्मीर में **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कमांडो की तैनाती करना।**

भारत–नेपाल

सीमा पर चुनौतियां

- **उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि।**
- भारत में नेपाल के माओवाद के संबंधों के कारण **माओवादी विद्रोह के फैलने की आशंका।**
- **आसान पलायन और अवैध गतिविधियां** जैसे कि तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा आदि।
- बॉर्डर के दोनों ओर **जमीन हथियाना।**

उठाए गए कदम

- बेहतर परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए **सशस्त्र सीमा बल (SSB) में एक नए खुफिया अनुभाग की स्थापना।**
- **जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की स्थापना।**
- सीमा पर 1,577 कि.मी. लंबी सड़कों के **निर्माण को मंजूरी।**
- **नेपाल को विकास में सहायता करना।**

भारत–भूटान

सीमा पर चुनौतियां

- **उग्रवाद।**
- **भूटानी भांग** जैसे सामानों की तस्करी।
- **लोगों और वाहनों की मुक्त आवाजाही।**

उठाए गए कदम

- सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर **भारत–भूटान समूह।**
- विद्रोहियों को शरण देने से रोकने के लिए **भूटान की सेना के साथ सहयोग।**
- **सिक्किम में नई सीमा चौकियों की स्थापना।**
- प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं हेतु **वन भूमि को परिवर्तन करने के लिए सामान्य स्वीकृति।**

भारत–म्यांमार

सीमा पर चुनौतियां

- **मुक्त आवाजाही व्यवस्था।**
- स्वर्णिम त्रिभुज से निकटता के कारण **मादक पदार्थों की तस्करी।**
- **सीमा पर कोई भौतिक अवरोध का न होना।**
- **खराब अवसंरचनात्मक सुविधाएं।**

उठाए गए कदम

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **13 नए एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) स्थापित करने का प्रस्ताव** पेश किया है। इनका उद्देश्य थाईलैंड और म्यांमार सहित सार्क देशों के साथ भारत के जुड़ाव को प्रोत्साहित करना होगा।

भारत–बांग्लादेश

सीमा पर चुनौतियां

- तीस्ता नदी, बराक नदी के संबंध में **जल विवाद।**
- **अवैध प्रवास।**
- **सीमा पर अपर्याप्त बाड़ का लगा होना।**
- जामदानी साड़ियों जैसे **सामानों की तस्करी।**

उठाए गए कदम

- **भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, 2015**
- **सीमा सुरक्षा ग्रिड (Border Protection Grid: BPG) की स्थापना।**
- **अपराध मुक्त मार्ग** बनाया गया है।
- ड्रोन जैसे **सीमा निगरानी उपकरणों की स्थापना।**
- अपराध की रोकथाम के बारे में **स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ाना।**

7.2. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पुलिस की शक्ति {Policing Power to Central Armed Police Forces (CAPFs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा एक अधिसूचना के तहत **सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को पुनः निर्धारित किया गया। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले** लगभग सभी राज्यों में (समान रूप से) सीमा से 50 किलोमीटर अंदर के क्षेत्र को **BSF के अधिकार क्षेत्र के रूप में निर्धारित कर दिया गया है।**

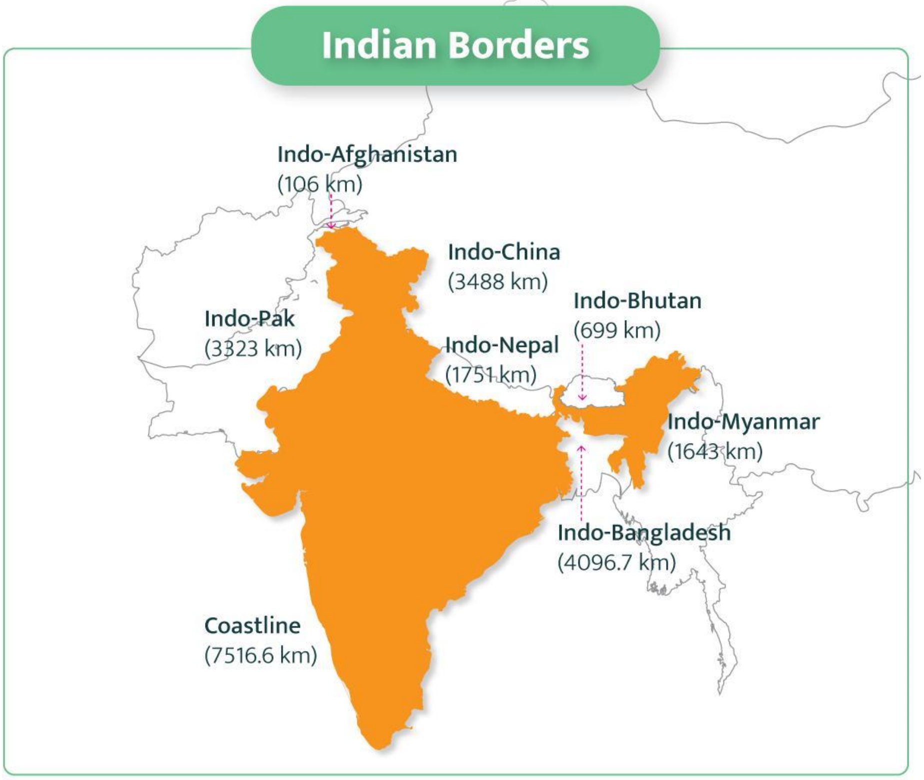

अन्य संबंधित तथ्य

- **यह अधिसूचना BSF** को दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत आने वाले अपराधों को रोकने के लिए **तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार देगी।**
- यह अधिसूचना **BSF को अपराधों की जांच करने की शक्ति नहीं देती है।** अभी भी संदिग्धों और आरोपी व्यक्तियों को स्थानीय प्राधिकारियों के सुपुर्द करना होगा।

इन शक्तियों को प्रदान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- **सुरक्षा संबंधी बढ़ते खतरे:** भारत द्वारा सामना किए जाने वाले बहुत से अपरंपरागत सुरक्षा खतरों और चुनौतियों (आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और विद्रोह) से निपटने में राज्य पुलिस बल अकेले असमर्थ हैं।
  - उन्नत उपकरणों और हथियारों की कमी, कर्मियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने की अक्षमता के कारण इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- **राज्य पुलिस की सीमा:** देश के सुरक्षा परिदृश्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय आयामों के चलते राज्य पुलिस बलों की भूमिका सीमित हो जाती है। इस प्रकार केंद्र सरकार का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है।
- **सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिसिंग:** गुजरात और राजस्थान के दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून लागू करने वाली एकमात्र एजेंसी, BSF है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इन दोनों राज्यों में BSF को पुलिस संबंधी अधिक शक्तियां प्रदान करनी चाहिए।
- **प्रभावशीलता को बढ़ाना:** इन शक्तियों ने **अंतर्राष्ट्रिय अपराधियों का पीछा करने और उन्हें पकड़ने में** सुरक्षा बलों को **सक्षम बनाया है,** जो प्रायः BSF/SSB की पकड़ से बच निकले में सफल रहते थे।

- **अन्य कारण:** इन शक्तियों को विभिन्न **भू-क्षेत्र, जनसंख्या संरचना, अपराध के पैटर्न जैसी परिस्थितियों के साथ-साथ** सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति और प्रभावशीलता को देखते हुए आवश्यक माना गया है।

CAPFs को पुलिस की शक्तियां प्रदान करने से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

- **संघवाद को चुनौती:** राज्यों का तर्क है कि यह संघीय ढांचे के विरुद्ध है, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। साथ ही, BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने से राज्य सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण होगा।
- **स्थानीय लोगों के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता का अभाव:** राज्य पुलिस बल द्वारा उपलब्ध क्षेत्रीय जवाबदेही तंत्र की तुलना में गृह मंत्रालय के स्तर पर उपलब्ध राष्ट्रीय जवाबदेही तंत्र, स्वाभाविक रूप से स्थानीय लोगों के लिए कम सुलभ है (उदाहरण के लिए, स्थानीय पुलिस थाने में जाने की क्षमता)।
- **सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलते हालात:** पिछले 50 वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी के साथ जनसंख्या घनत्व में भी वृद्धि हुई है। इसलिए, जब तक पुलिस के साथ नजदीकी में समन्वय सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
- अधिकार क्षेत्र बढ़ाने से **BSF का मुख्य कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा,** क्योंकि सीमावर्ती चौकियों (BOPs)[35] पर तैनात सैनिकों को विस्तारित अधिकार क्षेत्र के अभियानों के लिए हटाना होगा।

- **राज्य पुलिस के साथ समन्वय के अभाव** से खराब स्थितियां पैदा हो सकती हैं। दो अलग-अलग सरकारों द्वारा नियंत्रित दो सुरक्षा बलों के समवर्ती अधिकार क्षेत्र के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विशेषकर तब, जब राज्य और केंद्र में अलग-अलग दल की सरकार हो।
- **मानव अधिकारों का बढ़ता उल्लंघन:** यह संभावना प्रकट की गई है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना, BSF के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने से उनके द्वारा शक्तियों का मनमाने ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों के हनन की संभावना बढ़ सकती है।

[35] Border Out Posts

निष्कर्ष

दक्षिण एशिया जैसे अस्थिर क्षेत्र में भारत जैसे वृहत आकार और महत्वपूर्ण देश को **अपनी असुरक्षित और संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की** सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है।

लेकिन साथ ही, भारत की संघीय राजव्यवस्था में राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कानून और व्यवस्था के प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए राज्यों के प्राधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सुरक्षा संरचना के संबंध में सभी निर्णयों में संबंधित राज्य सरकारों के साथ पर्याप्त रूप से चर्चा की जानी चाहिए।

केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से CAPFs और राज्य पुलिस के बीच कुशल सहयोग के लिए पुलिस क्षमता बढ़ाने और उसे सुविधाजनक बनाने की पहल की जानी चाहिए।

संबंधित तथ्य

नई सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना आदर्श गांव बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी

- हालिया बजट में, केंद्र सरकार ने मुख्य रूप से चीन सीमा पर स्थित सुदूर गांवों के लिए **'जीवंत ग्राम कार्यक्रम'** (vibrant village programme') की घोषणा की है। यह कार्यक्रम इन सीमावर्ती गांवों में **सामाजिक और वित्तीय अवसंरचना में सुधार** पर केंद्रित है।
  - इस योजना का संचालन **गृह मंत्रालय** कर रहा है। यह योजना चीन द्वारा भारत और भूटान की सीमाओं पर आदर्श गांवों की स्थापना के विरुद्ध प्रतिक्रिया में शुरू की गई है।
- यह योजना निम्नलिखित **दोहरे उद्देश्यों** की प्राप्ति में सहायक होगी:
  - इससे **सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा** तथा
  - योजना यह भी सुनिश्चित करेगी कि इन सीमावर्ती गांवों के निवासी, आर्थिक **अवसरों की तलाश में कहीं और पलायन न करें।**
- **इस योजना में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:**
  - गांवों में बुनियादी ढांचे, आवास एवं पर्यटन केंद्रों का निर्माण करना।
  - सड़क संपर्क स्थापित करना।
  - दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों के लिए 'डायरेक्ट टू होम' सुविधा प्रदान करना।
  - आजीविका सृजन के लिए सहायता देना।
- **योजना की आवश्यकता क्यों है?**
  - बहुत कम आबादी वाले इन सीमावर्ती गांवों में संपर्क सुविधाएं और बुनियादी ढांचा सीमित हैं। इस कारण ये क्षेत्र अक्सर **विकास का लाभ प्राप्त करने में पीछे छूट जाते हैं।**
  - इस योजना से "पहाड़ों पर परिवहन और संपर्क की आधुनिक प्रणाली" का निर्माण संभव होगा। इससे देश के सीमावर्ती गांवों को जीवंत बनाने में मदद मिलेगी।
- **सीमावर्ती गांवों में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य उपाय:**
  - **सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1986-87 में** शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है।
  - केंद्रीय बजट 2022-23 ने वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में **सीमा सड़क संगठन के लिए पूंजी परिव्यय में रिकॉर्ड 40 प्रतिशत की वृद्धि** की है।

7.3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सामरिक महत्व {Strategic Importance of Andaman and Nicobar Islands (ANI)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले कुछ वर्षों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI) ने भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

ANI का सामरिक महत्व

- **सुरक्षित समुद्री संचार मार्ग (SLOC):** ये द्वीप एक **भौतिक बाधा** के रूप में कार्य करते हैं। ये व्यस्त **समुद्री संचार मार्गों (SLOC)** को चोकपॉइंट्स की एक श्रृंखला बनाकर सुरक्षित करते हैं। इन चोकपॉइंट्स में उत्तर में **प्रिपेरिस चैनल,** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच **10 डिग्री चैनल** तथा दक्षिण में **6 डिग्री चैनल** प्रमुख हैं।

- **बढ़ती चीनी उपस्थिति को प्रतिसंतुलित करना:** महत्वपूर्ण चोकपॉइंट्स पर अधिकार करके, चीन भारत के साथ भविष्य के किसी भी संघर्ष या गतिरोध के दौरान अपने लाभ के लिए इनका उपयोग कर सकता है।
  - ANI की सामरिक स्थिति भारत को **समुद्र वंचन युद्ध (sea denial warfare) रणनीति** (शत्रु को निकट समुद्र के उपयोग से रोकना) के माध्यम से तटीय क्षेत्र में अपनी शर्तें निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है।
- **समग्र सुरक्षा प्रदाता:** भारत अपने हितों की रक्षा के लिए इन द्वीपों की क्षमता का लाभ उठा सकता है। साथ ही, इस क्षेत्र में **'समग्र सुरक्षा प्रदाता'** के रूप में अपनी छवि को बेहतर कर सकता है।
- **दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध:** इसमें भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** का लगभग 30 प्रतिशत शामिल है। ANI दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है।
- **हिंद-प्रशांत का महत्वपूर्ण आधार:** ANI हिंद महासागर तथा दक्षिण चीन सागर के चौराहे पर स्थित है और आगे प्रशांत महासागर तक विस्तारित है। इस प्रकार यह **हिंद-प्रशांत की सामरिक अवधारणा का एक महत्वपूर्ण आधार बिंदु है।**

ANI में की गई पहलें

- **समुद्री केंद्र:** वर्ष 2015 में, सरकार ने इन द्वीपों को देश के प्रथम समुद्री केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए **एक लाख करोड़ रुपये की योजना** की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य **दूरसंचार, विद्युत और जल जैसी सुविधाओं का विकास** करना है।
- **संरक्षणवाद में गिरावट:** वर्ष 2019 में, एक **नवीन द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना** जारी की गई थी। इसमें **बंदरगाहों, हार्बर और घाटों** के लिए भूमि सुधार एवं विस्तार की अनुमति दी गई थी। ऐसी परियोजनाओं को अनुमति देने से सामरिक अवसंरचना तैयार करने में मदद मिलेगी।
- **समुद्री अभ्यास:** अंडमान और निकोबार कमांड (ANC) सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास तथा म्यांमार, थाईलैंड व इंडोनेशिया के साथ समन्वित गश्त जैसे कि **संयुक्त समुद्री अभ्यास** आयोजित करता है। यह समुद्र के पार मित्रता बढ़ाने के लिए एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास **'मिलन'** भी आयोजित करता है।
- **नौसेना की उपस्थिति का विस्तार:** मई 2020 में चीन के साथ लद्दाख गतिरोध के बाद, भारत ANI में **अतिरिक्त बल, युद्धपोत, विमान और मिसाइल बैटरी तैनात** करने की योजना में तेजी ला रहा है।
- **अन्य:**
  - **चेन्नई-अंडमान और निकोबार** समुद्र तल आधारित इंटरनेट केबल का उद्घाटन किया गया है। यह केबल ANI के सात दूरदराज के द्वीपों **को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन** प्रदान करेगी।
  - **वर्ष 2018 में, भारत और इंडोनेशिया ने ANI एवं आचेह के सबांग बंदरगाह के मध्य** संपर्क बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया है। इसका उद्देश्य व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है।

आगे की राह

प्रवास को प्रोत्साहित करना: मुख्य भूमि से प्रवास को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। साथ ही, सामरिक रूप से स्थित कुछ निर्जन द्वीपों को पर्यटन के लिए खोलने पर विचार करने की भी आवश्यकता है।

- **सामरिक अवसंरचना:** अपनी क्षेत्रीय श्रेष्ठता पर बल देने के लिए, भारतीय नौसेना ने हाल के दिनों में बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभियानों की गति बढ़ा दी है। द्वीपों पर सामरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भारत की युद्ध क्षमता को दर्शाने का एक तरीका है।
- **सामरिक साझेदारों के साथ सहयोग:** अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम द्वारा बंदरगाह के दौरे होने चाहिए। इससे **भारत एवं इसके प्रमुख सामरिक साझेदारों के बीच ANI में सभी आयामों में और अधिक वर्गीकृत सहयोग हो** सकता है।
- **आसियान (ASEAN) के साथ संलग्नता:** ANI को भारत के पूर्वी क्षेत्र के देशों के साथ जुड़ने की **"एक्ट ईस्ट पॉलिसी"** का एक महत्वपूर्ण घटक बनाने का अवसर विद्यमान है।

8. पूर्वोत्तर में उग्रवाद (Insurgency in Northeast)

पूर्वोत्तर में उग्रवाद – एक नज़र में

पूर्वोत्तर में उग्रवाद के पीछे मुख्य कारण

- बड़े पैमाने पर प्रवास या **पड़ोसी जनजातियों के** साथ नृजातीय प्रतिद्वंद्विता के कारण **स्थानीय पहचान के लिए खतरा।**
- पूर्वोत्तर में अपेक्षाकृत उच्च साक्षरता व मानव विकास के स्तर के बावजूद **खराब कनेक्टिविटी और सीमित अवसंरचना** के कारण अवसरों की कमी है।
- गवर्नेंस के अभाव व वस्तुओं की कमी के कारण **अनौपचारिक शासन और अर्थव्यवस्था।**
- कठिन स्थलाकृति व **छिद्रिल (प्रवेश योग्य) अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं।**
- सुरक्षा बलों की भारी उपस्थिति और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों के कारण **मुख्यधारा से अलगाव की भावना।**

देश के लिए पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने का महत्व

- राष्ट्रीय सुरक्षाः पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा का एक बड़ा हिस्सा विवादित क्षेत्रों सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का है।
- सीमा–पार संबंधों को मजबूत बनानाः अपनी भूस्थैतिक स्थिति के कारण, यह दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक सेतु का काम कर सकता है।
- **आर्थिक महत्वः** अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों (जैसे– तेल और गैस, जल विद्युत क्षमता, वन–आधारित उत्पाद), पर्यटन और निर्यात क्षमता के बावजूद, यह क्षेत्र अविकसित है।
- **राष्ट्रीय एकीकरणः** पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक जनजातियां हैं और यह एक मिनी–इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है।

पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने और समृद्धि लाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल

- उग्रवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाहों को हटाने के लिए **क्षेत्रीय सहयोग के साथ सीमाओं पर बाड़ लगाना।** उदाहरण के लिए– त्रिपुरा में भारत–बांग्लादेश सीमा पर लगभग 24 किलोमीटर की बाड़ लगाई गई है।
- **स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहल, जैसे–**
  - **उड़ान 4.0** (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत पूर्वोत्तर मार्गों को प्राथमिकता देना।
  - **मैत्री सेतु** के तहत त्रिपुरा में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने के लिए फेनी नदी पर 1.9 कि.मी. का पुल।
- **'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत आर्थिक केंद्र के रूप में पूर्वोत्तर का विकासः**
  - **स्वदेश दर्शन योजना, व्यापक दूरसंचार विकास परियोजना, कृषि निर्यात क्षेत्र, राष्ट्रीय बांस मिशन** जैसी पहल।

शांति और समृद्धि की पहल के मार्ग में आने वाली चुनौतियां

- दुर्गम भूभाग और **बिना सीमांकित सीमाओं की उपस्थिति** के कारण सीमाओं की बाड़ लगाना एक जटिल कार्य है।
- **आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी पहल** के लिए जोखिम, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की उपस्थिति की प्राकृतिक चुनौतियाँ। भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयाँ।
- पूर्वोत्तर में **सीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की प्रधानता।**
- मानव तस्करी, नशीले पदार्थों के व्यापार, अवैध शिकार आदि में शामिल **संगठित अपराध गिरोहों की उपस्थिति।**
- आसियान देशों के साथ **भारतीय व्यापार विकास में मंदी।** म्यांमार में **भारतीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर हमला** करके विद्रोही समूह **एक्ट ईस्ट नीति** को चुनौती दे रहे हैं।

आगे की राह

- **सामाजिक–सांस्कृतिक स्तर परः** भारतीयों और बाहर के लोगों के बीच पूर्वोत्तर की संस्कृति, भाषा और लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- **आर्थिक स्तर परः** इस क्षेत्र में आवश्यक उद्यमशीलता के निर्माण के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे के निकट खाद्य प्रसंस्करण, फूलों की खेती, इरीकल्चर आदि जैसे हल्के उद्योगों पर काम करना।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर परः** यहां मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए निरंतर उग्रवाद विरोधी अभियानों के साथ शांति प्रयासों को जारी रखना।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर परः** पड़ोसी देशों से संचालित विद्रोही समूहों और संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ संयुक्त प्रयास करना। इसके अलावा, छिद्रित सीमा मुद्दों को दूर करने के लिए गैर–सीमांकित सीमा मुद्दों को सुलझाना।
- **राजनीतिक स्तर परः** इस क्षेत्र में सामाजिक एकीकरण के लिए पूर्वोत्तर के राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को शामिल करना।

8.1. बोडो शांति समझौता (Bodo Peace Accord)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने बोडो समझौते की सराहना की एवं इसे असम में "दीर्घकालिक शांति" का स्रोत बताया।

बोडोलैंड विवाद का क्रमिक विकास

- **1960 और 1970 के दशक में:** आप्रवासियों द्वारा बोडो-अधिवास भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण के आरोप के तहत बोडो और अन्य जनजातियों द्वारा एक पृथक राज्य के रूप में **'उदयाचल'** की मांग की गई थी। यह मांग एक राजनीतिक संगठन प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम (PTCA) के माध्यम से की गई थी।
- **वर्ष 1993:** बोडोलैंड स्वायत्त परिषद (BAC)[36] का गठन केंद्र सरकार, असम सरकार और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) द्वारा त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के उपरांत किया गया था। हालांकि, समझौते के विभिन्न प्रावधानों को लागू नहीं करने के कारण BAC अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा था।
- **वर्ष 2003:** केंद्र, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स (BLT)के मध्य हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के पश्चात् बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC)[37] का गठन किया गया था। हालांकि बाद में, BLT विघटित हो गया।
- **वर्ष 2005:** नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड (NDFB) असम सरकार और केंद्र के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया। संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के उपरांत, यह समूह तीन गुटों में विभाजित हो गया। उन गुटों में से एक NDFB (S) ने हिंसक हमलों को जारी रखा है।

बोडो शांति समझौते के बारे में

- यह 27 जनवरी 2020 को **केंद्र सरकार, असम सरकार और** असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन **नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB)** के मध्य त्रिपक्षीय समझौते के रूप में हस्ताक्षरित तीसरा बोडो शांति समझौता है। इसे असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था।

इस समझौते के प्रमुख निष्कर्ष

- **बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों (BTADs)**[38] का पुनर्गठन किया गया है। इसमें मौजूदा BATDs से संलग्न नए बोडो बहुल ग्रामों को शामिल और मुख्यतः गैर-जनजातीय आबादी वाले गाँवों को बाहर किया गया है।
- **BTADs का नाम परिवर्तित कर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR)**[39] **कर दिया गया।** इसमें अब पूर्व की तुलना में अधिक कार्यकारी, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियां निहित हैं।
- BTR के सीमांकन और पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक तटस्थ व्यक्ति की अध्यक्षता और हितधारकों के प्रतिनिधित्व से संबंद्ध **एक आयोग का गठन** किया जाएगा।
- कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ के पहाड़ी जिलों में रहने वाले बोडो को **अनुसूचित पर्वतीय जनजाति का दर्जा**[40] प्रदान किया जाएगा।

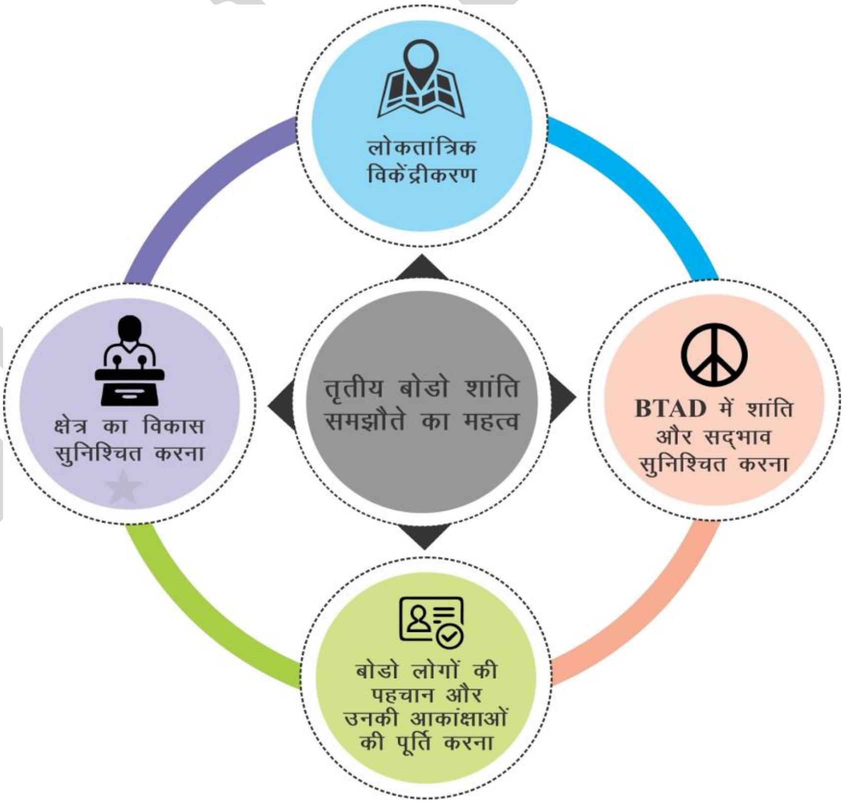

---

[36] Bodoland Autonomous Council

[37] Bodoland Territorial Council

[38] Bodo Territorial Areas Districts

[39] Bodoland Territorial Region

[40] Scheduled Hill Tribe status

- बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) में **सीटों की संख्या 40 से बढ़ाकर 60** की जाएगी।
- **बोडो (देवनागरी लिपि में) संपूर्ण असम के लिए** एक सहयोगी राजभाषा होगी।
- डेप्यूटी कमिश्नर और एस.पी. BTC के मुख्य कार्यकारी सदस्य के परामर्श से नियुक्त किए जाएंगे।
- **1,500 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज** तीन वर्षों में प्रदान किया जाएगा।

संबंधित सुर्ख़ियां

कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में वर्षों से जारी हिंसा को समाप्त करने के लिए **असम के पांच विद्रोही समूहों, केंद्र सरकार** और **राज्य सरकार** ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- 1,000 से अधिक ऐसे **सशस्त्र कैडरों का पुनर्वास** किया जाएगा, जिन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया है और वे मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।
- **केंद्र सरकार** असम सरकार को आगामी पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये का **विशेष विकास पैकेज** उपलब्ध कराएगी। इस पैकेज द्वारा राज्य **कार्बी क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं** आरंभ करने में सक्षम होगा।
- केंद्र सरकार के अनुसार असम की क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना **कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC)[41] को अधिकाधिक स्वायत्तता का हस्तांतरण; कार्बी लोगों की पहचान, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा; तथा परिषद क्षेत्र के केंद्रित विकास** को प्राथमिकता दी जाएगी।

अब तक हुई प्रगति

- BTR को एक नया आकार प्रदान करने के लिए **सीमा आयोग का गठन** किया गया है।
- बोडो क्षेत्र के निवासियों के लिए विकास कार्य विभिन्न आयोगों और सलाहकार समितियों के माध्यम से किया जा रहा है।
    - **750 करोड़ रुपये के मूल्य की 65 योजनाओं को स्वीकृत** किया गया है। इसके अतिरिक्त, 565 करोड़ रुपये का एक पृथक आवंटन भी किया जा चुका है।
- बोडो भाषा को उचित सम्मान प्रदान करने के लिए **असम राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2020**[42] पारित किया गया है।
- सभी आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों के लिए **4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता** प्रारंभ की गई है।

8.2. नागा शांति वार्ता (Naga Peace Talks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के) निकी समूह[43] के साथ संघर्ष विराम समझौता किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह समझौता **8 सितंबर 2021 से 1 वर्ष की अवधि** के लिए प्रभावी होगा। इसके अंतर्गत, समूह के **200 से अधिक कैडरों ने** शांति प्रक्रिया के तहत आत्मसमर्पण किया है।
- इससे पूर्व सरकार ने वर्ष 2015 में **नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-आईएम** (NSCN-IM) के साथ **नागा शांति समझौते के लिए रूपरेखा समझौते** (फ्रेमवर्क एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए थे।
    - इसके साथ ही, अन्य नागा समूहों जैसे- **NSCN-NK, NSCN-R, NSCN-K-खांगो (प्रमुख समूहों NSCN-IM और NSCN-K से पृथक हुए गुट)** के साथ संघर्ष विराम समझौते भी किए गए हैं।

नागा आंदोलन के बारे में

- नागा आंदोलन को **भारत का सबसे दीर्घावधि तक जारी रहने वाला विद्रोह** माना जाता है।
    - वर्ष 1946 में, **अंगामी फ़िज़ो ने नागा नेशनल काउंसिल (NNC)** की स्थापना की थी। इसने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था।
    - वर्ष 1975 में NNC ने **शिलांग समझौते** के तहत हिंसा त्यागने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि, समूह के भीतर एक गुट ने शिलांग समझौते को अस्वीकार कर दिया और **वर्ष 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN),** का गठन किया। इसने **नागालिम अर्थात ग्रेटर नागालैंड** की मांग प्रस्तुत की।
        - नागालिम में **"सभी निकटवर्ती नागा-बाहुल्य क्षेत्र"** शामिल हैं। इसके अंतर्गत **नागालैंड, असम के कई जिले, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर के साथ-साथ म्यांमार का एक बड़ा भू-भाग** भी शामिल है।
- नागा कोई एकल जनजाति नहीं है, बल्कि यह एक **नृजातीय समुदाय** है। इसमें कई जनजातियां शामिल हैं, जो नागालैंड राज्य तथा उसके निकटवर्ती भू-भागों में अधिवासित हैं।

---

41 Karbi Anglong Autonomous Council

42 Assam Official Language (Amendment) Bill, 2020

43 National Socialist Council of Nagaland (K) (NSCN-K) Niki Group

नागा शांति वार्ता के रास्ते में रुकावट

- **मांग की प्रकृति:** यह माना जाता है कि ध्वज और संविधान का मुद्दा शांति-प्रक्रिया के मुख्य मुद्दों का अभिन्न अंग है। इसलिए, इनके बिना अंतिम समझौता नहीं किया जा सकता है।
    - ऐसे में ध्वज और संविधान संबंधी मुद्दों के लिए भारतीय संघीय ढांचे में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता होगी।
- **अनुच्छेद 371-A:** जारी नागा शांति प्रक्रिया के लिए इस अनुच्छेद में संशोधन करना महत्वपूर्ण है, ताकि एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे का हल किया जा सके कि नागाओं का भूमि तथा संसाधनों (भूमि के ऊपर और भूमिगत दोनों) पर अधिकार है कि नहीं।
- **अन्य राज्यों की अखंडता:** यदि ग्रेटर नागालिम का निर्माण करने की शर्त समझौते का का हिस्सा होती है, तो तीन राज्यों, यथा- मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में से कोई भी अपनी भूमि का एक इंच भी 'ग्रेटर नागालिम' में शामिल करने की अनुमति नहीं देगा।
- **अन्य समूहों से भी समान मांग:** राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य में लोकतंत्र की भूमिका को कमजोर कर दिया है तथा विभिन्न गुटों एवं संगठनों के पृथक एजेंडा और मांगों को लेकर आशंकाओं को उत्प्रेरित किया है।
- **अन्य कारण:** क्षेत्र में हिंसा जारी है। इसके अलावा AFSPA भी लागू है और संघर्ष रोकने के उपायों पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। इस कारण स्थिति एवं बातचीत की प्रक्रिया और जटिल हो जाती है।

आगे की राह

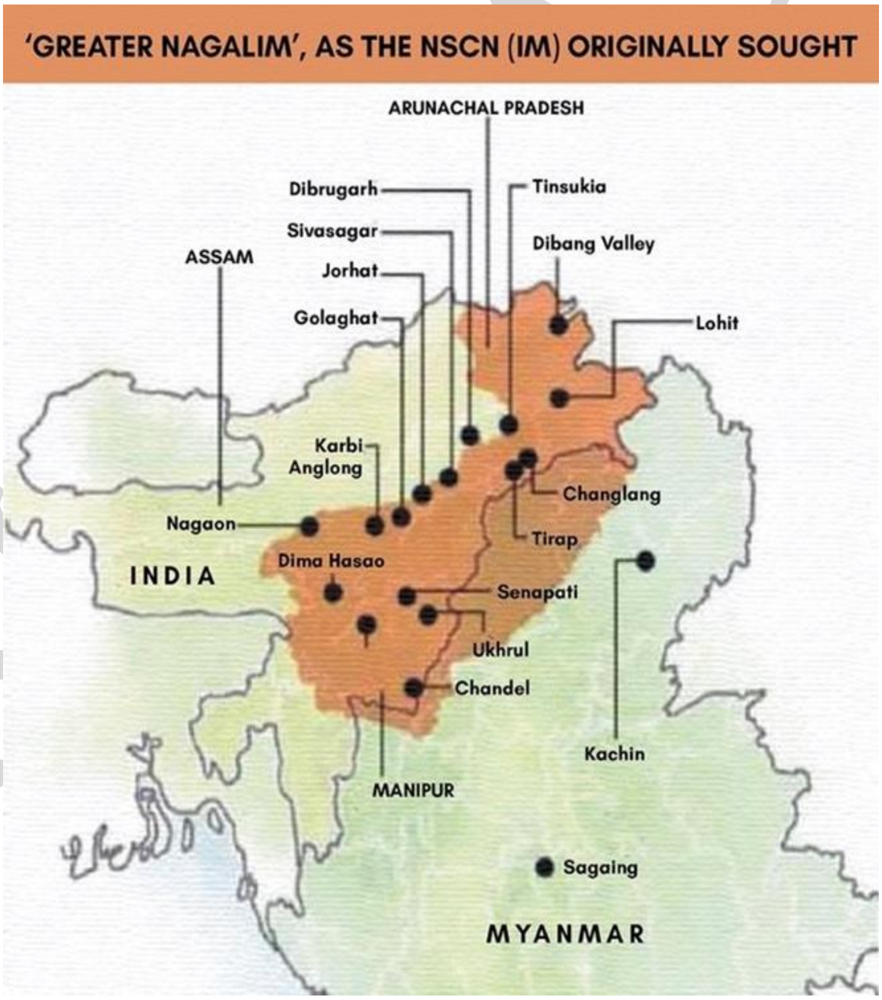

- सरकार को वर्ष 2015 के समझौते में निहित "विशेष व्यवस्था (special arrangement)" की कई व्याख्याओं के कारण उत्पन्न भ्रम का निवारण करना चाहिए, विशेष रूप से इस पर कि कैसे साझा संप्रभुता का प्रयोग किया जाएगा।
- सरकार को समय सीमा घोषित करके समाधान में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। इसमें नागालैंड राज्य के भीतर और बाहर के सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए तथा सभी को संतुष्ट करने वाली एक शांतिपूर्ण वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से समाधान की दिशा में कार्य करना चाहिए।
- अन्य वर्गों की संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में नागाओं के साथ संघर्षरत कुकी जनजाति द्वारा अपने क्षेत्रों पर नागा आधिपत्य को स्वीकार करने की संभावना नहीं है।
- NSCN (IM) की नागालिम की अवधारणा से अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर चिंतित हैं, क्योंकि इसके कारण इन राज्यों की सीमाओं का पुन:आरेखण किया जा सकता है। इसलिए, सरकार और NSCN (IM) को पूर्णतः पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा सभी प्रासंगिक राजनीतिक संगठनों, नागरिक समाज और नृजातीय समूहों को विश्वास में लेना चाहिए।
- लोगों से लोगों के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि लोग अपनी वास्तविक समस्याओं को एक वृहत्तर मंच पर प्रकट कर सकें। न केवल शेष भारत और उत्तर-पूर्व के मध्य, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी परस्पर अधिक अंतर-सांस्कृतिक ग्रहणशीलता/खुलेपन की आवश्यकता है।

9. सुरक्षा से संबंधित उभरते आयाम (Emerging Dimensions of Security)

9.1. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण (Space Weaponization)

अंतरिक्ष शस्त्रीकरण– एक नज़र में

- इसका आशय बाह्य **अंतरिक्ष या आकाशीय पिंडों में हथियार स्थापित करने** के साथ–साथ ऐसे हथियारों का निर्माण करने से है, जो अंतरिक्ष में लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं।
- यह परंपरागत युद्ध के मैदान में सेनाओं की सहायता करने वाले **अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से अलग** है।

अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के पीछे के कारण

- परमाणु हथियार से लैस आने वाली इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) को रोकने के लिए **वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी।**
- अन्य एंटी–सैटेलाइट (ASAT) हथियारों के खिलाफ अंतरिक्ष में **अपने उपग्रहों को सुरक्षित रखना।**
- यह **भूमि पर, समुद्र और वायु में युद्ध के संचालन के दौरान किसी देश को सर्वोच्चता** प्रदान करेगा।

अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के संभावित परिणाम

- **युद्ध का डर:** यह राष्ट्रों के बीच अनिश्चितता, संदेह और आक्रामक तैनाती का माहौल पैदा करेगा। इस कारण युद्ध हो सकता है।
- **वाणिज्यिक और वैज्ञानिक हितों के खिलाफ:** यह वैज्ञानिक अन्वेषणों में शामिल उपग्रहों सहित वाणिज्यिक उपग्रहों की पूरी श्रृंखला को जोखिम में डाल देगा।
- **अंतरिक्ष मलबा:** रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑर्बिटल स्लॉट्स सहित कुछ अन्य खतरनाक मुद्दे हैं। समय के साथ इनसे जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है।
- **कक्षा का एकाधिकार:** यह हो सकता है कि देश एक कक्षीय स्लॉट आरक्षित कर लें और कई वर्षों तक इसका उपयोग न करें।

अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि:** इसमें बल दिया गया है कि बाह्य अंतरिक्ष की खोज शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए। इसके अनुसार कोई राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष में राष्ट्रीय संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता।
- **बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ पर रोकथाम:** हथियारों की दौड़ को छोड़कर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना।

आगे की राह

- बाह्य अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण की तेजी की रोकथाम के लिए **कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।**
- देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को **सही जानकारी देनी चाहिए।** इसके बाद ये संस्थान अंतरिक्ष की स्थिति के बारे में सभी को ओपन–सोर्स जानकारी दे सकते हैं।
- **सभी देशों के लिए बाह्य अंतरिक्ष तक वैध पहुंच।** राष्ट्रों के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने के उपाय** अंतरिक्ष सुरक्षा को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

9.2. उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा (Emerging Technologies and Threat to National Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि **शीघ्र ही स्वदेश में निर्मित एंटी-ड्रोन तकनीक उपलब्ध** होगी। इससे पाकिस्तान की सीमा से सटे क्षेत्रों में सामना की जा रही ड्रोन संबंधी चुनौतियों से निपटा जा सकेगा।

उभरती हुई प्रौद्योगिकियां

- यह पदावली आमतौर पर उन प्रौद्योगिकियों के लिए उपयोग की जाती है, जो **वर्तमान में विकसित हो रही हैं, या जिनके अगले पांच से दस वर्षों के भीतर उपलब्ध होने की उम्मीद** है। साथ ही, यह उन प्रौद्योगिकियों के लिए भी प्रयुक्त होती है, जिनके द्वारा **महत्वपूर्ण सामाजिक या आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा है या उत्पन्न करने की उम्मीद है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- पाकिस्तान के ड्रोन सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं। **देश की सुरक्षा एजेंसियां इस स्थिति से निपटने के उपायों पर विचार-विमर्श कर रही हैं।**

प्रौद्योगिकी और सुरक्षा

- ऐतिहासिक रूप से देखें तो **तकनीकी नवाचार में अग्रणी होना**, प्रमुख वैश्विक शक्तियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।
- आधुनिक छोटे हथियार, परमाणु हथियार, स्टेल्थ तकनीक तथा निर्देशित मिसाइल जैसे **हथियारों का विकास करने और इन्हें सेना में शामिल** करने से सुरक्षा संबंधी समीकरण एक दम बदल जाते हैं। कुछ मामलों में, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी व्यापक बदलाव किए हैं।

उभरती प्रौद्योगिकी	संभावित लाभ	संभावित खतरे
ड्रोन/मानव रहित विमान (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs)	• UAVs का निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है: ○ **हवाई फोटोग्राफी में** ○ **फिल्म निर्माण में,** ○ **बचाव अभियान में,** ○ **वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करने में,** ○ **भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी** में आदि।	• UAV का दुरुपयोग **जासूसी-कार्य करने, चकमा देने, सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने या** उन्हें **संकेतहीन रखने** के लिए किया जा सकता है।
दूरी से संचालित हथियार प्रणाली (Remotely Operated Weapons Systems: ROWS)	• **बेहतर निगरानी** (रासायनिक और बायो डिटेक्शन सेंसर, ड्रोन आदि) में।	• **साइबर घुसपैठियों द्वारा नियंत्रण प्रणाली तक पहुंच प्राप्त की जा सकती है।** इससे निम्नलिखित मापदंडों को बदला जा सकता है जैसे कि: ○ किसी क्षेत्र में किसे अनुमति दी जानी है, और ○ किसे एक खतरे के रूप में देखा जाना है। • इसके परिणामस्वरूप चोरी या कोई अन्य बड़ी गड़बड़ी की जा सकती है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI)	• AI के माध्यम से संभावी विश्लेषण व **आतंकवाद रोधी और कानून प्रवर्तन** संबंधी सूचना विज्ञान में सहायक।	• स्वचालित AI द्वारा साइबर हमले; इन प्रणालियों पर अति-निर्भरता और अति-जटिलता संबंधी जोखिम; आतंकवादी और अन्य विरोधियों द्वारा अधिक कुशल भौतिक हमलों का संचालन करने में मदद के लिए AI का उपयोग करने की संभावना आदि।
साइबर प्रौद्योगिकी	• परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों और अन्य जटिल औद्योगिक स्थलों पर **बेहतर सुरक्षा व्यवस्था में।**	• इससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को हैक करने, उसमें व्यवधान और गड़बड़ी करने की संभावना संबंधी जोखिम में बढ़ोतरी हो सकती है।
मानवीय गुणों का बेहतर प्रदर्शन	• इसमें ध्यान, स्मरण क्षमता और भावनाओं में अपेक्षित हेरफेर करने वाले अनेक न्यूरोफार्मास्युटिकल्स (नूट्रोपिक्स), **शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर करने वाली दवाएं** आदि शामिल हैं।	• इससे गुप्त रूप से जासूसी करने, कंप्यूटर सिस्टम के साथ संपर्क करने या सहयोगियों के साथ संवाद करने जैसे नए तरीके संभव हो सकते हैं।
प्रतिरक्षा और सुरक्षा के लिए बाह्य अंतरिक्ष का बढ़ता उपयोग	• राज्यों की आसूचना, निगरानी और जासूसी-कार्यों में; स्थल पर, समुद्र में और हवा में सेना की आवाजाही पर नज़र रखने में; गोपनीय और सामान्य दूरसंचार में; जी.पी.एस. निर्देशित हथियार में; साइबर युद्ध आदि में।	• युद्ध संबंधी उद्देश्यों के लिए निर्देशित ऊर्जा हथियारों (DEW)[44] की तैनाती आरंभ करना और सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रह प्रणालियों के उपयोग में संभावित वृद्धि।

[44] Directed Energy Weapons

उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती तस्वीर

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- हाल ही में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने **नई और उभरती सामरिक प्रौद्योगिकी (NEST)[45] प्रभाग** का गठन किया है। इसका उद्देश्य नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में विदेश नीति व अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित पहलुओं से निपटना है।
- वर्ष 2020 में **नेशनल क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन मिशन** की घोषणा की गई थी।
- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित कई समर्पित प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं।** इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम और संज्ञानात्मक (cognitive) प्रौद्योगिकियां, असममित (asymmetric) प्रौद्योगिकियां एवं स्मार्ट सामग्री जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
- भारत में एक **रक्षा साइबर एजेंसी** और एक **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन** है। ये देश के विरुद्ध साइबर जोखिमों और खतरों से मुकाबला करने हेतु प्रणालियों को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

- **नए खतरे:** नई तकनीकों और मौजूदा प्रौद्योगिकियों के नए अनुप्रयोगों द्वारा श्रम बाजारों को बाधित तथा स्वास्थ्य, ऊर्जा व परिवहन प्रणालियों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है।
- **सीमित विनियमन:** तकनीकी नवाचार बड़े पैमाने पर सरकारों के दायरे से बाहर हो रहे हैं। कई मामलों में नवाचार की दर देशों की नवीनतम घटनाओं और उनके संभावित सामाजिक प्रभावों से अवगत रहने की क्षमता को पीछे छोड़ रही है।
- **प्रभावशाली विरोधी:** उभरती हुई तकनीक से विरोधी भी अधिक आसानी से हथियार प्रणाली विकसित कर पाएंगे। इससे वे दूर तक, तेज और प्रभावशाली हमला कर सकते हैं तथा भारत को अंतरिक्ष सहित सभी युद्ध क्षेत्रों में चुनौती दे सकते हैं।
- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं से खतरा:** अल-कायदा और ISIS जैसे समूह अपना प्रभाव बढ़ाने तथा सहयोगियों की भर्ती के लिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन संचार का उपयोग कर रहे हैं।
- **सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD)[46] का खतरा:** शत्रु राष्ट्र जब स्वयं को तकनीकी रूप से बेहतर सैन्य बल वाले देशों का सामना करने में असमर्थ पाएंगे, तो वे WMD का विकास करके अपने विरोधी की क्षमता को प्रतिसंतुलित करने का विकल्प चुनेंगे।

आगे की राह

- **निवेशकों और कंपनियों** को **प्रोत्साहित करना चाहिए।**
- **बहुपक्षीय अभिशासन प्रणाली** को अपनाया जाना चाहिए। इसके तहत तकनीकी और मानक समाधान दोनों को आरंभ करने, आकार देने व कार्यान्वित करने के लिए अधिक संख्या में तथा विविध अभिकर्ता को शामिल करना चाहिए।
- **निम्नलिखित के लिए अधिक साझेदारियों और सहयोगात्मक माहौल का निर्माण करना चाहिए:**
  - दुनिया भर में उभरती हुई प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों को साझा करने के लिए,
  - प्रतिस्पर्धी खतरों को दूर करने के लिए,
  - राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को साझा करने के लिए और
  - नागरिक स्वतंत्रता, निजता और नैतिक प्रभावों पर विचार करने के लिए आदि।
- **सार्वजनिक-निजी रणनीतिक भागीदारी का निर्माण करना** चाहिए। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए निजी पूंजी के उपयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा **उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को विकसित करना और उन्हें अपनाना** चाहिए। साथ ही, निजी क्षेत्र के ग्राहक के रूप में सरकार की निर्भरता में सुधार करना चाहिए।

9.3. जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा (Climate Change and Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रारूप संकल्प के विरुद्ध मतदान किया है। इस संकल्प में पहली बार जलवायु परिवर्तन को शांति के लिए खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है।

[45] New, Emerging and Strategic Technologies

[46] Weapons of Mass Destruction

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- सुरक्षा परिषद के इस प्रारूप संकल्प का उद्देश्य **संघर्ष रोकथाम, संघर्ष प्रबंधन और शांति स्थापना** से संबंधित **संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची में जलवायु संबंधी सुरक्षा जोखिमों को व्यवस्थित रूप से समेकित करना** था।

संकल्प की आवश्यकता

- **जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा के बीच अंतर्संबंध:** जलवायु परिवर्तन से विश्व में सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा हो रहे हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

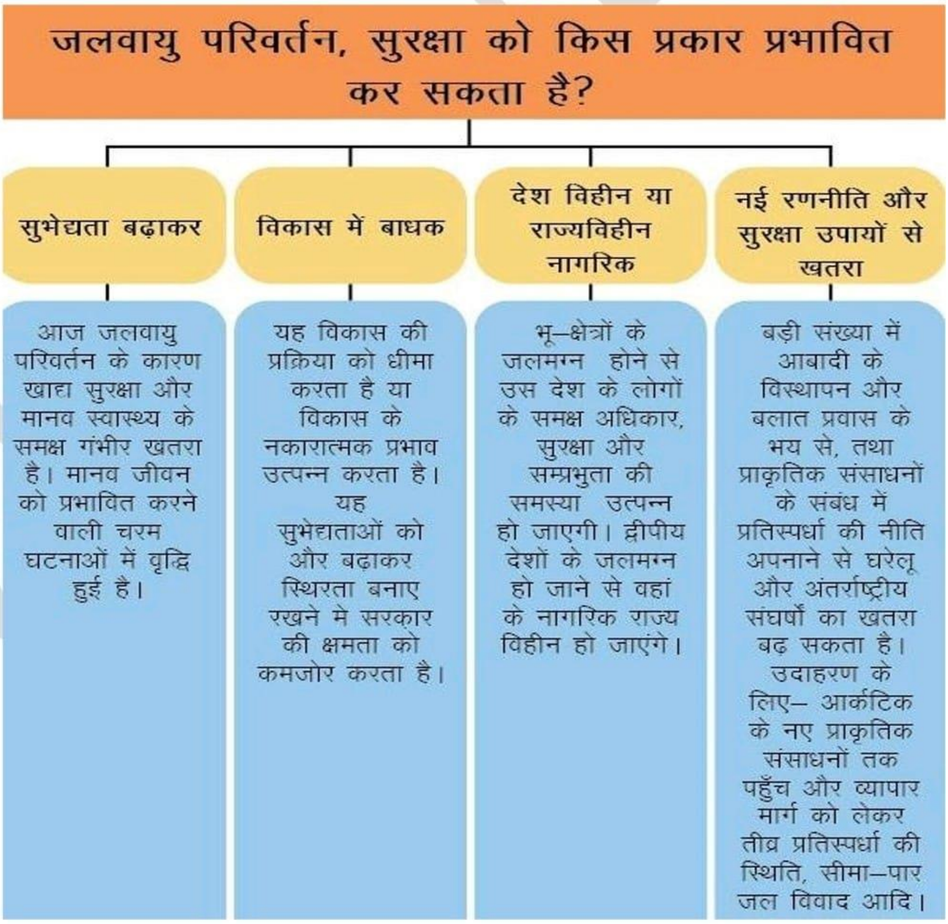

- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** के सम्मेलनों की प्रगति धीमी है। इससे प्राप्त परिणाम भी जलवायु परिवर्तन और संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अपर्याप्त हैं।
- **UNSC के पास पहले से ही अपने अधिदेश में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए साधन उपलब्ध हैं:** यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के सुरक्षा संबंधी प्रभावों को शांति स्थापना, शांति निर्माण और मानवीय प्रतिक्रिया के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ एकीकृत किया जाए।

संकल्प के संबंध में चिंताएं

- हालाँकि जलवायु परिवर्तन में शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता है, लेकिन **दोनों के बीच पारस्परिक संबंध जटिल** हैं।
    - उदाहरण के लिए- अन्य कारकों जैसे पर्यावरणीय क्षरण, खाद्यान्न की कमी और संसाधनों के अनुचित वितरण के कारण तनाव व संघर्ष होने की संभावना सबसे अधिक रहती है।
- **जलवायु परिवर्तन UNSC के दायरे से बाहर है:** UNSC की प्राथमिक जिम्मेदारी "अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना" है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे इसके दायरे से बाहर हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों पर एक विशेष एजेंसी, UNFCCC में चर्चा की जाती है।
- इस मुद्दे को UNSC के अधीन लाने से विश्व के **औद्योगिक देशों को अधिक शक्तियां** मिल सकती हैं। ये देश वीटो शक्ति रखते हैं और जलवायु संबंधी सुरक्षा मुद्दों पर भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके विपरीत UNFCCC में निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं।

आगे की राह

- **UNFCCC में जलवायु संबंधी सुरक्षा मुद्दों को शामिल करने के लिए चर्चा के दायरे का विस्तार किया जा सकता है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करना चाहिए।** इस समर्थन में सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण में निवेश भी शामिल होना चाहिए।
- **सभी देशों के सतत और समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ाना चाहिए।** इसमें विशेष रूप से विकसित देशों द्वारा विकास संबंधी सहायता पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना शामिल होना चाहिए।
- **जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों का अनुमान लगाने और उनका समाधान करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।** इन चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन के कारण सीमाओं के पार बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापित होना, द्वीपीय राष्ट्रों के जलमग्न होने से उनके नागरिकों के राज्यविहीन होने की संभावना, जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी होना आदि शामिल हैं।
- **विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सूचना के प्रवाह** और आकलनों (विशेष रूप से पूर्व-चेतावनी प्रणाली पर) के आदान-प्रदान में सुधार करना।

VISION IAS

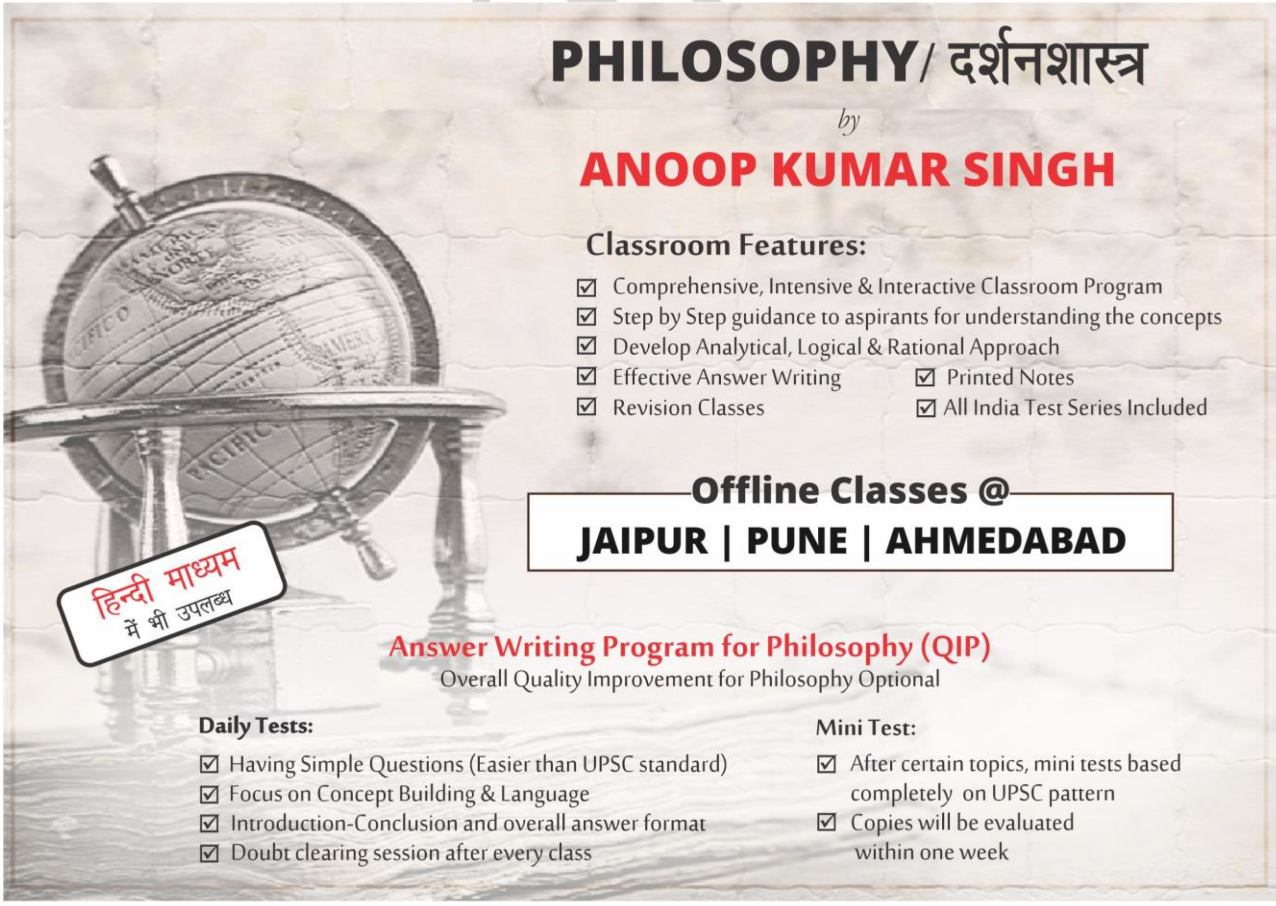

10. विविध (Miscellaneous)

10.1. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdown)

इंटरनेट शटडाउन– एक नज़र में

इसमें **डिजिटल संचार को उद्देश्यपूर्ण ढंग से बाधित किया जाता है।** इसके कारण इंटरनेट तक लोगों की बहुत कम या शून्य पहुंच रह जाती है।

इंटरनेट शटडाउन **राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है या इसे किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित** रखा जा सकता है।

हाल ही में आयी एक रिपोर्ट के अनुसार, **वर्ष 2012 से अब तक भारत में 550 से अधिक बार इंटरनेट शटडाउन** किया जा चुका है।

इंटरनेट शटडाउन के कारण

- **कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार** लाने के लिए।
- **शांति स्थापित** करना, **राज्य की सुरक्षा और स्थिरता** सुनिश्चित करना।
- **फेक न्यूज के प्रसार को रोकने** के लिए। प्रशासनिक सुविधा के लिए।

इंटरनेट शटडाउन के प्रतिकूल प्रभाव

- **व्यवसायों और सेवाओं के वितरण पर प्रभावः वर्ष** 2020 में इंटरनेट बंद होने से भारत को 2.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। यह इंटरनेट बंद होने से विश्व अर्थव्यवस्था को हुए 4 बिलियन डॉलर के कुल नुकसान का लगभग 70% है।
- **डिजिटलीकरण के सरकारी प्रयासों पर प्रभावः** चूंकि कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है।
- **नागरिकों के अधिकारों का हननः** सभा करने की स्वतंत्रता का हनन, चुनाव में हस्तक्षेप और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन।

भारत में इंटरनेट शटडाउन के लिए नियम/कानूनी प्रावधान

- दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017
- सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अपने फैसले में दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के सभी आदेशों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
- 2017 के नियमों में 2020 में संशोधन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों के तहत जारी किया गया कोई भी निलंबन आदेश पंद्रह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा।
- 2017 से पहले **दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 144** के तहत इंटरनेट शटडाउन के आदेश दिए जाते थे। परन्तु लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।

संसदीय समिति की सिफारिशें

- **दूरसंचार सेवाओं के निलंबन का विनियमन**
  - न्यूनतम दुष्प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए **बदलती प्रौद्योगिकी के अनुरूप नए नियम** लाना।
  - इंटरनेट शटडाउन का आदेश देने के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान दिशा-निर्देश जारी करना।
- **दूरसंचार सेवाओं के निलंबन के लिए ठोस आधारः**
  - सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा के रूप में **परिभाषित मानकों को संहिताबद्ध करना;**
  - देश में सभी **इंटरनेट शटडाउन आदेशों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस** तैयार करना।
- **अन्य सिफारिशें**
  - यह सुनिश्चित करना कि **इंटरनेट शटडाउन का यथासंभव कम से कम उपयोग किया जाए।**
  - दूरसंचार विभाग पूरी तरह से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के बजाए **चुनिंदा सेवाओं** जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर प्रतिबंध लगाने के विकल्प **पर विचार कर सकता है।**

10.2. भारत में ड्रोन विनियम (Drone Regulations in India)

भारत में ड्रोन – एक नज़र में

मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft: UA) को आम बोलचाल की भाषा में ड्रोन कहा जाता है। यह यह एक ऐसा विमान होता है जिसे पायलट के बिना संचालित किया जाता है।

अलग-अलग क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल

कृषि
- फसल स्वास्थ्य की निगरानी
- मृदा स्वास्थ्य की जाँच
- संसाधनों का बेहतर उपयोग

वन और वन्य जीवन
- वन्य जीवन का संरक्षण
- मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन
- वन संरक्षण

शहरी विकास
- शहरों का सर्वेक्षण
- बेहतर शहरी नियोजन
- परियोजना की निगरानी
- परियोजनाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन

स्वास्थ्य देखभाल
- महामारी नियंत्रण
- स्वच्छता और साफ-सफाई
- स्वास्थ्य सुविधाएँ

यातायात प्रबंधन
- सड़क की सतह की स्थिति की निगरानी
- यातायात प्रबंधन में सुधार
- यातायात प्रतिक्रिया में सुधार

आंतरिक सुरक्षा
- रीयल टाईम निगरानी
- सुरक्षा योजना
- ड्रग्स/ नारकोटिक्स का पता लगाना

आपदा प्रबंधन
- रीयल टाइम निगरानी
- खोज और बचाव
- आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी

खनन
- खनिज की खोज
- अतिक्रमण का प्रबंधन
- अनुबंध के अनुरूप कार्य की निगरानी

ड्रोन विनियमों की आवश्यकता

- कई नागरिक क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताओं और ड्रोन के वैध उपयोग के बीच संतुलन के लिए **नीतिगत अंतराल को भरना।**
- भारत में ड्रोन का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। इसलिए **गुणवत्ता पर नियंत्रण और मानकीकरण** आवश्यक हैं।
- कृषि, वन और वन्यजीव, स्वास्थ्य देखभाल, खनन, आपदा प्रबंधन आदि जैसे **कई क्षेत्रों में ड्रोन का बढ़ता उपयोग।**
- **गोपनीयता संबंधी प्रश्नों को हल करना** क्योंकि ड्रोन लोगों का ध्यान आकर्षित किए बिना डेटा और चित्र एकत्र कर सकते हैं।
- **आतंकवादी खतरे का सामना करना:** आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के कई उदाहरण मिले हैं।

ड्रोन को विनियमित करने और इससे जुड़े सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए उठाए गए कदम

- मानव रहित विमानन उद्योग के लिए नियमों के अनुपालन में आसानी तथा सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **ड्रोन नियम, 2021 का मसौदा।**
- **नागर विमानन मंत्रालय ने** ख़तरनाक ड्रोन से निपटने हेतु **नेशनल काउंटर रोग ड्रोन दिशा-निर्देश** जारी किए थे।
- **सरकार ने** सुरक्षा बलों द्वारा **ड्रोन रोधी तोपों की तैनाती** के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।
- DRDO द्वारा ड्रोन के लिए विकसित **डिटेक्ट-एंड-डिस्ट्रॉय तकनीक।**
- ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए **ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022** को अधिसूचित किया गया था।

ड्रोन से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताएं

- पंजाब सीमा पर **हथियारों और नशीले पदार्थों को गिराने के लिए ड्रोन का नियमित रूप से उपयोग** किया जाता रहा है। **पारंपरिक रडार सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाली वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम नहीं होते हैं।**
- यह **प्रौद्योगिकी आतंकवादी समूहों के लिए आसानी से सुलभ है।** यह उन्हें हवाई हमलों की क्षमता भी प्रदान करती है।
- पारंपरिक हथियारों की तुलना में ड्रोन अपेक्षाकृत **सस्ते, सुगठित और छोटे होते हैं। साथ ही, ये** कहीं अधिक **विनाशकारी सिद्ध** हो सकते हैं।
- इन्हें **दूर से नियंत्रित किया जा सकता है।** इनका उपयोग करते हुए हमलावर खतरे से दूर रहता है।

आगे की राह

- ड्रोन को रखने और इसके उपयोग के संबंध में स्वीकार्य गतिविधियों की **सीमाओं को परिभाषित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया की तत्काल आवश्यकता है।**
- **सरकार को ऐसे कानून लाने चाहिए जो नवाचार को तो बढ़ावा दें,** लेकिन गोपनीयता के उल्लंघन और हवाई क्षेत्र के दुरुपयोग को भी रोक सकें।
- UAS नियमों के तहत **मानवरहित विमान प्रणाली** (UAS) **के वर्गीकरण में सुधार करना।** ये नियम प्रदर्शन आधारित होने के बजाए वजन के आधार पर वर्गीकृत हैं।

10.3. क्लस्टर बम और थर्मोबेरिक हथियार (Cluster Bombs and Thermobaric Weapon)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मानवाधिकार समूहों ने, **यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस पर क्लस्टर बमों और थर्मोबेरिक हथियारों का उपयोग करने का आरोप** लगाया है।

क्लस्टर बम और थर्मोबेरिक हथियार के बारे में

<table>
<tr><th>क्लस्टर बम (Cluster bombs)</th><th>थर्मोबेरिक हथियार (इसे एरोसोल बम, फ्यूल एयर एक्स्प्लोसिव या वैक्यूम बम भी कहा जाता है)</th></tr>
<tr><td>

- ये एक प्रकार के **गैर-सटीक हथियार** होते हैं। इन्हें किसी बड़े क्षेत्र में **ताबड़तोड़ तरीके से आबादी (यानी लोगों) को घायल करने या मारने** और वाहनों तथा बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
- इन्हें **विमान से गिराया** जा सकता है या **प्रोजेक्टाइल (प्रक्षेप्य) के रूप में दागा** जा सकता है। ये हथियार अपने मार्ग में छोटे-छोटे बमों की बमबारी करते जाते हैं।
- इन छोटे-छोटे बमों में से **कई बम फट नहीं पाते हैं** और जमीन पर निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ऐसे में लड़ाई या युद्ध समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक मानव आबादी को इनसे खतरा बना रहता है।
- जिन देशों ने **क्लस्टर हथियारों पर अभिसमय** (Convention on Cluster Munitions) की अभिपुष्टि की है, उन्हें क्लस्टर बमों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। अब तक, इस **अभिसमय के 110 देश पक्षकार** हैं।
    - **रूस, यूक्रेन और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।**
- **भारत के पास क्लस्टर हथियार हैं।** इन्हें जमीन से आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल या रॉकेट और मिसाइलों से भी दागा जा सकता है।

</td><td>

- ये हथियार बड़े व उच्च तापमान वाले विस्फोट के लिए **वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग** करते हैं।
- समान आकार के पारंपरिक बम की तुलना में ये **बहुत अधिक तबाही** मचाते हैं।
- इस बम में **2 अलग-अलग चरणों में विस्फोट** होता है:
    - जैसे ही यह अपने लक्ष्य से टकराता है तो **पहले विस्फोट से बम का ईंधन कंटेनर खुलता है** और ईंधन का बादल और धातु के टुकड़े बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं।
    - **इसके बाद दूसरा विस्फोट होता** है, जो एरोसोल के बादल को आग के विशाल गोले में तब्दील कर देता है। इससे चारों ओर विस्फोट की जानलेवा लहरें फैलने लगती हैं। इससे मजबूत इमारत या उपकरण भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही, मनुष्य भी इसके अत्यधिक ताप में तुरंत जल कर मर जाते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्पष्ट रूप से थर्मोबैरिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है।**

</td></tr>
</table>

संबंधित तथ्य

रूस-यूक्रेन युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर यू.एस.ए. ने रूस को चेतावनी दी।

<table>
<tr><th>रासायनिक हथियार (Chemical Weapons)</th><th>जैविक हथियार (Biological weapons)</th></tr>
<tr><td>

- इसमें विषैले या रासायनिक पदार्थों से युक्त **युद्धक सामग्री** शामिल होती है। ये मानव शरीर तथा इसकी कार्य प्रणाली पर हमला करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **फॉस्जीन जैसे दमघोटू कारक (Choking agents):** ये फेफड़ों और श्वसन प्रणाली पर हमला करते हैं;
    - **ब्लिस्टर एजेंट, जैसे मस्टर्ड गैस:** यह त्वचा को जला देती है तथा लोगों को अंधा कर देती है; और
    - **नर्व एजेंट:** ये मस्तिष्क द्वारा शरीर की मांसपेशियों को

</td><td>

- **जैविक हथियार: ये मनुष्यों, जानवरों या पादपों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले सजीवों या जहरीले पदार्थों का प्रसार करने वाले हथियार** हैं।
    - इन हथियारों में आम तौर पर **दो भाग** होते हैं: पहला, हथियार के रूप में उपयोग किए जाने वाले कारक (weaponized agent) और दूसरा, इनको डिलीवर करने वाली प्रणाली (delivery mechanism)।

</td></tr>
</table>

भेजे जाने वाले संदेशों को बाधित करते हैं। • **रासायनिक हथियार अभिसमय (CWC)**[47] के तहत रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, प्राप्ति या अधिग्रहण, भंडारण या धारण करना प्रतिबंधित है। • CWC वर्ष 1997 में लागू हुआ था। भारत सहित इसके 193 **देश** पक्षकार हैं।	• **जैविक हथियार अभिसमय (BWC)**[48] के तहत जैविक और विषैले हथियारों का विकास, उत्पादन, प्राप्ति या अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग करना **प्रतिबंधित** है। • यह **अभिसमय वर्ष 1975 में लागू** हुआ था। यह **वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल** का एक पूरक समझौता है, जिसके तहत जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। • वर्तमान में **183 देश (भारत सहित)** इसके पक्षकार हैं।

10.4. हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म (Hypersonic Platforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अगस्त माह में चीन के द्वारा कथित तौर पर **एक परमाणु-सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया गया।** इसने अपने लक्ष्य की ओर गति करने से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया।

अन्य संबंधित तथ्य

- ऐसा प्रतीत होता है कि **चीन द्वारा फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम (FOBS) को हाइपरसोनिक हथियार के साथ जोड़ दिया गया है।** फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम के तहत लक्ष्य पर अप्रत्याशित या अज्ञात दिशा से हमला करने के लिए पृथ्वी की **निम्न-कक्षा (Partial Orbit)** के माध्यम से मिसाइल को भेजा जाता है।
- अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार यह हथियार (सैद्धांतिक रूप से) **दक्षिणी ध्रुव के ऊपर** से उड़ान भर सकता है। यह अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि **अमेरिका की मिसाइल रक्षा प्रणाली उत्तरी ध्रुवीय मार्ग पर केंद्रित है।**

हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म के बारे में

- **ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक गति** को **हाइपरसोनिक गति** कहते हैं। अर्थात्, ऐसी वस्तु जो मैक 5 या उससे अधिक **(कम से कम 1.6 कि.मी. प्रति सेकंड)** रफ्तार से गति कर सके।
- **हाइपरसोनिक प्रणाली को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:**
  - **हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल (HCM):** इसे विशेष रूप से प्रारंभ में उच्च गति हेतु प्रणोदित करने के लिए एक छोटे रॉकेट का उपयोग किया जाता है, तत्पश्चात लक्ष्य की ओर हाइपरसोनिक गति से बढ़ने के लिए **सुपरसोनिक दहन रैमजेट ('स्क्रैमजेट')** द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है।
  - **हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV):** HGV एक **'बूस्ट-ग्लाइड'** हथियार है। इसे पहले एक पारंपरिक रॉकेट के साथ निकट-अंतरिक्ष में प्रमोचित (boosted) किया जाता है, और फिर **यह उचित ऊंचाई और गति प्राप्त करने के बाद** रॉकेट से अलग हो जाता है।

हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कैसे ICBM से भिन्न है?

अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM)	हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल (HCM)
• पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल और ICBM बुलेट की तरह एक **पूर्वानुमानित बैलिस्टिक पथ (चाप के आकार का) का अनुसरण** करती हैं। **इनका पता लक्ष्य तक पहुंचने से पहले लगाया जा सकता है।**	• हाइपरसोनिक मिसाइल में कम गति वाली **सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की गतिशीलता और** ICBM की गति **से अधिक या उसके बराबर हाइपरसोनिक गति होती है।** इसके कारण इसका पता लगाना और इससे बचना कठिन हो जाता है। • HCMs और HGVs हमलों का पता लगाने या उसे इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। इसके अलावा, **HGVs 100-110 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर उड़ान नहीं भरते हैं** तथा HCMs लगभग 20-30 किलोमीटर की कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं।

[47] Chemical Weapons Convention

[48] Biological Weapons Convention

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित सामरिक निहितार्थ

- **वर्तमान सैन्य शक्ति संतुलन में व्यवधान।**
- **हथियारों की अविवेकी तैनाती में वृद्धि:** हाइपरसोनिक हथियारों से संबंधित खतरे और चेतावनी-प्रतिक्रिया हेतु उपलब्ध कम समय के कारण परमाणु-सशस्त्र देश अपने परमाणु हथियारों को हेयर-ट्रिगर रेडीनेस / 'चेतावनी पर लॉन्च' करने की स्थिति में रख सकते हैं, और/या निचले स्तरों को नियंत्रण प्रदान कर सकते हैं।

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में भारत की प्रगति
- **ब्रह्मोस II:** भारत, **रूस के साथ** मिलकर मैक 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल **ब्रह्मोस II** को विकसित कर रहा है।
- **मिशन शक्ति:** अपनी **अंतरिक्ष परिसंपत्ति की रक्षा के लिए**, भारत पहले ही स्वदेशी रूप से विकसित **एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल प्रौद्योगिकी** के परीक्षण के माध्यम से अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर चुका है।
- **HSTDV:** भारत अपने **हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम (HSTDV)** के हिस्से के रूप में एक **स्वदेशी, दोहरी क्षमता वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है।**
- **HWT परीक्षण सुविधा:** यह एक **प्रेशर वैक्यूम-ड्रिवेन एनक्लोजड़ फ्री जेट फैसिलिटी है** जो मैक 5 से 12 का अनुकरण (simulates) करती है।

- **रणनीतिक अस्थिरता: त्वरित-लॉन्च, उच्च गति, लक्ष्य को प्रभावित करने की व्यापक क्षमता वाले** हाइपरसोनिक हथियार से **दुस्साहसवाद (adventurism) को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, इससे हथियारों की वृद्धि को नियंत्रित करना और भी कठिन हो जाएगा।** इसके परिणामस्वरूप न केवल रणनीतिक अस्थिरता बल्कि कई स्तरों पर संकट प्रबंधन में भी अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **परमाणु हथियारों की दौड़:** चीन के इस मिसाइल कौशल के प्रदर्शन को **स्पुतनिक चरण के "बहुत करीब"** माना गया है। **स्पुतनिक, सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया उपग्रह था,** इसने दर्शाया कि अंतरिक्ष की दौड़ में रूस सबसे आगे है और एक दिन रूस अंतरिक्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका पर परमाणु बम बरसा सकता है।
- **भारत के लिए निहितार्थ:** चीन द्वारा किए गए हाइपरसोनिक-मिसाइल परीक्षण से साबित होता है कि बीजिंग से संबंधित खतरा केवल **सीमावर्ती क्षेत्रों** या हिंद-प्रशांत तक **सीमित नहीं है।** बल्कि चीन **अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और भू-राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में** भारत के लिए एक गंभीर असैन्य और सैन्य खतरा प्रस्तुत करता है।

भारत को इस घटनाक्रम पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए?

- **हथियार नियंत्रण में उभरते हितों को निर्धारित करना:** भारत को हथियारों के नियंत्रण में उभरते हितों को **परमाणु हथियारों के अप्रसार से परमाणु हथियारों का उपयोग न करने के रूप में परिभाषित करना चाहिए।** इस संदर्भ में **ग्लोबल नो-फर्स्ट यूज़ (NFU)** एक तर्कसंगत और प्रगतिशील प्रस्ताव हो सकता है क्योंकि यह संयम को बढ़ावा देता है या कम-से-कम एक **विनियामक के रूप में भी कार्य करता है।**
  - भारत, हाइपरसोनिक हथियारों में अपने अनुसंधान को छोड़े बिना निरस्त्रीकरण सम्मेलन और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर **हाइपरसोनिक हथियारों पर वार्ताओं का प्रस्ताव कर सकता है।**
- **भारत को हथियारों की दौड़ के लिए तैयार रहना चाहिए:** जिस प्रकार प्रमुख शक्तियों के बीच शक्ति प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है उससे हथियारों की दौड़ एक अपवाद के बजाए **एक मानक के रूप में स्थापित होने की क्षमता रखती है।** इसलिए, भारत को ऐसी **घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए।**
- **अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता (SSA)**[49] **अंतरिक्ष सुरक्षा** के लिए एक स्वतंत्र SSA महत्वपूर्ण है और साथ ही इसमें एक **सामरिक प्रौद्योगिकी बनने की भी क्षमता** है जिसकी अन्य देशों को आवश्यकता होगी।
- **प्रौद्योगिकी में निवेश:** क ऐसे समय में जब एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी अभूतपूर्व गति से मजबूत हो रहा है, भारत को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और अपने हितों की रक्षा के लिए **सैन्यीकृत AI प्रौद्योगिकियों** में अत्यधिक निवेश करना चाहिए।

निष्कर्ष

हालांकि, चीन का यह परीक्षण अब तक **भारत के खिलाफ नहीं** बल्कि क्षमता निर्माण के लिए किया गया है। लेकिन चीन के साथ हाल के दिनों में बिगड़ते संबंधों और अनसुलझे सीमा विवादों पर ध्यान देते हुए, भारत को चीन के खिलाफ अपनी **सामरिक प्रतिरोधक** क्षमता को मजबूत करते हुए **हाइपरसोनिक क्षमता का विकास और परीक्षण** करना चाहिए।

[49] Space Situational Awareness

10.5. एस. 400 (S-400)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रूस ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाली S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर दी है

S-400 के बारे में

- S-400 विश्व की **सबसे उन्नत वायु-रक्षा प्रणालियों में से एक है।**
  - यह **चार अलग-अलग मिसाइलों से लैस है।** यह **400 किमी, 250 किमी, मध्यम दूरी की 120 किमी और कम दूरी के 40 किमी** तक शत्रु के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंंट्रोल सिस्टम (AWACS) विमानों को मार सकती है।
  - **यह 9-10 सेकंड के प्रतिक्रिया समय के साथ** एक बार में 80 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता से युक्त है।
- यू.एस.ए. ने एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली **टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD/थाड)** और **पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी-3** (PAC-3) का प्रस्ताव रखा था। साथ ही, **इज़रायल का आयरन डोम** भी विकल्पों में से एक था।
  - हालांकि, भारत के समक्ष प्रस्तावित विकल्पों में से कोई भी रूसी वायु रक्षा प्रणाली से बेहतर नहीं था। रूस की इस प्रणाली को दुनिया की सबसे अच्छी वायु रक्षा प्रणाली माना जाता है।

भारत के लिए S-400 सौदे का महत्व

- **यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है,** क्योंकि भारत को चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
- यह भारतीय वायुसेना की **घटती लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या के कारण वायु रक्षा क्षमता में उत्पन्न कमी** को भी दूर करेगा।

अन्य प्रमुख रक्षा प्रणालियों के साथ तुलना

कारक	रूस का S-400	यू.एस.ए. का THAAD	यू.एस.ए. का PAC	इज़रायल का आयरन डोम
गतिशीलता	इसकी गतिशीलता बहुत उच्च है। इसे 5 मिनट के भीतर लॉन्च किया जा सकता है।	कम	कम	मध्यम
व्यावहारिकता/ प्रयोज्यता	30 किलोमीटर की तक की ऊंचाई वाली कोई भी स्थलाकृति।	आमतौर पर मैदानी क्षेत्र	आमतौर पर मैदानी क्षेत्र	अज्ञात
सीमा/ रेंज	40 से 400 किलोमीटर। अलग-अलग रेंज के लिए अलग-अलग प्रणालियों की उपलब्धता बेहतर सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है।	150 कि.मी.	100 कि.मी.	600 किलोमीटर रेंज के लिए कारगर यह एक एकल प्रणाली है।
अनूठी विशेषताएं	600 किलोमीटर तक के रडार और हवाई खतरों को ट्रैक करने की क्षमता। पता लगाना और नष्ट करना मुश्किल है।	केवल अंतरमहाद्वीपीय और मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणालियों का मुकाबला कर सकता है।	केवल 180 कि.मी. तक की रेंज में मौजूद हवाई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखता है।	हवाई खतरों का मुकाबला कर सकता है लेकिन नीचे उड़ान भरने वाली मिसाइलों के खिलाफ अप्रभावी।

परिशिष्ट: प्रमुख आंकड़े और तथ्य

रक्षा क्षेत्र

रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण	**रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए पहल:** रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020; iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार), सृजन पोर्टल, प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) योजना आदि। **सैन्य संगठन में सुधार के लिए पहल:** CDS (कारगिल समीक्षा समिति के साथ-साथ शेकटकर समिति द्वारा प्रस्तावित), एकीकृत युद्धक समूह, सैन्य मामलों के विभाग आदि। **अन्य प्रयास:** रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना, DRDO की समर्पित प्रयोगशालाएं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आदि क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ी हैं।
रक्षा निर्यात	**रक्षा निर्यात** वर्ष 2016-17 के 1,521 करोड़ रुपये से बढ़कर **2021-22 में 13,000 करोड़ रुपये** हो गया। वर्ष 2021-22 में, **निजी क्षेत्र का निर्यात में 70% हिस्सा** था, बाकी सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का हिस्सा था। वर्तमान में **भारत 75 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है।** **प्रमुख शस्त्रागारों** द्वारा बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, हल्के वजन वाले टारपीडो, हथियार खोजने वाले रडार, अग्नि नियंत्रण प्रणाली, अपतटीय पेट्रोल व्हीकल, आदि **निर्यात** किए जा रहे हैं।
रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता	**अब तक की गई पहल:** DAP, 2020; TDF योजना, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, रक्षा औद्योगिक गलियारा, अनुकूल FDI नीति (स्वचालित मार्ग से 74 प्रतिशत तक) आदि। पिछले पांच वर्षों में **रक्षा व्यय भारत की GDP** का **1% से भी कम** रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका (12%) और चीन (20%) की तुलना में भारत अपने रक्षा बजट का 6% **रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च** कर रहा है।
सैन्य लॉजिस्टिक समझौते	भारत ने **क्वाड देशों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) के साथ-साथ फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया** के साथ भी ऐसे समझौते किए हैं।

डेटा संरक्षण

डेटा संरक्षण	भारत में **डेटा सुरक्षा के लिए कोई समर्पित कानूनी ढांचा नहीं** है। **कुछ अधिनियम/ निर्णय डेटा संरक्षण को सामान्य तरीके से कवर करते हैं।** इनमें आई.टी. अधिनियम, निजता का अधिकार निर्णय (पुट्टस्वामी वाद), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम आदि शामिल हैं। **पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पहली बार 2019 में लाया गया था** और इसे JPC के पास भेजा गया था। MeitY ने बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का उपयोग करने हेतु **इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022 का मसौदा** जारी किया है।

साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा	**वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत 10वें (194 देशों के बीच) स्थान पर है।** भारत में **1.15 बिलियन से अधिक फोन** और 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। ये **डिजिटल रूप से आसान टारगेट बन** सकते हैं। **अगले 10 वर्षों में** साइबर हमलों की लागत **20 अरब डॉलर तक पहुंचने** की आशंका है।
क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा	**अब तक की गई पहल:** प्रशांत साइबर सुरक्षा परिचालन नेटवर्क (PaCSON), यक्ष (YAKSHA), यूरोपीय संघ-आसियान साझेदारी, सिंगापुर-आसियान साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (ASCCE)।

साइबर निगरानी	⊕ पूरे देश में पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले **नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (NAFRS) का कार्यान्वयन।** ⊕ **भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों के तहत होती है:** भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ⊕ **उच्चतम न्यायालय के संबंधित निर्णय:** पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ वाद (1997), के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ वाद (2017)।
महत्वपूर्ण अवसंरचना	⊕ **महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए पहल:** राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013; राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, 2020; CERT-In; राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC); राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) आदि।
क्रिप्टोकरेंसी क्राइम	⊕ वर्ष 2021 में, क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर किया जाने वाला **अवैध लेन-देन लगभग 14 बिलियन डॉलर का था,** जो पिछले वर्ष की तुलना में 79% अधिक था। ⊕ वर्तमान में, **क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मामलों पर कोई राष्ट्रीय दिशा-निर्देश नहीं हैं।** ⊕ **क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराध को नियंत्रित करने के लिए भारत में कानून आदि:** धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; भारतीय दंड संहिता, 1860; IT अधिनियम, 2000; आदि।

पुलिस सुधार

विधि प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका	⊕ **उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियां:** शरीर पर लगे कैमरे, स्वचालित टैग और लाइसेंस प्लेट रीडर, बायोमेट्रिक्स, ब्रेन फ़िंगरप्रिंटिंग, गूगल ग्लास आदि। ⊕ **भारत में इस संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य:** उत्तर प्रदेश (अपराधियों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने के लिए AI आधारित ऐप), पंजाब (सांझ- एक नागरिक उन्मुख पोर्टल), ओडिशा (महिलाओं की मदद करने के लिए MO साथी), महाराष्ट्र (अपराधियों का AMBIS डेटाबेस तैयार करना) आदि।
पुलिस बल का आधुनिकीकरण	⊕ **विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत संख्या बल का लगभग 20% रिक्त है।** ⊕ बढ़ते साइबर अपराधों के बावजूद **पंजाब, राजस्थान, गोवा, असम जैसे कई राज्यों में एक भी साइबर क्राइम सेल नहीं है।** ⊕ **पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (MPF),** गृह मंत्रालय द्वारा **केंद्र प्रायोजित योजना है।** ⊕ **पुलिस सुधार से संबंधित निकाय/ समिति:** पद्मनाभैया समिति (2000), मलिमठ समिति (2002-03), प्रकाश सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश (2006), द्वितीय ARC (2007), पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमिटी II (2015) ⊕ **सरकारी पहल:** स्मार्ट पुलिसिंग, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS), मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 आदि।

चरमपंथ और नक्सलवाद

नक्सलवाद	⊕ वर्ष 2009 में 2,258 **वामपंथी उग्रवाद की घटनाएँ हुई थीं जो वर्ष 2021 में घटकर 509 रह गई हैं।** ⊕ **वर्ष 2010 में 96 जिलों** की तुलना में **वर्ष 2021 में केवल 46 जिलों** ने वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना दी। ⊕ वर्ष 2010 से 2021 तक नक्सल हिंसा से होने वाली **मौतों (नागरिकों और सुरक्षा बलों) में 85% की कमी आई है।** ⊕ **कौशल विकास:** रोशनी, ITIs और कौशल विकास केंद्र, आजीविका कॉलेज आदि। ⊕ **संस्थागत उपाय:** छत्तीसगढ़ के लिए ब्लैक पैंथर लड़ाकू बल, बस्तरिया बटालियन आदि।
जैव-आतंकवाद	⊕ **भारत में मौजूदा उपाय:** 1897 का महामारी अधिनियम, NDMA ने सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए एक मॉडल साधन प्रस्तावित किया है, एकीकृत रोग निगरानी परियोजना। ⊕ **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय:** जैविक हथियार अभिसमय, इंटरपोल बायो-टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल।
गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)	⊕ UAPA के तहत वर्ष 2018 और 2020 के बीच दर्ज किए गए कुल मामलों में से केवल 3.1% मामलों में दोष सिद्ध हुआ।

ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW)	**OGW से निपटने के लिए उठाए गए कदमः** ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सद्भावना, मिशन पहल, उस्ताद, नई मंजिल योजना, हिमायत के तहत अवसर।
नशीले पदार्थों की तस्करी	UNODC 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, **भारत दुनिया के सबसे बड़े अफीम बाजारों में से एक है।** भारत एक ट्रांजिट हब के साथ-साथ गोल्डन ट्राएंगल और गोल्डन क्रिसेंट में उत्पादित हेरोइन एवं हशीश के लिए **एक गंतव्य स्थल बन गया है।** भारत के भीतर, **सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत** (विशेषकर मणिपुर) और उत्तर पश्चिमी भारत (विशेषकर पंजाब) हैं।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद

शांति स्थापना हेतु प्रारंभ की गई पहल	क्षेत्रीय सहयोग के साथ **सीमाओं पर बाड़ लगाना, उड़ान 4.0 के तहत पूर्वोत्तर मार्गों को प्राथमिकता,** एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आर्थिक केंद्र के रूप में विकास (राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि निर्यात क्षेत्र आदि)। असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में शांति के लिए **तीसरे बोडो शांति समझौते** (2020) पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (K) निकी ग्रुप के साथ **युद्धविराम समझौता** किया।

सुरक्षा के उभरते आयाम

अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण	**अंतरिक्ष शक्ति की दौड़ में भारतः** वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) का गठन, वर्ष 1969 में ISRO का गठन, वर्ष 2019 में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA) का गठन; एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल परीक्षण (मिशन शक्ति)। **अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए वैश्विक ढांचाः** बाह्य अंतरिक्ष संधि, बाह्य अंतरिक्ष हथियारों की दौड़ की रोकथाम।
उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और राष्ट्र के समक्ष खतरा	विदेश मंत्रालय ने **नए, उभरती और सामरिक प्रौद्योगिकी (NEST)** प्रभाग का गठन, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, क्वांटम प्रौद्योगिकी और उसके इस्तेमाल पर राष्ट्रीय मिशन आदि शुरू किया है।

विविध

इंटरनेट शटडाउन	वर्ष 2012 से **अब तक भारत में लगभग 550 बार इंटरनेट शटडाउन** हो चुके हैं। **वर्ष 2020 में इंटरनेट शटडाउन के कारण भारत को 2.8 बिलियन डॉलर** का नुकसान हुआ था। **इंटरनेट शटडाउन के लिए नियम / कानूनी प्रावधानः** दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017; वर्ष 2020 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय।
हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म	**हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने की दिशा में भारत की प्रगतिः** ब्रह्मोस II, मिशन शक्ति, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम (HSTDV) आदि।

वीकली फोकस

सुरक्षा

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और राष्ट्रीय सुरक्षा	कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेजी से बढ़ता हुआ वह तकनीकी क्षेत्र है, जो समान रूप से व्यावसायिक निवेशकों, रक्षा क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, नीति-निर्माणकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हाल ही में, साइबर हमलों में AI का बढ़ता उपयोग और हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीकों में बढ़ोतरी के घटनाक्रम ने यह दर्शाया है कि AI में किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, AI विभिन्न अवसरों के साथ ही चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में, भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह तकनीकी विकास और रक्षा के समावेशन की गति के साथ स्वयं को समायोजित करता रहे।	
भारत का परमाणु सिद्धांत	भारत के परमाणु सिद्धांत में उन लक्ष्यों और मिशनों को शामिल किया गया है, जो परमाणु हथियारों की तैनाती या अभिनियोजन और उपयोग के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत चीन और पाकिस्तान सहित विभिन्न खतरों के आलोक में एक आवश्यक बुराई के रूप में कार्य करता है। यद्यपि, इस सिद्धांत ने अब तक अपने उद्देश्य की पूर्ति की है, तथापि बदलती परिस्थितियों में इस सिद्धांत के वर्तमान स्वरूप पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।	
तटीय सुरक्षा: भारत की तैयारी की स्थिति	26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद भारत में तटीय सुरक्षा के प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव किए गए। विगत कुछ वर्षों में, भारत के तटों को सुरक्षित करने के प्रयासों में तेजी आई है। किंतु, क्या वे पर्याप्त हैं? इस लेख का उद्देश्य तटीय सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण को समझना है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात् तटीय सुरक्षा की प्रकृति में व्यापक रूप से बदलाव हुआ है। आज भारत के तटों के समक्ष विविधतापूर्ण खतरे और चुनौतियां मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे तटीय सुरक्षा तंत्र, उसकी स्वीकार्यता और प्रभावी कार्यान्वयन की राह में बाधा उत्पन्न की है।	
रक्षा उद्योग का स्थानीयकरण: आवश्यकता से लेकर अवसर तक	चूंकि भारत अपनी वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, अतः इसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से मजबूत स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार तैयार करने की अत्यधिक आवश्यकता है। स्वदेशी रक्षा विनिर्माण की दिशा में भारत के प्रयासों का विश्लेषण करते हुए इस लेख में वर्तमान में विद्यमान कमियों या अंतराल की जांच की गयी है और देश में एक अभेद्य सुरक्षा ढांचे के निर्माण के लिए उपायों का सुझाव प्रदान किया गया है।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

2021 सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष 10 में से 8 चयन

from various programs of VisionIAS

2 AIR

ANKITA AGARWAL

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

1 AIR

SHUBHAM KUMAR

3 AIR

GAMINI SINGLA

4 AIR

AISHWARYA VERMA

5 AIR

UTKARSH DWIVEDI

6 AIR

YAKSH CHAUDHARY

7 AIR

SAMYAK S JAIN

8 AIR

ISHITA RATHI

9 AIR

PREETAM KUMAR

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

जयपुर 9001949244 | हैदराबाद 9000104133 | पुणे 8007500096 | अहमदाबाद 9909447040 | लखनऊ 8468022022 | चंडीगढ़ 8468022022 | गुवाहाटी 8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC